

अंक-21

विस्फोटक दर्पण



आज़ादी का अमृत महोत्सव



पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो), नागपुर

विजन स्टेटमेंट



राष्ट्रहित तथा अपना उद्देश्य "सुरक्षा सर्वोपरि" को दृष्टिगत रखते हुए, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक तथा उनकी टीम उपलब्ध मानव संसाधन तथा ई-तकनिक का अनुकूल उपयोग करते हुए पूर्ण पारदर्शिता लाने तथा तत्पर कार्यपद्धति को समाहित करते हुये सभी अनुज्ञप्तिधारकों, जनसाधारण तथा उद्योगों को कुशल, दक्ष तथा विनम्र सेवाएं देने के लिए सदैव प्रतिबद्ध हैं।

मुखपृष्ठ परिचय- इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को भारत सरकार 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तौर पर मना रही है। 15 अगस्त 1947 को भारत, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। आजादी के 75 साल का ये जश्न 12 मार्च 2021 से शुरू हो चुका है जो 75 सप्ताह तक चलेगा। 15 अगस्त 2023, 77 वें स्वतंत्रता दिवस पर अमृत महोत्सव का समापन होगा। इसी को बिंबित करता यह मुखपृष्ठ है।



संरक्षक की कलम से



पी. कुमार
मुख्य विस्फोटक नियंत्रक
(संगठन प्रमुख)

यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि हमारे मुख्यालय द्वारा नियमित रूप से वार्षिक गृह पत्रिका "विस्फोटक दर्पण" का प्रकाशन किया जाता रहा है। इससे हिंदी के प्रचार-प्रसार को प्रोत्साहन तो मिलता ही है, साथ ही इसके द्वारा पूरे देश को एक सूत्र में बांधने में बल मिलता है। विगत वर्षों में विभाग ने उल्लेखनीय प्रगति की है किंतु अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

पत्रिकाओं के माध्यम से विभागीय कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को निखारने में सहायता मिलती है। मुझे आशा है कि पेसो के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उक्त अवसर का बखूबी इस्तेमाल किया है। सरकार की नीति प्रेरणा और प्रोत्साहन की है। इस कड़ी में पत्रिका "विस्फोटक दर्पण" कई वर्षों से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। मुझे खुशी है कि वर्ष 2020-2021 में पेसो में राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु प्रथम पुरस्कार और हिन्दी ई पत्रिका हेतु द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

संगठन के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मेरा अनुरोध है कि नियमों के अंतर्गत सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजभाषा के प्रचार-प्रसार में पूर्ण योगदान दें और अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने का प्रयास करें, साथ ही सरकार की राजभाषा नीति के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त करें। पत्रिका के सफल प्रकाशन एवं संपादक मंडल के अथक प्रयास के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

'किसी भाषा की उन्नति का पता उसमें प्रकाशित हुई पुस्तकों की संख्या तथा उनके विषय के महत्व से जाना जा सकता है।' - गंगाप्रसाद अग्निहोत्री।

प्राक्कथन



एस. डी. मिश्रा
विस्फोटक नियंत्रक एवं
संपर्क हिन्दी अधिकारी

कार्यालय की हिन्दी पत्रिका “विस्फोटक दर्पण” के 21 वें अंक के प्रकाशन पर मुझे अपार हर्ष हो रहा है। कार्यालय में राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ कार्यालयीन कामिकों एवं उनके परिवारजनों में रचनात्मकता बढ़ाने व राजभाषा हिन्दी के प्रति अनुकूल वातावरण बनाने में पत्रिका ने बहुमूल्य योगदान प्रदान किया है।

राजभाषा हिन्दी में कार्य करना हमारा नैतिक कर्तव्य ही नहीं बल्कि संवैधानिक दायित्व भी है। राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने में कार्यालयीन हिन्दी पत्रिकाएं निरंतर महत्वपूर्ण योगदान देती रही हैं। सभी को अपने कार्य-व्यवहार में राजभाषा हिन्दी के आम जीवन में प्रचलित शब्दों के प्रयोग पर बल देना चाहिए, ताकि सामान्य नागरिकों तक सरकारी नीतियों/ कार्यक्रमों की जानकारी पहुंच सके।

हिन्दी पत्रिका ‘विस्फोटक दर्पण’ के 21 वें अंक के प्रकाशन में योगदान देने हेतु मैं सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल का धन्यवाद करता हूं व आशा करता हूं कि पत्रिका का यह अंक भी पूर्व अंकों की भांति सभी को पसंद आएगा और भविष्य में भी आप लोग अपनी रचनाओं से इसे समृद्ध करते रहेंगे।

पत्रिका के सफल संपादन के लिए शुभकामनाएं।



राष्ट्रीय व्यवहार में हिन्दी को काम में लाना देश की शीघ्र उन्नति के लिए आवश्यक है। - महात्मा गांधी



एक कदम स्वच्छता की ओर

संपादकीय

डॉ. वैशाली एस. चिरडे
हिन्दी अधिकारी



हिन्दी के प्रचार प्रसार के महत् उद्देश्य को लेकर प्रकाशित की जाने वाली संगठन की हिन्दी गृह पत्रिका विगत कुछ वर्षों से ई पत्रिका के रूप में प्रकाशित की जा रही है, इसी श्रृंखला में विस्फोटक दर्पण का 21 वां अंक आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए बेहद खुशी हो रही है। प्रतिवर्ष की ही भांति हमने बहुआयामी रचनाओं और संगठन से संबंधित जानकारी युक्त एक संग्रहणीय संकलन बनाने का प्रयास किया है। अपनी नवीनतम सृजनात्मकता को समेटकर पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत है।

इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को भारत सरकार 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तौर पर मना रही है। 15 अगस्त 1947 को भारत, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। आजादी के 75 साल का ये जश्न 12 मार्च 2021 से शुरू हो चुका है जो 75 सप्ताह तक चलेगा। 15 अगस्त 2023, 77 वें स्वतंत्रता दिवस पर अमृत महोत्सव का समापन होगा। यह अंक इसी विषय 'आजादी का अमृत महोत्सव' पर आधारित है और इसके मुखपृष्ठ पर भी इसको बिंबित करने का प्रयास किया गया है। इसी अनुक्रम में संगठन का इतिहास यह लेख प्रमुख आकर्षण है। इसके अलावा "आत्म निर्भर भारत" विषय पर भी लेख समाहित किए गए हैं। उम्मीद है पूर्व कि भांति आप सभी को यह अंक भी जरूर पसंद आएगा।

सरकार कि नीति प्रेरणा एवं प्रोत्साहन की है। इसी उद्देश्य से सभी प्रोत्साहन योजना लागू कर सभी को समय समय पर कार्यालयीन कार्य में सरल हिन्दी का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। मुझे बेहद खुशी है कि कार्यालय के अधिकारियों द्वारा तकनीकी लेख एवं अन्य कविताएं सरल हिन्दी भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जिसमें सं.मु.वि.नि. भोपाल डॉ. अंसारी सर का तकनीकी लेख हमेशा की तरह पत्रिका को सुशोभित कर सरल शब्दों में जानकारी दे रहा है। साथ ही डॉ सुबोध कुमार दीक्षित, वि.नि. के लेख ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की जानकारी दी है। इसके अलावा मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आदेशों/ का.जा. को भी पत्रिका में समाहित किया गया है। आशा है कि सभी इस जानकारी से लाभान्वित होंगे और राजभाषा के प्रचार प्रसार का हमारा प्रयास सफल होगा।

मैं संगठन के उन सभी रचनाकारों का आभार व्यक्त करती हूँ जिनकी रचनाओं ने हमेशा ही हमें पत्रिका हेतु लेख/ कविताएं, आदि भेजते हुए अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, फलस्वरूप विस्फोटक दर्पण अंक 20 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन (का-1) द्वारा द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है और राजभाषा कार्यान्वयन हेतु प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। इस उपलब्धि के लिए मैं हमारे कार्यालय प्रमुख श्री पी.कुमार सर का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ जो सदैव हमें हिंदी में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही सं.हिं.अ. श्री एस.डी.मिश्रा वि.नि. का समय-समय पर मार्गदर्शन मिलता रहा उसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। पत्रिका में अपना योगदान देने वाले हमारे सभी अधिकारी/कर्मचारियों को भी साधुवाद जिन्होंने पत्रिका को पठनीय बनाने में अपना बहुमूल्य सहयोग दिया है। आईए इसी तरह हम सभी अपना योगदान देकर राजभाषा हिन्दी को एक नई उँचाई पर ले जाएं।

संरक्षक एवं प्रेरक

श्री पी. कुमार, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक (संगठन प्रमुख)

प्रधान संपादक

श्री एस. डी. मिश्रा, विस्फोटक नियंत्रक एवं संपर्क हिन्दी अधिकारी

कार्यकारी संपादक

डॉ. वैशाली एस. चिरडे, हिन्दी अधिकारी

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नागपुर

क्र.	नाम तथा पदनाम
1.	श्री पी. कुमार, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक (संगठन प्रमुख)
2.	श्री वी. बी. बोरगोवर्कर, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक
3.	श्री के. त्यागराजन, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक
4.	श्री ए. बी. तामगाडगे, विस्फोटक नियंत्रक
5.	श्री एम. के. पांडे, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक
6.	डॉ. ए. के. दलेला, विस्फोटक नियंत्रक
7.	श्री बासुदेव बसाक, विस्फोटक नियंत्रक
8.	श्री एस.डी. मिश्रा, विस्फोटक नियंत्रक एवं संपर्क हिन्दी अधिकारी
9.	श्री के. श्रीनिवासा राव, विस्फोटक नियंत्रक
10.	डॉ जीवरथीनम डी., उप विस्फोटक नियंत्रक
11.	श्री निनाद गावडे, उप विस्फोटक नियंत्रक
12.	डॉ. वैशाली एस. चिरडे, हिन्दी अधिकारी
13.	श्री आर.एम. सहारे, लेखा अधिकारी
14.	श्री डी. डी. धकाते, कार्यालय अधीक्षक(मुखअनुज्ञप्ति शाखा प्र)
15.	श्री के. जी. पानतावणे, कार्यालय अधीक्षक(सामान्य शाखा प्रमुख)
16.	श्री एस. टी. पौनीकर, कार्यालय अधीक्षक (तकनीकी शाखा प्रमुख)
17.	श्री सुमित ठाकुर,कनिष्ठ तकनीकी सहायक

अस्वीकरण: पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार रचनाकारों के निजी विचार हैं प्रकाशन समिति का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है

"हिंदी का काम देश का काम है, समूचे राष्ट्रनिर्माण का प्रश्न है।" - बाबूराम सक्सेना।

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषयानुक्रम	पृष्ठ सं.
1.	संदेश	2-3
2.	संपादकीय	4
3.	आजादी का अमृत महोत्सव	7-8
4.	पेट्रोलियक तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन का इतिहास	9-16
5.	ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम 1952 की 70वीं वर्षगांठ पर टेक्निकल लेख- डॉ. एम.आई.जेड. अंसारी	17-18
6.	यात्रा- श्री मृदुल कुमार पाण्डेय	18
7.	आत्मनिर्भर भारत	19-20
8.	विकाश बनाम विनाश- डॉ. सुबोध कुमार दीक्षित, श्रीमती सीमा दीक्षित	21-22
9.	पेसो नागपुर में हिंदी पखवाड़ा के पुरस्कृत निबंध	23-25
10.	कहावतों की दुनिया	26-27
11.	गृहमंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम	28-29
12.	पेसो, नागपुर की राजभाषायी गतिविधियां	30-35
13.	पेसो आंचल/उपांचल कार्यालयों की गतिविधियां	35-66
14.	12 'प्र' से किया जा सकता है राजभाषा हिंदी का समुचित विकास	67-71
15.	राजभाषा नियम	72-77
16.	राजभाषा हिन्दी से जुड़े वर्ष में जारी कार्यालय ज्ञापन	78-83
17.	आगरा कार्यालय को प्राप्त नराकास पुरस्कार	84
18.	पेसो, नागपुर को वर्ष 2019-2020 के लिए प्राप्त नराकास पुरस्कार	85
19.	पेसो, नागपुर को वर्ष 2020-2021 के लिए प्राप्त नराकास पुरस्कार	86-87
20.	पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन का संगठनात्मक ढाँचा	87



आजादी का अमृत महोत्सव

इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को भारत सरकार 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तौर पर मना रही है। 15 अगस्त 1947 को भारत, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। आजादी के 75 साल का ये जश्न 12 मार्च 2021 से शुरू हो चुका है जो 75 सप्ताह तक चलेगा। 15 अगस्त 2023, 78वें स्वतंत्रता दिवस पर अमृत महोत्सव का समापन होगा। इस दौरान भारत सरकार व राज्य सरकारों द्वारा देशवासियों की जनभागीदारी सुनिश्चित करते हुए देश-प्रदेश में अलग-अलग आयोजन किये जाएंगे। हजारों सूर्यों से अधिक तेजस्वी भारत की स्वतंत्रता को लोक-जीवन में स्थापित किये जाने की आवश्यकता को महसूस करते हुए एक ओर आजादी के जश्न मनाये जायेंगे, जिसमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना होगी तो अब तक कुछ न कर पाने की बेचैनी भी दिखाई देगी। आजादी का अमृत महोत्सव भारत की विरल उपलब्धि है, हमारी जीती-जागती आंखों से देखे गये स्वप्नों को आकार देने का विश्वास है तो जीवन मूल्यों को सुरक्षित करने एवं नया भारत निर्मित करने की तीव्र तैयारी है। अब होने लगा है हमारी स्वतंत्र चेतना का अहसास। जिसमें आकार लेते वैयक्तिक, सामुदायिक, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं वैश्विक अर्थ की सुनहरी छटाएं हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुत कुछ बदला मगर चेहरा बदलकर भी दिल नहीं बदला। विदेशी सत्ता की बेड़ियां टूटी पर बन्दीपन के संस्कार नहीं मिट पाये और राष्ट्रीयता प्रश्नचिन्ह बनकर आदर्शों की दीवारों पर टंग गयी थी, उसे अब आकार लेते हुए देखा जा रहा है। जिस संकीर्णता, स्वार्थ, राजनीतिक विसंगतियों, आर्थिक अपराधों, शोषण, भ्रष्टाचार एवं जटिल सरकारी प्रक्रियाओं ने अनंत संभावनाओं एवं आजादी के वास्तविक अर्थों को धुंधला कर दिया था।

अब उन सब अवरोधक स्थितियों से बाहर निकलते हुए हम अपना रास्ता स्वयं खोजते हुए न केवल नये रास्तों बल्कि आत्मनिर्भर भारत, नये भारत एवं सशक्त भारत के रास्तों पर अग्रसर हैं। अब आया है उपलब्धिभरा वर्तमान हमारी पकड़ में। अब लिखी जा रही है कि भारत की जमीन पर आजादी की वास्तविक इबारत। संघर्षों से जूझने की क्षमता भारत को अपने स्वतंत्रता के उदयकाल से ही प्राप्त है। इसके सामने आज तक जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, अवरोध उपस्थित करने वाली शक्तियां उसके सामने टिकने का साहस नहीं कर पाई। जिसको जन्मघूटी के साथ ही राष्ट्रीयता के संस्कार मिल जायें, वह कभी हार नहीं सकता, अपनी आजादी पर आने वाले हर खतरों एवं हमलों को परास्त करने की उसमें क्षमताएं है। आजाद भारत के निर्माताओं ने जिस सूझबूझ, कर्मठता, साहस के साथ परिस्थितियों से लोहा लिया, वह इतिहास का एक क्रांतिकारी पृष्ठ है। मोदी उसी पृष्ठ के एक चमकते राष्ट्रनायक हैं। स्वतंत्रता एवं सहअस्तित्व वाली मोदी की विदेश नीति इतनी स्पष्ट है कि आज दुनिया में भारत का परचम लहरा रही है। उनकी दृष्टि में कोरे हिन्दू की बात नहीं होती, ईसाई, मुसलमान, सिख की बात भी नहीं होती है, उनकी नजर में मुल्क की एकता सर्वोपरि है। उनके निर्णय उनके इतिहास, भूगोल, संस्कृति की पूर्ण जानकारी के आधार पर होते हैं। हम महसूस कर रहे हैं कि निराशाओं के बीच आशाओं के दीप जलने लगे हैं, ये शुभ संकेत हैं। एक नई सभ्यता और एक नई संस्कृति करवट ले रही है। नये राजनीतिक मूल्यों, नये विचारों, नये इंसानी रिश्तों, नये सामाजिक संगठनों, नये रीति-रिवाजों और नयी जिंदगी की हवायें लिए हुए आजाद मुल्क की एक ऐसी गाथा


लिखी जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय चरित्र बनने लगा है, राष्ट्र सशक्त होने लगा है, न केवल भीतरी परिवेश में बल्कि दुनिया की नजरों में भारत अपनी एक स्वतंत्र हस्ती और पहचान लेकर उपस्थित है। चीन की दादागिरी और पाकिस्तान की निम्नी कोटि की हरकतों को मुंहतोड़ जबाव पहली बार मिला है। किसी भी राष्ट्र की ऊंचाई वहां की इमारतों की ऊंचाई से नहीं मापी जाती बल्कि वहां के राष्ट्रनायक के चरित्र से मापी जाती है। उनके काम करने के तरीके से मापी जाती है। हम सभी का

यह बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हम सभी भारतवासी आजाद भारत के इस ऐतिहासिक कालखंड के साक्षी बने हैं जिसमें भारत उन्नति की नई ऊंचाइयों को दिन प्रतिदिन छूता जा रहा है। आज का आधुनिक भारत विश्वस में अपना नाम सबसे आगे की पंक्ति में लिखवा चुका है। हम इस पुण्य पावन अवसर पर राष्ट्र पिता महात्मास गांधी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और देश के स्वार्थीनता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले तथा देश को नेतृत्व प्रदान करने वाले सभी महान विभूतियों के चरणों में नमन एवं उनका कोटि-कोटि वंदन करते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव उन सभी लोगों को धन्यवाद देने का हमारा एक प्रयास है। जिनके कारण हम भारतवासी स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। यह स्मारण करने का समय है कि स्वतंत्रता को हल्के में नहीं लिया जा सकता यह कठिन परिश्रम, संघर्ष और पुरुषार्थ के पश्चामत प्राप्तक किया गया अमृत है जिसे प्राप्त करने हेतु शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी।

(विभिन्न स्रोतों से संकलित)

भाषा के उत्थान में एक भाषा का होना आवश्यक है। इसलिए हिन्दी सबकी साझा भाषा है।

- पं. कृ. रंगनाथ पिल्लयार





पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन का इतिहास

(विभिन्न स्रोतों से संकलित)

दिनांक 09.09.1898 को प्रथम चीफ इन्सपेक्टर ऑफ एक्सप्लोसिक्स के रूप में मेजर सी.ए. मुसप्राट विलियम्स की नियुक्ति के साथ विस्फोटक विभाग अस्तित्व में आया। इससे पूर्व यूनाइटेड किंगडम में हर मेजस्टी के चीफ इन्सपेक्टर ऑफ एक्सप्लोसिक्स की अनुशंसा पर दिनांक 26.02.1884 को इण्डियन एक्सप्लोसिक्स एक्ट 1884 प्रवर्तित हुआ।

उनके द्वारा उक्त अनुशंसा, भारतीय बाजार में नाइट्रो कम्पाउण्ड विस्फोटकों (जो सामान्यतः डायनामाइट या जिलेटिन के नाम से जाने जाते हैं) के पेश होने के बाद 1888 - 1898 की अवधि के दौरान कुछ मैगजीनों में हुए श्रृंखलाबद्ध भयंकर विस्फोटों, जिसमें से एक एंटप हिल में घटित मैगजीन विस्फोट दुर्घटना भी शामिल थी, की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, की गई। उनकी अनुशंसा के आधार पर भारत सरकार ने ईशापुर (पश्चिम बंगाल) और किर्की में स्थित सरकारी गनपाउडर कारखानों के अधीक्षक को उनके सम्बन्धित इलाकों हेतु चीफ इन्सपेक्टर ऑफ एक्सप्लोसिक्स के रूप में नियुक्त किया। जब उपरोक्त व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई तो प्रथम चीफ इन्सपेक्टर ऑफ एक्सप्लोसिक्स की नियुक्ति की गई। शुरुआत में चीफ इन्सपेक्टर ऑफ एक्सप्लोसिक्स ईशापुर और किर्की की आयुध निर्माणशाला के अधीक्षक और उपाधीक्षकों की सहायता से कार्य करता था। दिनांक 03.01.1900 को भारतीय आयुध विभाग के कैप्टन जे.बारलेट को चीफ की सहायता हेतु इन्सपेक्टर ऑफ एक्सप्लोसिक्स के रूप में नियुक्त किया गया एवं विस्फोटकों से सम्बन्धित समस्त कार्य विस्फोटक विभाग के अन्तर्गत इन्हीं दो अधिकारियों के जिम्मे था। विस्फोटक विभाग की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट 1900 में प्रकाशित की गई। 1902-03 में विभाग के प्रमुख का पदनाम बदलकर भारत में मुख्य विस्फोटक इन्सपेक्टर कर दिया गया।

ब्रिटिश भारत सरकार के गृह विभाग के अन्तर्गत विभाग ने शिमला में कार्य करना आरम्भ किया। शिमला एवं कोलकाता के मध्य कुछ समय तक इधर-उधर होने के बाद अन्त में 1920 में कोलकाता में स्थापित हुआ। विभाग का प्रथम शाखा कार्यालय 1925 में पुणे में खोला गया और तब चीफ ने कलकत्ता और पुणे में एक-एक इन्सपेक्टर की सहायता से अपनी ड्यूटी का निर्वहन प्रारम्भ किया। 1938 तक विभाग का विस्तार करके चार अंचल कार्यालय लाहौर, मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई और मुख्यालय कलकत्ता में स्थापित किया गया। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय लाहौर का कार्यालय आगरा स्थानांतरित कर दिया गया। प्रत्येक अंचल कार्यालय में एक इन्सपेक्टर एवं एक सहायक इन्सपेक्टर थे। तत्पश्चात् नागपुर में केन्द्रीय अंचल कार्यालय खोला गया जिसे बाद में 1958 में ग्वालियर शिफ्ट कर दिया गया।

वर्ष 1945 में विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली शिफ्ट किया गया एवं अन्ततः वर्ष 1958 में नागपुर में स्थापित कर दिया गया। श्री ए.के.सेन दिनांक 27.08.1945 से नियुक्त प्रथम भारतीय चीफ कन्ट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिक्स थे। मै० आईईएल के विस्फोटक विनिर्माण इकाई में उत्पादन आरम्भ होने के कारण 1958 में उपांचल कार्यालय गोमिया आरम्भ किया गया। आसनसोल (प.बंगाल) एवं शिवाकाशी (तमिलनाडु) में क्रमशः कोलियरी एवं आतिशबाजी फैक्टरियों के कारण वहां

दो उपांचल कार्यालय आस्तित्व में आ चुके थे। मुख्यतः मै० आईडीएल की विस्फोटक फैक्टरी के कारण वर्ष 1969 में दक्षिणी अंचल के अन्तर्गत हैदराबाद में एक नया उपांचल कार्यालय खोला गया। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 1973 में एक उपांचल कार्यालय गुवाहाटी में खोला गया। 1976-1977 में हजारीबाग में एक उपांचल कार्यालय तथा विभाग का वेतन एवं लेखा कार्यालय नागपुर में खोले गए। आयुध फैक्टरी, भण्डारा के कामशियल विस्फोटक विनिर्माण प्लान्ट के लिए 1979-80 में एक उपांचल कार्यालय भण्डारा में खोला गया। राउरकेला, मेंगलौर, एर्नाकुलम, बड़ौदा, चण्डीगढ़, भोपाल एवं जयपुर में उपांचल कार्यालय खोलकर एवं ग्वालियर में स्थित केन्द्रीय अंचल कार्यालय को बन्द करके एवं आगरा के अंचल कार्यालय में उसका विलय करके 1980-1981 एवं 1981-1982 के दो वर्षों में विभाग का प्रथम पुनर्गठन पूर्ण किया गया। उस समय विभाग के मुख्यालय के अतिरिक्त 4 अंचल कार्यालय, 13 उपांचल कार्यालय एवं वेतन एवं लेखा कार्यालय था। स्वीकृत स्ट्रेन्थ 69 अधिकारियों (1 मुख्य विस्फोटक नियंत्रक 1 संयुक्त मुख्य, 7 उप-मुख्य 21 नियंत्रक एवं 38 उप-नियंत्रक) एवं 279 कर्मचारियों की थी।

वर्ष 1990 - 92 में उच्च विस्फोटक फैक्ट्रियों का कार्य देखने के लिए वर्धा, वेल्लौर एवं ललितपुर में 3 फैक्टरी सम्बद्ध कार्यालय खोले गए। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एवं मंत्रालय के इन्टरनल वर्क स्टडी इकाई (आईडब्ल्यूएसयू) द्वारा विभाग के कार्य का अध्ययन किया गया। उक्त अध्ययन के अनुशंसाओं के आधार पर दिनांक 05.05.1995 को भारत सरकार द्वारा द्वितीय पुनर्गठन की स्वीकृति प्रदान की गई। स्वीकृत पुनर्गठन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के 81 अतिरिक्त पदों के साथ फरीदाबाद में एक नया अंचल कार्यालय एवं इलाहाबाद में एक नया उपांचल कार्यालय शामिल था। आगरा का अंचल कार्यालय का नाम विभाग मध्यांचल कार्यालय कर दिया गया। इसी दौरान गोण्डखेरी (नागपुर) में सेन्ट्रल टेस्टिंग स्टेशन खोला गया। वर्तमान समय में संगठन में 129 ग्रुप 'ए' अधिकारी एवं 433 ग्रुप 'बी' 'सी' एवं 'डी' कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं। विस्फोटक विभाग का मुख्यालय नागपुर में स्थित है एवं इसके प्रमुख मुख्य विस्फोटक नियंत्रक हैं। मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, फरीदाबाद एवं आगरा में इसके 5 अंचल कार्यालय स्थित हैं जिनके प्रमुख संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक हैं। विभाग के 13 उपांचल कार्यालय हैं जिनके प्रमुख उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक एवं 5 फैक्टरी सम्बद्ध कार्यालय हैं जिनके प्रमुख विस्फोटक नियंत्रक हैं।

वर्ष 2011-2012 में ललितपुर, भण्डारा व गोमिया स्थित फैक्टरी अटैचड कार्यालयों को क्रमशः देहरादून, रायपुर व पटना में स्थानांतरित कर दिया गया तथा हजारीबाग व राउरकेला स्थित उपांचल कार्यालयों को क्रमशः राँची तथा भुवनेश्वर स्थानांतरित कर दिया गया। इन स्थानांतरित फैक्टरी अटैचड कार्यालयों तथा वेल्लूर व वर्धा में स्थित फैक्टरी अटैचड कार्यालयों को उपांचल कार्यालयों का दर्जा दे दिया गया। प्रारम्भ में, गठन के समय, विभाग को विस्फोटक अधिनियम 1884 को प्रशासित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। उस समय मुख्य गतिविधियों में मैगजीनों का निरीक्षण करना, दुर्घटनाओं की जाँच एवं दुर्घटनाओं के कारणों पर रिपोर्ट तैयार करना तथा विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों को प्रशासित करने से जुड़े सभी मामलों में विशेषज्ञ की हैसियत से राय देना शामिल था। 1904-05 के दौरान पेट्रोलियम अधिनियम 1899 एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम विभाग के अधिकार क्षेत्र में आ गए। बहरहाल अलग-अलग प्रान्तों में अलग-अलग नियमावतियों का पालन किया जा रहा था। इस गतिरोध को समाप्त करने एवं प्रणाली में एकरूपता लाने के लिए चीफ इन्सपेक्टर ऑफ एक्सप्लोसिक्स ने गहन अध्ययन, विचार विमर्श और सभी प्रान्तों के लिए उनकी स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल आवश्यक फेरबदल के विकल्प के साथ नियमावली बनाने का कार्य प्रारम्भ किया। अन्ततः पुराने सभी अधिनियमों को अधिक्रमित करते हुए पेट्रोलियम अधिनियम 1934 अस्तित्व में आया तथा पहले सभी प्रान्तीय नियमों को समाप्त

करते हुए पेट्रोलियम नियम 1937 दिनांक 30.03.1937 से प्रभावी हो गया। समेकित कैल्शियम ऑफ कार्बाइड नियम दिनांक 18.03.1937 से लागू किया गया। दिनांक 11.08.1899 के एक अधिसूचना के द्वारा इस नियम को पूर्व में ही पेट्रोलियम अधिनियम 1899 के अन्तर्गत लाया जा चुका था।

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एम-1272(1), दिनांक 28.09.1938 के बाद 1940 में प्रथम बार गैस सिलेंडर नियम 1940 प्रकाशित किए गए जिसमें यह घोषित किया गया कि "संपीडित या द्रवित स्थिति में किसी भी धातु के पात्र में कोई भी गैस" विस्फोटक अधिनियम 1884 के अर्थ में विस्फोटक के अन्तर्गत आएगा। 1966 में भारत सरकार ने विस्फोटक अधिनियम 1884, विस्फोटक नियम 1940 एवं गैस सिलेंडर नियम 1940 के विभिन्न प्रावधानों के जाँच के लिए एक समिति का गठन किया। उक्त समिति की अनुशंसाओं के आधार पर विस्फोटक नियम 1940 के स्थान पर विस्फोटक नियम 1983, गैस सिलेंडर नियम 1940 के स्थान पर गैस सिलेंडर नियम 1981 एवं एक नया नियम स्थिर एवं गतिशील दाबपात्र (अज्ज्वलनशील) नियम, 1981 अस्तित्व में आया। इसी बीच पेट्रोलियम नियम 1937 की भी समीक्षा की गई एवं पेट्रोलियम नियम 1976 के रूप में नए नियम बने जो बाद में पेट्रोलियम नियम 2002 द्वारा अधिक्रमित किए गए। 80 एवं 90 के दशक में वैश्विक एवं आर्थिक उदारीकरण के बदौलत गैस एवं सम्बन्धित उद्योग में, एलपीजी के औद्योगिक एवं घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग, सीएनजी एवं एलपीजी का, पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में शुरुआत, नई प्रौद्योगिकी का प्रवेश आदि बड़े पैमाने के विस्तार देखने का मिले जिसकी वजह से एक बार और समीक्षा की आवश्यकता महसूस हुई जिसकी वजह से नए गैस सिलेंडर नियम 2004 तैयार हुए। वर्तमान में पेट्रोलियम नियमों के प्रशासन के अन्तर्गत पेट्रोलियम रिफायनरियों, पेट्रोकेमीकल्स / ऑयल / गैस प्रोसेसिंग प्लान्ट्स मय परिसंकटमय क्षेत्रों का वर्गीकरण के प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु संवीक्षा, पेट्रोलियम के पात्रों के अनुमोदन हेतु प्रस्तावों की संवीक्षा, पेट्रोलियम भण्डारण अधिष्ठापन एवं टैंक ट्रकों की अनुज्ञप्तियाँ जारी करने / संशोधन / नवीनीकरण हेतु प्रस्तावों की संवीक्षा, टैंक लॉरी के पाइप डिज़ाइनों एवं उनके फेब्रीकेशन शॉप का अनुमोदन, क्रॉस कन्ट्री क्रूड ऑयल एवं प्रोडक्ट पाइपलाइनों के प्रस्तावों की संवीक्षा, परिसंकटमय क्षेत्रों में प्रयोग हेतु ज्वालासह एवं अन्य विशेष विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक एवं सुरक्षा उपकरणों के प्रस्तावों की संवीक्षा, डॉक एन्ट्री / मैन एन्ट्री / हॉट वर्क के लिए पेट्रोलियम का वहन करने वाले पात्रों / जहाजों के गैस फ्री प्रमाणपत्र जारी करने का कार्य आता है। कैल्शियम ऑफ कार्बाइड नियमों के प्रशासन के अन्तर्गत कैल्शियम कार्बाइड के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्तियाँ जारी करने, / संशोधन/ नवीनीकरण हेतु प्रस्तावों की संवीक्षा एवं कैल्शियम कार्बाइड की पैकिंग हेतु रिसेप्टेकल्स के टाइप अनुमोदन हेतु प्रस्तावों की संवीक्षा करने का कार्य आता है। इन नियमों एवं सुरक्षा उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा इन परिसरों का निरीक्षण किया जाता है। विस्फोटक नियम 1983 के अन्तर्गत मुख्य कार्य विस्फोटकों का विनिर्माण, विस्फोटकों को प्राधिकृत करना, विस्फोटकों का भण्डारण, विस्फोटकों का आयात / निर्यात, सड़क द्वारा विस्फोटकों का परिवहन एवं विस्फोटकों की पैकेजिंग के लिए अनुमोदन / अनुज्ञप्ति जारी करना एवं विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों के विनिर्माण, जिसमें टूल्स, उपकरण एवं मशीनरी भी शामिल है, हेतु सुरक्षित प्रक्रिया एवं तरीके निर्धारित करना है। जनहित एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा विस्फोटकों से सम्बन्धित दुर्घटनाओं की जांच एवं अप्रयोज्य एवं जब्त विस्फोटकों के विनष्टीकरण का कार्य भी किया जाता है।

गैस सिलेंडर नियम 2004 के अन्तर्गत मुख्य गतिविधियों में सिलेंडर विनिर्माण इकाइयों, वाल्व एवं एलपीजी रेगुलेटरों एवं इन उपकरणों के डिज़ाइन के विनिर्माण हेतु अनुमोदन, गैस भरण प्लान्ट्स, सीएनजी फ्यूलिंग स्टेशनों, सिलेंडर भण्डारण परिसरों एवं सिलिण्डरों एवं वाल्व्स के आयात हेतु अनुज्ञप्ति जारी करना, सिलिण्डरों के भरण हेतु अनुमति जारी करना एवं सिलेंडर परीक्षण स्टेशनों को

मान्यता प्रदान करना आदि शामिल है। यह विभाग सिलेंडर्स / वाल्व्स / रेगुलेटर्स आदि के मानकों के निरूपण में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं सुरक्षा जागरूकता उत्पन्न करने हेतु विभाग द्वारा, उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमोदित / अनुज्ञप्त गैस अधिष्ठापनों, फिलिंग प्लान्ट्स, सीएनजी फ्यूलिंग स्टेशनों, सिलिण्डरों, वाल्व एवं रेगुलेटर विनिर्माण इकाइयों आदि का नियमित सेफ्टी ऑडिट किया जाता है।

स्थिर एवं गतिशील दाबपात्र (अज्ज्वजनशील) नियमों के प्रशासन के सन्दर्भ में विभाग का कार्य दाबपात्र / फिटिंग्स के फेब्रीकेशन शॉप एवं उनके डिज़ाइन के लिए अनुमोदन जारी करना, संपीड़ित गैस के भण्डारण अधिष्ठापनों एवं सड़क द्वारा पात्रों में संपीड़ित गैस के परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना, पात्रों के आयात हेतु अनुमति देना, पात्रों के विनिर्माण एवं मरम्मत के दौरान निरीक्षण एवं प्रमाणन तथा उनके अंतिम जाँच एवं आवधिक जाँच के लिए निरीक्षण एजेन्सियों / सक्षम व्यक्तियों को मान्यता प्रदान करना। विभाग द्वारा अनुज्ञप्तियां / अनुमोदन जारी करते समय सत्यापन / पृष्ठांकन हेतु नए परिसरों का निरीक्षण एवं ऑडिट किया जाता है एवं तत्पश्चात् अनुज्ञप्त / अनुमोदित परिसरों का आवधिक निरीक्षण भी किया जाता है। उक्त कार्य में सेफ्टी ऑडिट, आवधिक जाँच एवं निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा एवं पात्रों, फेब्रीकेटर्स तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियों के कार्य निष्पादन की समीक्षा शामिल है। विस्फोटक, पेट्रोलियम, कैल्शियम कार्बाइड, गैस सिलेंडर्स दाबपात्र एवं अन्य परिसंकटमय वस्तुओं में अग्नि एवं विस्फोट से बचाव के लिए विशेष तकनीकी एवं सुरक्षा पहलुओं की विशेषज्ञता के साथ यह विभाग न केवल उद्योग के लिए बल्कि सरकारी एवं अर्ध-सरकारी संस्थानों जैसे कि बंदरगाह, रेलवे, रक्षा संस्थानों एवं भू-परिवहन, पर्यावरण एवं वन, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालयों एवं प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकारियों आदि के लिए एक विशिष्ट सलाहकार संस्था के रूप में कार्य करता है। पोर्ट बाई-लॉज़, इण्डियन रेड टेरिफ एवं परिसंकटमय वस्तुओं के रेल, सड़क, समुद्र एवं वायु से परिवहन के सम्बन्ध में विनियम के निरूपण में विभाग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गठित केन्द्रीय संकट समूह के सदस्य हैं तथा अन्य अधिकारी राज्य एवं जिला स्तर पर संकट प्रबन्धन समूहों में प्रतिनिधित्व करते हैं। विनिर्माण, परिष्करण, प्रोसेसिंग, भण्डारण, परिवहन, रखरखाव, जाँच, विस्फोटकों की गुणवत्ता विनिर्देश, पेट्रोलियम उत्पाद, पाइपलाइन, गैसों, गैस सिलेंडरों, सेफ्टी फिटिंग्स, विशेष विद्युत उपकरण के सम्बन्ध में भारतीय मानक ब्यूरो, ऑयल इण्डस्ट्री सुरक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद आदि के मानकों के निरूपण एवं परिशोधन में विभाग अग्रणी भूमिका का निर्वहन करता है। विभाग, विस्फोटक वैगनों एवं पेट्रोलियम तथा टैंक वैगनों के डिज़ाइनिंग में आरडीएसओ को आवश्यक मार्गदर्शन भी देता है। आयात एवं निर्यात के उद्देश्य से विस्फोटक एवं पेट्रोलियम का भूमि पर सड़क से एवं जल से, सुरक्षित परिवहन के कार्य पर भी संगठन निगरानी रखता है। वर्ष 2005 में विस्फोटक विभाग का नाम बदलकर पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) कर दिया गया।

पेसो ने पिछले दशक में, हितधारकों के लिए प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, साथ ही कुछ नई अवधारणाओं को अपनाया है और उन्हें सफलतापूर्वक लागू भी किया है। इनमें कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:

1) विस्फोटक रिटर्न सिस्टम, अमोनियम नाइट्रेट रिटर्न सिस्टम (ERS & ANRS) और SETT:

पेसो ने विस्फोटक और अमोनियम नाइट्रेट लेनदेन के लिए लेनदेन की जांच के पश्चात दैनंदिन आधार पर ऑनलाइन एक्सप्लोसिव्स रिटर्न सिस्टम (ईआरएस) और अमोनियम नाइट्रेट रिटर्न सिस्टम (ANRS) विकसित किया है।

अमोनियम नाइट्रेट रिटर्न सिस्टम (ANRS) माँड्यूल में लेनदेन

दि. 01/01/2019 से ईआरएस, विस्फोटक ट्रेकिंग और ट्रेसिंग सिस्टम (SETT) से बदल दिया गया था; और दि. 01/10/2019 से ईआरएस में की गई सभी प्रविष्टियाँ रोक दी गई हैं और विस्फोटकों के लेन-देन से संबंधित सभी प्रविष्टियाँ SETT में की जाएगी। प्रोजेक्ट SETT को हर विस्फोटक के प्रभावी ट्रेकिंग और विस्फोटकों के अंतिम कानूनी स्रोत के लिए फुल-प्रूफ सिस्टम विकसित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। 2डी डेटा मैट्रिक्स बार कोड का उपयोग तीन स्तरों पर किया जा रहा है।

2) जिला प्राधिकारियों के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली (एलएसडीए)

पेसो द्वारा ऑनलाइन लाइसेंसिंग मॉड्यूल के माध्यम से विस्फोटक नियम, 2008 और अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के अंतर्गत सभी अनुज्ञप्तियों का लेनदेन किया जा रहा है और वास्तविक समय के आधार पर लाइसेंस का एक राष्ट्रीय डेटाबेस पेसो द्वारा बनाए रखा जा रहा है। एलएसडीए एक वेब एनेबल्ड एप्लिकेशन है और मैन्युअल रूप से जारी किए गए लाइसेंसों को कंप्यूटरीकृत करने में मदद करता है। पेसो द्वारा पटाखों के निर्माण के लिए अनुज्ञप्ति देने, आतिशबाजी की बिक्री, थोक में पेट्रोलियम का भंडारण (प्रपुंज नहीं) और अनापत्ति प्रमाणपत्र देने के लिए मॉड्यूल विकसित किया जा रहा है।

3) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वयं अनुज्ञप्ति का नवीकरण (ऑनलाइन नवीनीकरण सुविधा):

हितधारकों द्वारा वैधानिक लाइसेंसों के स्व-नवीनीकरण के लिए पेसो द्वारा की गई पहल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। पेट्रोलियम और गैस उद्योग को वैधानिक लाइसेंसों के इस ऑनलाइन नवीनीकरण से अत्यधिक लाभ होगा। यह पूरी तरह से पेपरलेस प्रक्रिया है और लाइसेंस का नवीनीकरण घर बैठे या उनके कार्यालय में माउस के क्लिक के साथ तुरन्त किया जाएगा।

4) फीस का ई-भुगतान

प्रधान मंत्री डिजिटल भुगतान योजना को बढ़ावा देने के लिए; पेसो ने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग सुविधा के माध्यम से हितधारकों द्वारा लाइसेंस शुल्क के भुगतान के लिए ई-पेमेंट गेटवे शुरू किया है।

5) तेजी से वितरण और पारदर्शी लाइसेंसिंग प्रक्रिया के लिए पेसो की पहल

- **फ़र्स्ट इन फ़र्स्ट आउट (फीफो):** लाइसेंसिंग प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए "फ़र्स्ट इन फ़र्स्ट आउट (एफआईएफओ)" आधार पर प्राप्तियों को संसाधित करने के लिए पेसो के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल को बनाया गया है।
- **ई-निवेश:** पेसो की लाइसेंसिंग प्रणाली को प्रधान मंत्री कार्यालय परियोजना मानिट्रिंग समूह के साथ एकीकृत किया गया है। 21 दिनों की समयावधि से अधिक समय से लंबित मामलों की निगरानी समय-समय पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), नई दिल्ली के अंतर्गत मानिट्रिंग निगरानी समूह (पीएमजी) द्वारा की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी आवेदन के निपटान में देरी न हो।
- **ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:** पेसो द्वारा प्रशासित सभी नियमों के तहत प्राप्त आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए पेसो ने विभिन्न ऑनलाइन मॉड्यूल और ई-एप्लीकेशन सुविधाएं विकसित की हैं।

6) पेपरलेस आवेदन और अनुमोदन:

रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के साथ-साथ व्यापार करने में आसानी के लिए; पेसो ने सभी लाइसेंसों के लिए पेपरलेस एप्लिकेशन और अनुमोदन प्रक्रिया शुरू की है। आज की तारीख तक पेसो द्वारा जारी किए गए लाइसेंसों में से 79% को पेपरलेस कर दिया गया है।

7) ऑनलाइन प्रमाण पत्र जनरेट करना:

सक्षम व्यक्तियों द्वारा जारी किए गए परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणपत्रों को ऑनलाइन जनरेट करना:

पेसो ने क्रमशः पेट्रोलियम नियम और एसएमपीवी (यू) नियम, 2016 के तहत सक्षम व्यक्तियों द्वारा टैंक परीक्षण प्रमाणपत्र, सुरक्षा प्रमाणपत्र, सुरक्षा वाल्व प्रमाणपत्र और हाइड्रो परीक्षण प्रमाणपत्र ऑनलाइन जनरेट करने के लिए यह सुविधा बनाई गई है। पेसो द्वारा मान्यता प्राप्त फ़ैब्रिकेटर्स द्वारा ऑनलाइन प्रारूप में पेट्रोलियम रोड टैंकरों के लिए निर्माण प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं।

आरई-13 रिटर्न फॉर्म:

रिटर्न फॉर्म आरई -13 को पेसो द्वारा चोरी और विस्फोटकों के गलत उपयोग से बचने के लिए बनाया गया था। पेसो द्वारा अनुमोदित शॉट फायरर या डीजीएमएस अनुमोदित ब्लास्टर द्वारा विस्फोटकों के उपयोग से पहले फॉर्म ऑनलाइन जनरेट होता है।

पब्लिक डोमेन:

पेसो ने वास्तविक समय के आधार पर आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए हितधारकों के लिए सार्वजनिक डोमेन सुविधा शुरू की है। पेसो द्वारा प्रदान की गई सभी 46 सेवाओं में सार्वजनिक डोमेन के तहत कवर किया गया है।

8) वैकल्पिक और ग्रीन फ्यूल:

• **गैस सिलेंडर नियम, 2016 के तहत:**

पेसो ने मौजूदा पेट्रोलियम ईंधन के विकल्प के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस और संपीड़ित बायो गैस की शुरुआत की है। कृषि, पशु अपशिष्ट से उत्पन्न बायो गैस ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में मदद करेगी। पेसो ने हाइड्रोजन-सीएनजी के मिश्रण की अनुमति दी है जिसमें 18% मात्रा हाइड्रोजन और बाकी सीएनजी को ऑटोमोबाइल के रूप में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाना है। ऐसे एच-सीएनजी मिश्रण को ट्रायल पर ईंधन के रूप में अनुमत्य है।

• **स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 2016 के तहत:**

पेसो ने मौजूदा पेट्रोलियम ईंधन में वैकल्पिक ईंधन के रूप में ऑटो एलपीजी और ऑटो एलएनजी को प्रस्तुत किया है। ये ईंधन प्रदूषण को कम करने में मदद करेंगे।

• **पेट्रोलियम नियम, 2002 के तहत:**

प्रधान मंत्री के इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए पेसो द्वारा, पेट्रोलियम वर्ग क उत्पादों के साथ इथेनॉल के भंडारण, परिवहन और सम्मिश्रण के लिए लाइसेंस किया जा रहा है।

• **इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन / बैटरी चार्जिंग / स्वैपिंग स्टेशन:**

नीति आयोग के निर्देशों के अनुसार, पेसो ने रिटेल आउटलेट्स पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग / चार्जिंग स्टेशन की अनुमति दी है। आज तक 110 से अधिक स्टेशन परिचालन में हैं।

• **सौर पैनलों की स्थापना:**

पेसो ने खुदरा दुकानों के बिक्री कक्ष और पेट्रोलियम भंडारण डिपो, एलपीजी बॉटलिंग संयंत्रों और अन्य भवनों के डी-लाइसेंस वाले क्षेत्रों में सौर पैनलों की स्थापना की अनुमति दी है। यह अक्षय ऊर्जा के उपयोग में मदद और ऊर्जा उत्पादन के लिए पारंपरिक ईंधन के उपयोग का बंद करेगा।

• **ईंधन की डोर टू डोर डिलीवरी:**

भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप, पेसो ने पेट्रोलियम वर्ग ख के लिए डोर टू डोर डिलीवरी की शुरुआत की है। यह सुविधा भारत में स्टार्ट अप के बीच एक बड़ी सफलता है। लोडिंग और पार्किंग

की सुविधा के साथ 200 से अधिक रिटेल आउटलेट्स प्रदान किए गए हैं और 100 रिफ्यूजर्स पूरे भारत में परिचालन में हैं।

• **UDAAN- रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम:**

रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को बढ़ावा देने और नए विमान पतन शुरू करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी की पहल के अनुरूप, पेसो ने विमान पतन पर बनाए जाने वाले डबल वॉल्ट बंडल टैंकों को मंजूरी दी है। ऐसे सभी स्थानों पर जहां भंडारण टैंक का निर्माण किया जा रहा था, ईंधन भरने की सुविधा चल रही है; पेसो ने पेट्रोलियम रोड टैंकों से रिफ्यूलर्स तक विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) के प्रत्यक्ष हस्तांतरण की भी अनुमति दी है।

पेसो द्वारा नई तकनीक प्रस्तुत:

- खुदरा दुकानों से प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप; पेसो ने रिटेल आउटलेट्स, स्टोरेज डिपो आदि पर वेपर रिकवरी सिस्टम की स्थापना की अनुमति दी है। वेपर रिकवरी सिस्टम की आवश्यकताओं के अनुरूप पेट्रोलियम रोड टैंकों के हार्ड वेयर को भी संशोधित किया गया।
- पेसो ने बॉटम लोडिंग पेट्रोलियम रोड टैंकर और पेट्रोलियम रोड टैंकों के बॉटम लोडिंग फिटिंग को मंजूरी दी है। ऐसे टैंकर वेपर रिकवरी सिस्टम के लिए उपयुक्त हैं।
- पेट्रोलियम रोड टैंकों से पेट्रोलियम उत्पादों की चोरी को रोकने के लिए; पेसो ने रोड टैंकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग उपकरणों को मंजूरी दी है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों का पेसो द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जाता है और खतरनाक क्षेत्रों में उपयोग के लिए पेसो द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
- पेसो ने संपीड़ित गैसों को परिवहन करने वाले मोबाइल दाबपात्रों के लिए आंतरिक अतिरिक्त प्रवाह वाल्व का सूत्रपात किया है। आंतरिक प्रकार के वाल्व, वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में कंप्रेस्ड गैसों के रिसाव को ब्लाक करता है।
- पेसो ने एलपीजी और कच्चे तेल के भूमिगत कैवर्न भंडारण को मंजूरी दी है।
- धातु के अलावा सिलेंडर का परिचय: धातु सिलेंडर के अलावा पेसो द्वारा संपीड़ित गैस के भंडारण के लिए फाइबर वेष्टित और एल्यूमीनियम सिलेंडर को मंजूरी दी जा रही है।
- पाइपलाइनों के माध्यम से क्लोरीन के परिवहन के लिए दिशानिर्देश : पेसो और रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय ने दि. 02.07.2019 को पाइपलाइनों के माध्यम से क्लोरीन के परिवहन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

9) **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना:**

माननीय प्रधान मंत्री जी की पहल, प्रत्येक घर के लिए एलपीजी सिलेंडर, को बढ़ावा देने के लिए, पेसो ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- **एलपीजी के आयात और भंडारण की अनुमति:** बंदरगाहों के परिसर में द्रव रूप में एलपीजी के भंडारण के लिए पेसो ने एमएसआईएचसी नियमों के तहत परिसर को मंजूरी दी है। पेसो द्वारा एलपीजी उतारने के लिए जेटी और एलपीजी के परिवहन के लिए पाइपलाइनों को अनुमोदित किया गया है।
- **चौबीसों घंटे एलपीजी बॉटलिंग प्लांट के संचालन की अनुमति:** ऐसे एलपीजी बॉटलिंग प्लांट जो नियमों के सभी प्रावधानों का पालन करते हैं और जहां पर्याप्त प्रकाश की सुविधा है, ऐसे बॉटलिंग प्लांट को चौबीसों घंटे संचालित करने की अनुमति दी गई है।
- **निजी कंपनियों द्वारा एलपीजी की बॉटलिंग:** पेसो ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के अलावा निजी कंपनियों को एलपीजी के भंडारण और बॉटलिंग की अनुमति दी।

- **सिलेंडर निर्माण इकाइयाँ:** पेसो ने एलपीजी के बॉटलिंग के लिए भारत भर में सिलेंडर और वाल्व निर्माण इकाइयों को मंजूरी दी है।
- **100 किलोग्राम तक के एलपीजी सिलेंडर की बिक्री:** पेसो ने किराना स्टोर, रिटेल आउटलेट्स और जनरल स्टोर्स से बिक्री के लिए 5 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर के भंडारण के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- **अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रावधान में रियायत:** ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण शेडों के आसान और तेजी से स्थापित करने के लिए नए एलपीजी भंडारण शेड की स्थापना के लिए जिला प्राधिकरण द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रावधानों को छूट दी गई थी।

11) नियमों में संशोधन:

- स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981 को निरस्त कर स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 2016 को अधिसूचित किया गया। ऑटो एलएनजी को ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में प्रस्तुत करने के लिए और ऑटो एलपीजी परिसर के लिए एनओसी की आवश्यकताओं में छूट देने के लिए नियमों में और संशोधन किया गया।
- गैस सिलेंडर नियम, 2004 निरस्त कर दिए गए और गैस सिलेंडर नियम, 2016 अधिसूचित किए गए। ऑटो एलएनजी को शुरू करने और एलपीजी भंडारण शेड और सीएनजी वितरण परिसर के लिए एनओसी की आवश्यकताओं को छूट देने के लिए नियमों को और संशोधित किया गया।
- पोर्टेबल सर्विस स्टेशनों और ईंधन की डोर टू डोर डिलीवरी के लिए पेट्रोलियम नियम, 2002 में संशोधन किया गया।
- अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 में लाए गए थे और अमोनियम नाइट्रेट शेड की भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए 1 टन/मी² से 1.5 टन/मी² तक बढ़ाया गया था।
- जिला प्राधिकरण द्वारा जारी लाइसेंस की क्षमता को 25 किलोग्राम से बढ़ाकर 50 किलोग्राम करने के लिए विस्फोटक नियम, 2008 में संशोधन किया गया। प्रदर्शन पटाखों, पटाखों की दुकानों आदि की शुरुआत के लिए विस्फोटक नियमों में और संशोधन प्रस्तावित है।

12) सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस):

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को भारत सरकार की सभी योजनाओं के तहत जारी किए गए धन पर नज़र रखने के लिए और प्लान और नॉन प्लान योजनाओं के अंतर्गत कार्यक्रम के कार्यान्वयन और लाभार्थियों को प्रत्यक्ष भुगतान के सभी स्तरों पर खर्च की वास्तविक समय रिपोर्टिंग, हेतु, लेखा महानियंत्रक कार्यालय (CGA) द्वारा विकसित और कार्यान्वित किया गया है।

13) सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM):

वाणिज्य मंत्रालय ने सरकार के लिए एक खुला और पारदर्शी खरीद मंच बनाने के उद्देश्य से, अगस्त 2016 में सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM), सार्वजनिक खरीद के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।

14) पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा सेवाओं के परीक्षण के लिए राष्ट्रीय अकादमी:

पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन का पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा राष्ट्रीय अकादमी और परीक्षण केंद्र, आवश्यक वैधानिक परीक्षणों के साथ-साथ पेसो के अधिकारियों, कर्मचारियों और हितधारकों के प्रशिक्षण के लिए स्थापित किया गया है।

(कार्यालय के पूर्व अधिकारियों के लेखों से संकलित)

ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952

की 70 वी वर्षगांठ पर टेक्निकल लेख



डॉ.मोहम्मद इकबाल जफ़र अंसारी
संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक,
केन्द्रांचल भोपाल

आपको यह जानकर हर्ष होगा कि, भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने भारत के आजादी के पांच वर्षों बाद इस अधिनियम को पहली बार दिनांक 06 मार्च 1952 को विनियमित किया जिसे पूर्ववर्ती डीआईपीपी द्वारा अधिसूचित किया गया तथा बाद में कैबिनेट सेक्रेटरीयट द्वारा एसओ 599(ई) के तहत 138 वे संशोधन के साथ इसे एलोकेशन ऑफ़ बिजनेस रूल्स, 1979 के द्वितीय शेड्यूल में शामिल किया गया इसके तहत इसे पूर्ववर्ती पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत रसायन एवं उर्वरक विभाग के अंतर्गत ग्यारहवे नंबर पर मौजूदा प्रविष्टियों के स्थान पर रख कर अधिसूचित किया गया जो कि भारत के राजपत्र संख्या 429 के भाग II खंड -3 तथा उपखंड(ii) के असाधारण प्रकाशन में भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्री नीलम संजीव रेड्डी द्वारा अनुमोदित है।

आइये अब हम इस अधिनियम के तकनीकी पहलुओं पर चर्चा करते हैं। इस अधिनियम का संख्यांक 20 है तथा इसमें कुल 7 कतिपय पदार्थों के बारे में यह घोषणा की गयी है की ये खतरनाक रूप से ज्वलनशील है और उन पर पेट्रोलियम अधिनियम 1934 और तदधीन बने नियमों को लागू करके उनके आयात, परिवहन, भंडारण और उत्पादन के विनियमन की व्यवस्था करने के लिए कुल सात धाराओं का उल्लेख है। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, धारा 2 में परिभाषाएं तथा धारा 3 में कतिपय पदार्थों के खतरनाक रूप से ज्वलनशील होने के संबंध में कुल 7 प्रकार के द्रव तथा उनके पदार्थ वर्णित हैं - 1. एसीटोन, 2. कैल्शियम फोस्फाईड, 3. कैल्शियम का कार्बाइड, 4. नायट्रो सेलुलोज आधार वाली चलचित्र फिल्में, 5. एथिल एल्कोहेल, 6. मेथिल अल्कोहल, 7. काष्ठ नैफथा।

धारा 4 में पेट्रोलियम अधिनियम को खतरनाक रूप से ज्वलनशील पदार्थों पर लागू करने की केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों का उल्लेख है। धारा 5 में कतिपय अधिसूचनाओं और नियमों का प्रवर्तन - अप्रैल 1937 के प्रथम दिन और इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख के बिच पेट्रोलियम अधिनियम की धारा 30 के अधीन जारी की गयी अधिसूचनायें या नियम इस अधिनियम के तहत समझे जायेंगे। धारा 6 में कतिपय कार्यों की विधिमान्यता और उनके बाबत क्षतिपूर्तियों के संबंध में कार्यपालक प्राधिकारी या सरकार के किसी अधिकारी द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन या अन्यथा सरकार के किसी आदेश के अनुसार अनुसरण में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी ज्वलनशील पदार्थ के बाबत किये गए कार्य, कार्यवाही या दण्डादेश पेट्रोलियम अधिनियम के अधीन किये गए या दिए गए थे, उसी प्रकार विधिमान्य और प्रवर्तनशील माने जाने का उल्लेख है। तथा अंत में धारा 7 के तहत तकनीकी कारणों से निरसन और संशोधन अधिनियम, 1957 की धारा 2 और पहली अधिसूची द्वारा निरस्त की गयी हैं।

इस प्रकार दिनांक 06 मार्च 1952 से इस अधिनियम को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागू किया गया और आज इसकी 70 वी वर्ष गाँठ पर इसे विस्फोटक दर्पण के पाठको हेतु इसे हिन्दी में सरलता से समझाने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि पाठक इसे पसंद करेंगे तथा इस संबंध में वे अपना फीडबैक मेरे ईमेल mansari@explosives.gov.in पर प्रेषित करेंगे तो मुझे अति प्रसन्नता होगी।



मृदुल कुमार पाण्डेय
उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर

न किसी से कुछ मांगना है
न किसी से कुछ कहना है,
जीवन के इस मार्ग में केवल
अपने कर्तव्य पथ पर ही चलते रहना है।

आज न जाने किस चीज की तलाश है
असंतुष्ट लोग इधर से उधर भटकते हैं,
चाह व कामना से लिप्त ये चेहरे
परिश्रम के बिना ही सब पाने को आतुर हैं।

यह तो संभव ही नहीं लगता,
शाश्वत सत्य तो निरंतर चलता है,
हमें अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर आना होगा

तभी जीवन को गति मिल सकेगी। संसार में अच्छा यही है कि हम
सृष्टि के विधानों के अनुरूप ही चलें,
सृजन व विनाश दोनों को स्वीकारते हुए
जीवन यात्रा को कर्तव्य से सफल बनाते रहें।

"भाषा और राष्ट्र में बड़ा घनिष्ठ संबंध है।" - (राजा) राधिकारमण प्रसाद सिंह।



प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, महामारी से जूझते हुए अपनी जान गंवा देने वाले लोगों को स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के कारण जो संकट उभर कर सामने आया है, वह अप्रत्याशित है, लेकिन इस लड़ाई में हमें न केवल अपनी रक्षा करने की जरूरत है, बल्कि निरंतर आगे भी बढ़ते रहना होगा।

आत्मनिर्भर भारत

कोविड काल से पहले और बाद की दुनिया का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के सपने को पूरा करने के लिए यह सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ना है कि देश आत्मनिर्भर हो जाए। संकट को एक अवसर में बदलने की बात कहते हुए उन्होंने पीपीई किट और एन-95 मास्क का उदाहरण दिया, जिनका भारत में उत्पादन लगभग नगण्य से बढ़कर 2-2 लाख पीस प्रतिदिन के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भूमंडलीकृत दुनिया में आत्मनिर्भरता के मायने बदल गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब भारत आत्मनिर्भरता की बात करता है, तो वह आत्मकेंद्रित व्यवस्था की वकालत नहीं करता है। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति दुनिया को एक परिवार के रूप में मानती है, और भारत की प्रगति में हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया को भरोसा है कि संपूर्ण मानवता के विकास में भारत का काफी योगदान है।

आत्मनिर्भर भारत के पांच स्तंभ

भूकंप के बाद कच्छ में मची तबाही को स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दृढ़ संकल्प की बदौलत यह क्षेत्र फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठीक इसी तरह के दृढ़ संकल्प की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत इन पांच स्तंभों पर खड़ा होगा: अर्थव्यवस्था, जो वृद्धिशील परिवर्तन नहीं, बल्कि लंबी छलांग सुनिश्चित करती है; बुनियादी ढांचा, जिसे भारत की पहचान बन जाना चाहिए; प्रणाली (सिस्टम), जो 21वीं सदी की प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्थाओं पर आधारित हो; उत्साहशील आबादी, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है; और मांग, जिसके तहत हमारी मांग एवं आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाइ चेन) की ताकत का उपयोग पूरी क्षमता से किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग बढ़ाने के साथ-साथ इसे पूरा करने के लिए भी आपूर्ति श्रृंखला के सभी हितधारकों को मजबूत करने के महत्व को रेखांकित किया।

आत्मनिर्भर भारत अभियान

प्रधानमंत्री ने एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की और आत्मनिर्भर भारत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कोविड संकट के दौरान सरकार द्वारा इससे पहले की गई घोषणाओं और आरबीआई द्वारा लिए गए निर्णयों से जुड़ी राशि को मिला देने पर यह पैकेज 20 लाख करोड़ रुपये का है, जो भारत की जीडीपी के लगभग 10% के बराबर है। उन्होंने कहा कि यह पैकेज 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काफी सहायक साबित होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पैकेज भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों पर भी फोकस करेगा। यह कुटीर उद्योग, एमएसएमई, मजदूरों, मध्यम वर्ग, उद्योगों सहित विभिन्न वर्गों की जरूरतों को पूरा करेगा। उन्होंने

बताया कि पैकेज का विवरण वित्त मंत्री द्वारा कल से ही आने वाले कुछ दिनों तक पेश किया जाएगा। पिछले छह वर्षों में लागू किए गए जैम ट्रिनिटी जैसे सुधारों के सकारात्मक प्रभाव के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई साहसिक सुधारों की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में कोविड जैसे संकट को कोई भी प्रभाव पड़ने से बचा जा सके। इन सुधारों में कृषि के लिए आपूर्ति श्रृंखला संबंधी सुधार, तर्कसंगत कर प्रणाली, सरल एवं स्पष्ट कानून, सक्षम मानव संसाधन और एक मजबूत वित्तीय प्रणाली शामिल हैं। ये सुधार कारोबार को बढ़ावा देंगे, निवेश को आकर्षित करेंगे एवं 'मेक इन इंडिया' को और भी अधिक मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता देश को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी, और यह आवश्यक है कि देश इस प्रतिस्पर्धा में अवश्य ही जीत हासिल करे। पैकेज तैयार करते समय इसे भी ध्यान में रखा गया है। यह न केवल विभिन्न सेक्टरों में दक्षता बढ़ाएगा, बल्कि गुणवत्ता भी सुनिश्चित करेगा।

देश में इनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पैकेज संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों के गरीबों, मजदूरों, प्रवासियों इत्यादि को सशक्त बनाने पर भी फोकस करेगा। उन्होंने कहा कि संकट ने हमें लोकल (स्थानीय या स्वदेशी) विनिर्माण, लोकल बाजार और लोकल आपूर्ति श्रृंखलाओं के विशेष महत्व को सिखा दिया है। संकट के दौरान हमारी सभी जरूरतें 'स्थानीय स्तर पर' यानी देश में ही पूरी हुईं। उन्होंने कहा कि अब लोकल उत्पादों का गर्व से प्रचार करने और इन लोकल उत्पादों को वैश्विक बनाने में मदद करने का समय आ गया है।

कोविड के साथ जीना

प्रधानमंत्री ने कहा कि कई विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों का मानना है कि वायरस लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बनने वाला है। हालांकि, इसके साथ यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि हमारा जीवन केवल इसके इर्द-गिर्द ही न घूमता रहे। उन्होंने मास्क पहनने और 'दो गज की दूरी' बनाए रखने जैसी सावधानियां बरतते हुए लोगों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर काम करने के लिए प्रेरित किया। लॉकडाउन के चौथे चरण के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका स्वरूप अभी तक देखे गए स्वरूपों से बिल्कुल अलग होगा। उन्होंने कहा कि राज्यों से प्राप्त सुझावों के आधार पर नए नियमों को तैयार किया जाएगा, और इस बारे में जानकारी 18 मई से पहले दे दी जाएगी।

(विभिन्न स्रोतों से संकलित)

**“भारत देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएंगे,
स्वतंत्रता दिवस पर आजादी महोत्सव मनाएंगे...”**

विकास बनाम विनाश



श्रीमती सीमा दीक्षित (पत्नी)
डा. सुबोध कुमार दीक्षित
विस्फोटक नियंत्रक, आगरा

विकास विकास और बस केवल विकास, बस यही शब्द हमें अपने चारों ओर सुनाई देते हैं। देश का विकास होना चाहिए, अर्थव्यवस्था विकसित होनी चाहिए। राजनीति में भी विकास की बातें यदा-कदा उठती ही रहती हैं। मानव का जीवन ही विकास की अंतहीन कहानी है।

आज हर कोई विकसित होना चाहता है और देश दुनिया मानव विकास की एक ऐसी अंधी गुफा में दौड़ी जा रही है जिसके मुहाने पर केवल विनाश ही विनाश है। आखिर हम कैसा विकास चाहते हैं और उस विकास की हमें कौन सी कीमत चुकानी पड़ रही है यह आज हमारे सामने एक बड़ा प्रश्नचिह्न है, जिसका उत्तर शायद कोई भी नहीं देना चाहता है।

विकास के नाम पर चारों ओर प्रकृति का हनन, जरूरत से ज्यादा दोहन ने हमारे पर्यावरण को जितना नुकसान पहुँचाया है उसकी कीमत आंकना लगभग असंभव है। प्रकृति ने इंसान को वह सब कुछ दिया है जिसकी मानव जीवन को आवश्यकता है लेकिन प्रकृति, मानवीय हवस और लालच की पूर्ति कैसे करे ? समय-समय पर प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती रहती है और यह समझाने का भरसक प्रयास करती है कि इंसान की विकास की इस भूख ने प्रकृति के आवरण को तहस-नहस कर दिया है और अगर इंसान अभी भी ना संभला तो होने वाले विनाश की कल्पना भी असंभव है।

आइए प्रकृति के इशारों को समझने का प्रयास करते हैं -

लगभग साल भर पहले की दुर्घटना का जिक्र बहुत ही प्रासंगिक है। 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के पहाड़ों का सब्र टूट गया और चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से जो तबाही आई उसे शब्दों में समझाना असंभव है। ग्लेशियर कि मुहाने पर बांध और बांध के लिए जब सुरंगें बनाई जाएंगी तो ऐसे ही होगा और अंधेरी सुरंगों में विकास की रोशनी ढूँढते रह जाएंगे। सात साल पहले भी केदारनाथ की त्रासदी में बहुत तबाही हुई थी अगर उसी समय चेत जाते तो शायद इस तबाही से बचा जा सकता था। वनों की अंधाधुंध कटाई ने जो संकट खड़ा किया है उसे समझने को कोई तैयार नहीं, बंजर होती जमीनें, सूखते कुँए, सिकुड़ती नदियाँ, पानी को लेकर होने वाले दंगे फसाद मात्र एक बानगी है कि सच में तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए ही लड़ा जाएगा।

एक छोटी सी कल्पना करिए कि आप एक ऐसे घर में हैं जहां हर तरफ सुख सुविधाएं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, बहुत सारी खाद्य सामग्री - सब कुछ, सिवाय पानी के। क्या आप रह सकते हैं ऐसे घर में ? फिर क्यों पानी के स्रोतों को नष्ट कर रहे हैं, पानी को बर्बाद कर रहे हैं ? हम सभी को मालूम है कि जितनी भी सभ्यता विकसित हुई वह सभी नदियों के तट पर ही पनपी चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, सिंधु घाटी की सभ्यता हो या मेसोपोटामिया की सभ्यता। मानव जीवन की

उत्पत्ति ही जल से हुई है और शरीर का 70% हिस्सा भी जल ही है, तो बिना जल के कैसे रह सकते हैं ?

जंगलों का सिकुड़ता आकार और उनका स्थान लेता कंक्रीट का जंगल पूरे पर्यावरण को बर्बाद कर रहा है। वातावरण में गर्मी बढ़ती ही जा रही है, मार्च के महीने में मई की गर्मी का एहसास हो रहा है। ऐसा होगा भी, क्योंकि पेड़ और जंगल तो बचे ही नहीं जो शुद्ध ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं। बाढ़ के साथ आती तबाही भूकंप से कांपती धरती, दरखती इमारतों और बिलखती जिंदगी एक बार ये प्रश्न जरूर खड़ा कर रहे हैं कि आखिर प्रकृति हमसे नाराज क्यों है और इसके प्रकोप से कैसे बचा जा सकता है ? दिनों दिन बढ़ती प्राकृतिक आपदाएँ एक तरह से हमें चेतावनी दे रही हैं कि संभल जाओ अन्यथा प्रकृति के प्रहार से बच नहीं पाओगे।

इस लेख का यह आशय नहीं है कि हमें जंगलों में चले जाना चाहिए और विकसित सभ्यता और व्यवस्था से दूर हट जाना चाहिए। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रकृति सर्वोपरि है। प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ हमेशा घातक ही सिद्ध होता है। प्रकृति को हम जो देते हैं, वह हमें उसका कई गुणा करके लौटाती है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम प्रकृति को देते क्या है?

अगर हम सब इसी तरह से विकास की अंधी दौड़ में दौड़ते रहे तो याद रखियेगा हमारी आने वाली पीढ़ी पीने के पानी की बोतल के साथ-साथ एक छोटा सा ऑक्सीजन का सिलेंडर भी अपनी पीठ पर लटका कर चलेगी क्योंकि हम तो सुधरना ही नहीं चाहते हैं, हमें तो बस विकास चाहिए बस विकास चाहे विनाश की कीमत पर ही क्यों ना हो।

"भाषा विचार की पोशाक है।" - डॉ. जानसन



पेसो, नागपुर में हिन्दी पखवाडा वर्ष 2020 के पुरस्कृत निबंध

प्रथम पुरस्कार- श्री गौतम कुमार,
अ.श्रे.लि., नागपुर

विषय:- "मन के हारे हार है, मन के जीते जीत"

मनोविज्ञान की दृष्टि से चेतना पत्थर में सोती है, वनस्पति में जागती है, पशु में चलती है मनुष्य में चिंतन करती है अतः चिंतन करना मनुष्य की पहचान है और इस चिंतन का संबंध मनन से है, जो मन की शक्ति के रूप में निहित होती है। मन के जुड़ने से असंभव से लगने वाले कार्य भी सरलता से संपन्न हो जाते हैं मन के हारने से बड़े-बड़े दृढ़ संकल्प भी धाराशायी हो जाते हैं। संकल्प शक्ति का वह अचूक हथियार है, जिससे विशाल सशस्त्र सेना को आसानी से पराजित किया जा सकता है।

मन की इसी आंतरिक शक्ति के दम पर मानव में इसी विविधतापूर्ण एवं शक्तिशाली प्रकृति को अपने नियंत्रण में लिया है। मन के शक्ति के बल पर मनुष्य ने आकाश की उंचाई एवं पताल की गहराई मापी है। प्रकृति से संघर्ष करते हुए उसने अपने लिए उन सभी सुविधाओं को जुटाया है, जो उसकी कल्पना शक्ति में साकार हो सकें।


जीवन में कभी भी मन को कमजोर मत होने दीजिए मौलाना अहमद ने लिखा है- मोर को चमन की जुस्तजू नहीं होगी। वह जहां भी अपने पंख खोल देता है, एक चमनिस्तान खिल उठता है। मन में दृढ़ संकल्प एवं उत्साह रखने वाले व्यक्तियों ने दुनिया के असंभव कार्यों को भी संभव कर दिया जो कल्पनाओं से परे है विद्वान व्यक्तियों का जीवन उनकी दृढ़ मानसिकता का प्रतीक है। 8 वर्ष में एक भीषण दुर्घटना के कारण पैरों का सारा मांस जल जाने के बावजूद डॉ ग्लेन किनघंम अपनी संकल्प शक्ति के बल पर ही तेज धावकों में शामिल हुए और 1500 मी. की ओलंपिक दौड़ में सिल्वर जीता था।

असफलताएं जीवन प्रक्रिया का स्वाभाविक अंग होती हैं। दुनिया में ऐसा व्यक्ति हो सकता जिसने असफलता का स्वाद न चखा हो? महान व्यक्ति केवल वही बनते हैं जो अपनी असफलता प्राप्त करने का अनिवार्य हिस्सा बना लेते हैं। असफलताओं से घबराए बिना वे तब तक लक्ष्य प्राप्ति के लिए ईमानदारी पूर्वक प्रयत्न करते रहते हैं जब तक वास्तव में असफलता मिल नहीं जाती। उन्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है, वे कभी हार नहीं मानते। अतः हमें कभी भी अपने जीवन से निराश नहीं होना चाहिए।

“ कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा।”

एक बार कैदी को जज ने कोबरा सांप से कटवाने की सजा सुनाते हैं। अगले दिन ही कैदी को कुर्सी पर बैठा कर आंखों में काली पट्टी बांधकर बैठा दिया गया। और पिन से दो बार चुभा दिया गया हाथ में कुछ ही देर में कैदी मर गया। पोस्टमार्टम जब हुआ तो कोबरा सांप का जहर पाया गया। इसका मतलब साफ था कि वह कैदी मन में मान लिया था कि वह कोबरा सांप से नहीं बच पायेगा। इसीलिए मन के हारे हार है मन के जीते जीत।

द्वितीय पुरस्कार- श्री के.जी. पानतावणे,
का.अ., नागपुर



‘पढ़ोगे लिखोगे होंगे खराब, खेलोगे, कूदोगे बनोगे नवाब’... आश्चर्य होता है कि जिस देश में यह सोच वाली विचारधारा थी उस देश का, विश्व के खेल महाकुंभ में प्रदर्शन इतना निराशाजनक क्यों है?

एक हॉकी का स्वर्णिम दौर को छोड़ दें तो उपलब्धि के नाम पर उंगली पर गिने जाने वाले पदक हैं। स्वतंत्र भारत के पहले पदक विजेता खाशाबा जाधव, जिन्होंने 1952 के ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाया तब से इस वर्ष समाप्त हुए खेलों तक देखा जाए तो हम मुंह जबानी पदक विजेताओं के नाम गिना सकते हैं। आखिर क्या बात है कि हम खेलों में पिछड़ जाते हैं। भारत के कुछ राज्यों को छोड़ दें तो बहुत से राज्यों से खेलों में प्रतिनिधित्व के नाम पर बहुत कम नाम सामने आते हैं।

मेरी समझ से इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि स्कूली शिक्षा से इसकी शुरुआत की जानी चाहिए। हर मां-बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर कुछ पैसा कमाएगा इस सोच के विपरीत जाकर भी बालकों की सोच बदलने में शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करने होंगे। यह विश्वास जगें कि अगर स्कूली शिक्षा में कमतर हो बच्चा तो वह जो भी करेगा उससे उसका भविष्य खराब ना होगा। अगर वह खेल-कूद में अच्छा है, अगर वह सांस्कृतिक कामों में दिलचस्पी लेता है, अगर वह चित्रकारी में अपना भविष्य देखना चाहता है तो उसकी शुरुआत ही स्कूल स्तर पर ही उसका हुनर पहचानकर उसके भविष्य की दिशा तय करने में प्रणाली सक्षम हो। मां-बाप को विश्वास हो कि बच्चा स्कूल से पढ़कर आने पर यह न कहना पड़े कि जाओ पढ़ाई करो, बच्चा स्वयं अपने इच्छानुसार अपने काम को करता रहे। खेलों के प्रति सामाजिक संज्ञान भी एक विशिष्ट खेल को छोड़ दिया जाए तो बड़ा ही भेदभावपूर्ण है। बच्चे से बच्चा तथा बुजुर्ग से बुजुर्ग को भी क्रिकेट के ‘भगवान’ और न जाने कितने नायकों के नाम याद रहते हैं। लेकिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक, रजत पदक किसने किस खेल में दिलाया यह तो जानते ही नहीं हैं।

अगर भारत का प्रदर्शन खेलों में बढ़ाना है तो उस तरह का वातावरण पूरे देश में बनाना होगा न सिर्फ ओलंपिक तथा दूसरे खेलों के आयोजन के वक्त जैसे बच्चों को पढ़ाई के लिए बोलते हैं वैसे ही उनको खेलों के प्रति भी सजग करना होगा।

माना आज के स्पर्धात्मक युग में पढ़ाई आवश्यक है लेकिन ऐसे भी उदाहरण हैं जिससे यह साबित होता है कि खेलों में हुनर निखारने के लिए शैक्षणिक पात्रता गौण है। अगर हम इस दिशा में कुछ बदलाव कर सकते हैं तो बहुत ही सकारात्मक दृश्य हम देख सकते हैं। जैसे हाल ही में संपन्न हुए ओलंपिक तथा पैराओलंपिक खेलों में हमने अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है।



तृतीय पुरस्कार- श्रीमती माधुरी डांगरे,
सहायक, नागपुर

मन के हारे हार है मन के जीते जीत

मन के हारे हार है मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइए मन ही की परतीत। संत कबीर जी ने कहा है कि जीवन में जय-पराजय केवल आशा-निराशा यह सब मन के भाव हैं। जैसा हमारा मन सोचता है वैसे ही शरीर की इन्द्रियां कार्य करती हैं। अगर मन ने सोच लिया कि यह कार्य करना संभव नहीं है तो उस कार्य में हमारी हार निश्चित है। इसलिए किसी कार्य को करने के लिए, मंजिल पाने के लिए मन में उमंग, उत्साह होना बहुत जरूरी है। हम कार्य करते-करते कई बार थकते हैं, लेकिन अंत में जब वह कार्यपूर्ण होता है, तो हमारी जीत के रूप में हमें मंजिल मिलती है, उसकी खुशी कई गुना होती है। इसीलिए आपकी जीत या हार कोई और नहीं बल्कि खुद पर निर्भर होती है। दुनिया आपको कैसे देखती है यह महत्वपूर्ण नहीं है, किन्तु आप खुद को कैसे देखते हैं यह ज्यादा महत्वपूर्ण है।

मनुष्य का मन प्रायः चंचल होता है। वह काफी बलवान होता है। उसकी गति प्रकाश से भी काफी तेज होती है। कभी-कभी मनुष्य के मन में अच्छे तो कभी बुरे, कभी सकारात्मक, कभी नकारात्मक ऐसे सैकड़ों विचार आते रहते हैं। यदि मनुष्य अपने मन को अपने वश में ना कर पाता तो मन उसे व्यर्थ विचारों में उलझा देता है। इस कारण मनुष्य खुद को तनावग्रस्त और चिड़चिड़ेपन का अनुभव करता है। मन की अस्थिरता एक सामान्य स्थिति है। किन्तु इस अस्थिर मन को सही दायरे में स्थिर रखना यह मनुष्य का प्रथम कार्य है। आप उसे रोक नहीं सकते। किन्तु मन को आप काबू में जरूर रख सकते हो। हारवर्ड मेडीकल सायन्स के हारवर्ड बेनसन ने इस विषय पर अपनी परिभाषा प्रस्तुत की थी। मन एक बलवान तत्व है। वह मन को शरीर के सभी अंगो-इंद्रियों, हाथ, पैर, नाक-कान, तथा सभी जड़ चेतन जैसे सभी मन के सोचने से ही सभी इन्द्रिय कार्य करते हैं। इसलिए मन में अच्छा सोचना बहुत जरूरी है। सकारात्मक सोच ही मनुष्य का विकास, प्रगति कराता है। हर पल एक परीक्षा जीवन नहीं किसी का मीत, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। स्वप्न सलोना टूट भी जाए मन ना हो भयभीत, मन के हारे हार है मन के जीते जीत।।

इस तरह की कविताएं कई कवियों ने की है जो सौ प्रतिशत सत्य है। अच्छी विचारधारा रखने से असाध्य बातें भी साध्य होती हैं। किन्तु मन ने हार मानी तो जिंदगी का सारा खेल खत्म होने में देरी नहीं लगती। भारत की स्वतंत्रता के लिए शुरुआत में कोशिश करने वाले बहुत कम सेनानी थे, किंतु मन में स्वतंत्रता की ज्योति अविरल जलाए रखने से उन्होंने सभी में एक विश्वास दिलाया और भारत मां को स्वतंत्र कराया। उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के मन को सलाम करना चाहिए। मन में जय की भावना रखने से हमारी जीत अवश्य होती है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने क्या खूब कहा है-

माना पथिक है अकेला, पथ भी है तेरा अनजान


और जिंदगी भर चलना है इस तरह आसान

पर चलने वालों को इसकी नहीं परवाह

बन जाती साथी उसकी, स्वयं अपरिचित राह

दिशा-दिशा बनती अनुकूल, भले कितनी हो विपरीत

मन के हारे हार है मन के जीते जीत।



कहावत	अर्थ
अन्धों में काना राजा	मूर्खों में कुछ पढ़ा-लिखा व्यक्ति।
अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता	अकेला आदमी बिना दूसरों के सहयोग के कोई बड़ा काम नहीं कर सकता।
अधजल गगरी छलकत जाय	जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है, वह उसका प्रदर्शन या आडम्बर करता है।
अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत	समय निकल जाने के पश्चात् पछताना व्यर्थ होता है।
अंधों के आगे रोना, अपना दीदा खोना	मूर्खों को सदुपदेश देना या अच्छी बात बताना व्यर्थ है।
अपनी-अपनी डफली, अपना-अपना राग	कोई काम नियम-कायदे से न करना।
आये थे हरि-भजन को, ओटन लगे कपास	आवश्यक कार्य को छोड़कर अनावश्यक कार्य में लग जाना।
ऊँची दुकान फीके पकवान	जिसका नाम अधिक हो, पर गुण कम हो।
ऊँट के मुँह में जीरा	जरूरत के अनुसार चीज न होना।
ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती	किसी को इतनी कम चीज मिलना कि उससे उसकी तृप्ति न हो।
कंगाली में आटा गीला	परेशानी पर परेशानी आना।
कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता	मूर्ख पर समझाने का असर नहीं होता।
काम का न काज का, दुश्मन अनाज का	किसी मतलब का न होना।
खोदा पहाड़ निकली चुहिया	बहुत कठिन परिश्रम का थोड़ा लाभ।
गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है	अपराधियों के साथ निर्दोष व्यक्ति भी दण्ड पाते हैं।
घर की मुर्गी दाल बराबर	घर की वस्तु या व्यक्ति को कोई महत्व न देना।
चार दिन की चाँदनी फिर अँधेरी रात	सुख के कुछ दिनों के बाद दुख का आना।
चमड़ी जाय, पर दमड़ी न जाय	अत्यधिक कंजूसी करना।
चोर-चोर मौसरे भाई	एक व्यवसाय या स्वभाव वालों में जल्दी मेल हो जाता है।
जिन ढूँढ़ा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ	परिश्रम का फल अवश्य मिलता है।
जैसी करनी वैसी भरनी	कर्म के अनुसार फल मिलता है।
जाके पांव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई	जिस मनुष्य पर कभी दुःख न पड़ा हो, वह दूसरों का दुःख क्या समझे।
जागेगा सो पावेगा, सोवेगा सो खोवेगा	जो हर क्षण सावधान रहता है, उसे ही लाभ होता है।
जितनी चादर हो, उतने ही पैर फैलाओ	आदमी को अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार ही कोई काम करना चाहिए।
जिस थाली में खाना, उसी में छेद करना	जिस व्यक्ति के आश्रय में रहना, उसी को हानि पहुँचाना।
जल में रहकर मगरमच्छ से बैर	जिसके सहारे रहे, उसी से दुश्मनी करना।
डूबते को तिनके का सहारा	विपत्ति में पड़े हुए मनुष्य को थोड़ा सहारा भी काफी होता है।
तेली का तेल जले, मशालची का दिल जले	जब एक व्यक्ति कुछ खर्च कर रहा हो और दूसरा उसे देख कर

	ईर्ष्या करे।
थोथा चना, बाजे घना	वह व्यक्ति जो गुण और विद्या कम होने पर भी आडम्बर करे।
दीवारों के भी कान होते हैं	गुप्त परामर्श एकांत में धीरे बोलकर करना चाहिए।
दूर के ढोल सुहावने लगते हैं	दूर के व्यक्ति अथवा वस्तुएँ अच्छी मालूम पड़ती हैं।
नाच न जाने आँगन टेढ़ा	काम न जानना और बहाना बनाना।
नौ नगद, न तेरह उधार	उधार की अपेक्षा नगद चीजें बेचना अच्छा होता है।
नाम बड़ा और दर्शन छोटे	नाम बहुत हो परन्तु गुण कम या बिल्कुल नहीं हों।
नेकी और पूछ-पूछ	भलाई करने में संकोच कैसा।
नौ दिन चले अढ़ाई कोस	बहुत सुस्ती से काम करना
नौ सौ चूहे खाके बिल्ली हज को चली	पूरी जिंदगी पाप करके अंत में धर्मात्मा बनना।
पर उपदेश कुशल बहुतेरे	दूसरों को उपदेश देने में सब चतुर होते हैं।
बहती गंगा में हाथ धोना	अवसर का लाभ उठाना।
मुँह में राम, बगल में छुरी	मुँह से मीठी-मीठी बातें करना और हृदय में शत्रुता रखना।



“भाषा की समृद्धि स्वतंत्रता का बीज है।”

लोकमान्य तिलक

गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा जारी

हिन्दी के प्रयोग के लिए वर्ष 2021-22 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	क क्षेत्र	ख क्षेत्र	ग क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल प्रवाचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 85% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्तित 100%	1. ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2. ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3. ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 90%	1. ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2. ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3. ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 55%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6.	हिंदी में डिक्टेथना/की बॉर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	85%	55%	30%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9.	जर्मन और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर ध्यान की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की छपट पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद ।	100%	100%	100%
11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बॉर्ड आदि का पदलेन द्विभाषी हो	100%	100%	100%

13.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25%(न्यूनतम)	25%(न्यूनतम)	25%(न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें (क) हिंदी सलहकार समिति (ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 2 बैठकें वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छात्राई एक बैठक) वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया और साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%		

**“आजादी का ही एक ही नारा
खुशहाल बनेगा देश हमारा”**



**75 साल की उपलब्धियों को दुनिया को बतलाना है,
लेने हैं नए संकल्प और भारत को विश्व गुरु बनाना है...**

पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) की भूमिका

अग्नि और विस्फोटों से जनजीवन तथा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, संगठन को एक संविधिक प्राधिकरण के रूप में, विस्फोटक अधिनियम, 1884, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934, तथा इन अधिनियमों के तहत बनाए गए विभिन्न नियमों के अंतर्गत जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

कार्यालय मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, पेसो, नागपुर की राजभाषायी गतिविधियाँ

पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो), नागपुर अपने नौ अंचल कार्यालय तथा चौदह उप-अंचल कार्यालय, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा राष्ट्रीय अकादमी एवं विभागीय परीक्षण केंद्र तथा आतिशबाजी अनुसंधान तथा विकास केंद्र के साथ भारत सरकार, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य का पूर्ण अनुपालन हेतु समन्वित प्रयास करता है। संगठन प्रमुख के नेतृत्व में यह कार्यालय पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है और राजभाषा की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाने हेतु कृतसंकल्प है।

कार्यालय राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित है और बीस अधीनस्थ कार्यालय अधिसूचित किए जा चुके हैं। चूंकि यह संगठन का मुख्यालय है अतः मंत्रालय, आदि से प्राप्त विभिन्न निर्देश, पत्रादि सभी अंचल कार्यालयों को प्रेषित कर सभी कार्य का मानिट्रिंग किया जाता है। प्रतिदिन सूचना फलक पर हिन्दी एवं अंग्रेजी में सुविचार लिखा जाता है एवं राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं जिसमें आयटी टूल्स का प्रभावी प्रयोग किया जा रहा है-

राजभाषा कार्यान्वयन -कंप्यूटर/आय टी टूल्स का प्रयोग-

हिन्दी का और अधिक प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए संगठन द्वारा हिन्दी प्रयोग के लिए मानकभाषा एनकोडिंग- यूनिकोड का प्रयोग किया जा रहा है। सभी कंप्यूटर्स यूनिकोड समर्थित किए गए हैं। संगठन में कंप्यूटरीकरण के अंतर्गत यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग कार्यालयीन कार्य में किया जा रहा है और इसी दौर में नई सुविधाएं जैसे द्विभाषी मॉड्यूल, वेबसाइट, ई-मेल, इंटरनेट, सपोर्ट साइट का प्रयोग राजभाषा के प्रचार-प्रसार में गति प्रदान कर रहा है। मंत्रालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण निदेशों, पत्रों इत्यादी को हिन्दी अधिकारी के ई-मेल आईडी द्वारा तथा संगठन की सपोर्ट साइट के माध्यम से सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को यथा शीघ्र अनुपालना हेतु प्रेषित किए जाते हैं। संगठन में राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु हिन्दी तिमाही प्रगति रिपोर्ट ऑनलाईन मॉड्यूल बनाकर अंचल कार्यालय की तिमाही रिपोर्ट ऑनलाईन प्राप्त कर समीक्षा की जा रही है।

राजभाषा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर सूचना प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से वर्ष 2012 से वर्तमान तक सभी तिमाही प्रगति रिपोर्ट एवं वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट राजभाषा विभाग' क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय को ऑनलाईन प्रेषित की जा रही हैं। संगठन की वेबसाइट लगभग पूर्ण रूप से द्विभाषी है।

मूल रूप से हिन्दी में कार्य करने हेतु कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी प्रोत्साहन योजना लागू है एवं प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष भी हिन्दी पखवाडा कार्यक्रम के तहत कर्मचारियों को इस योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया। वर्ष के दौरान कार्यालयीन कार्य में राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता लाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर सभी को अधिकाधिक कार्य हिन्दी में करने हेतु प्रेरित किया जाता है।

तिमाही बैठको का आयोजन -

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की न्यूनतम 4 बैठको का आयोजन किया गया और हर तिमाही के लिए एक कार्ययोजना बनाई गई। बैठके दि. 05.02.2021, 10.08.2021, 08.10.2021, 14.01.2022 को आयोजित की गई थी। इस संदर्भ में, की गई कार्रवाई की जानकारी आगामी तिमाही बैठक में दी गई जिसके द्वारा एक समयबद्ध कार्ययोजना का कार्यान्वयन हो रहा है।

राजभाषा नीतियों एवं विनियम के सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के आधार पर जांच बिन्दु बनाएं गए तथा बैठक में सभी अधिकारियों एवं शाखा प्रमुखों को अनुपालनार्थ इसकी प्रतियां वितरित की गई।

राजभाषा विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु कर्मचारियों को कठिन हिन्दी के बजाय सरल एवं सहज हिन्दी का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है।

न.रा.का.स.,नागपुर की बैठको, आदि आयोजनों में सहभाग

राजभाषा हिन्दी की प्रगति हेतु नराकास द्वारा बुलाई गई बैठकों में कार्यालय के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से सहभाग किया जाता है। नराकास के गतिविधियों के लिए रु 12,000/- अंशदान दिया गया। न.रा.का.स., नागपुर की दोनो छमाही बैठको दि.02.11.2021 और 27.05.2022 में श्री पी कुमार, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, श्री एस डी मिश्रा, वि नि एवं संपर्क हिन्दी अधिकारी तथा डॉ वैशाली चिरडे, हिन्दी अधिकारी द्वारा भाग लिया गया।



इसके अलावा नराकास (का-1), नागपुर की कार्यकारी/ संपादक मंडल सदस्या के रूप में डॉ. वैशाली चिरडे, हिन्दी अधिकारी द्वारा दि. 29.07.2021, 27.10.2021, 11.02.2022, 24.03.2022, 22.04.2022, 23.05.2022, 27.05.2022 को बैठको में सहभाग किया गया और नागपुर स्थित कार्यालयों के राजभाषा कार्यान्वयन प्रविष्टियां एवं हिन्दी गृह पत्रिकाओं के मूल्यांकन हेतु आयोजित संपादक मंडल की बैठक में भाग लिया गया। इसके अलावा 13.05.2022 को 11.30 से 1.00 बजे तक राजभाषा प्रबंधन:चुनौतियां एवं उनका समाधान विषय पर पावरग्रिड द्वारा आयोजित हिन्दी संगोष्ठी में भी भाग लिया। इसके साथ नराकास के अंतर्गत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों जैसे- अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, अंतर्कार्यालयीन हिन्दी प्रतियोगिताएँ, कार्यशालाएँ, आदि में भी सक्रिय रूप से भाग लिया।

राजभाषायी निरीक्षण

वर्ष 2020-2021 और 2021-22 में पेसो, नागपुर के अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक निरीक्षण के साथ साथ अंचल/उप-अंचल कार्यालयों का राजभाषायी निरीक्षण किया गया। कार्यालय प्रमुख श्री एम. के. झाला, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक की अध्यक्षता में दिनांक 28.02.2022 को पेसो संगठन के सभी कार्यालयों का ऑनलाइन माध्यम से राजभाषायी निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के लिए डॉ श्रीमती वैशाली चिरडे, हिन्दी अधिकारी द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देकर स्थिती से अवगत कराया एवं राजभाषा अधिनियम/नियम एवं अधिसूचित कार्यालयों, आदि की जानकारी दी गई।

हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन-

1. हिन्दी पखवाडे के अंतर्गत दिनांक 02.09.2020 को 12.00 बजे कोविड-2019 से बचने के उपाय विषय पर हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला को श्री नयन पंडया, निदेशक, क्रायोजनिक इक्विपमेंट प्रा.लि., वडोदरा संबोधित करेंगे।
2. 08.03.2021 को अपराहन 04.00 से 5.15 बजे तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यशाला आयोजित की गई जिसे डॉ मीना मिश्रा, प्रोफेसर एवं माइक्रोबायोलॉजी विभाग प्रमुख, एम्स, नागपुर द्वारा "महिला नेतृत्व: COVID-19 की दुनिया में एक समान भविष्य" विषय पर कार्यशाला संबोधित की गई ।
3. श्री मृत्युंजय चौधरी, मुख्य प्रबंधक, गेल इंडिया लि. द्वारा दि. 21.07.2021 को राजभाषा से संबंधित जानकारी देते हुए अपना संबोधन प्रस्तुत ।
4. पेसो, नागपुर कार्यालय में दि. 18.11.2021 को 12.00 बजे से 1.30 बजे तक "तनाव प्रबंधन" इस विषय पर कार्यालय के उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक श्री पी. सीनीराज द्वारा हिन्दी कार्यशाला संबोधित की गई।
5. श्री रवीन्द्र देवघरे, सेवानिवृत्त सहायक निदेशक (रा.भा.)आयकर आयुक्त कार्यालय, नागपुर द्वारा कार्यालय में हिन्दी पखवाडा के अंतर्गत हिन्दी दिवस के अवसर पर हिन्दी दिवस का महत्व एवं इतिहास विषय पर हिन्दी कार्यशाला संबोधित की।
6. पेसो, नागपुर कार्यालय में दिनांक 08.03.2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपराहन 04.00 से 5.00 बजे तक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया है जिसे श्रीमती रेशम पी. कुमार की उपस्थिति में समस्त कार्यालयों को ऑनलाईन माध्यम से जोडते हुए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संगठन की संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक डॉ. संजना शर्मा एवं वि.नि., प्रयागराज श्रीमती रंजना रानी गुप्ता द्वारा महिलाओं से चर्चा कर अपने विचार रखें।
7. पेसो, नागपुर कार्यालय में दि. 21.04.2022 को 12.00 बजे से 1.30 बजे तक "संचार कौशल में उन्नयन कैसे करें" इस विषय पर कार्यालय के उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक श्री पी. सीनीराज द्वारा हिन्दी कार्यशाला संबोधित की गई।

पेसो, नागपुर में हिन्दी पखवाडे का आयोजन

हिन्दी पखवाडा 2020

कार्यालय मुख्य विस्फोटक नियंत्रक नागपुर (पेसो) में 31 अगस्त से 14 सितंबर 2020 तक हिंदी पखवाडे का आयोजन किया गया है। कोविड-19 माहमारी के परिप्रेक्ष्य में गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ऐसे आयोजन किए गए, जिनके द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया गया। हिन्दी पखवाडे के अंतर्गत 4 प्रतियोगिताएं एवं 1 हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कोविड-19 माहमारी के परिप्रेक्ष्य में

केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों, एसओपी को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों को यथासंभव ऑनलाइन तरीके से आयोजित किए गए।

हिंदी में मौलिक कार्य जैसे टिप्पणी, मसौदे, पत्राचार और प्रपत्र को बढ़ाने के, साथ ही सरकारी कार्य में सरल हिंदी के प्रयोग करने के निर्देश दिए गए। पखवाड़े के अंतर्गत अन्य गतिविधियों के अतिरिक्त हिंदी भाषा में कुछ प्रमुख सुक्तियों के दस पोस्टर प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किए गए।

पखवाड़े का समापन 14 सितंबर 2020 को आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्री एस. डी. मिश्रा, विस्फोटक नियंत्रक एवं संपर्क हिन्दी अधिकारी द्वारा गृह मंत्रालय द्वारा जारी गृह मंत्रीजी के संदेश का अनुपालनार्थ पठन किया गया। इसके अलावा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पियुष गोयलजी का संदेश पढ़कर सुनाया गया। हिन्दी पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित हिन्दी प्रतियोगिताओं के विजेताओं एवं सरकार की हिन्दी पुरस्कार योजना के विजेताओं की घोषणा की गई। *कोविड-19 माहमारी से बचने के उपाय* विषय पर श्री नयन पंड्या, संचालक, क्रायोगैस इक्विपमेंट प्रा.लि., वडोदरा द्वारा 02.09.2020 को हिन्दी कार्यशाला संबोधित की गई। इस कार्यक्रम का संचालन संगठन की हिन्दी अधिकारी डॉ. वैशाली चिरडे द्वारा किया गया।

कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा हिन्दी पखवाड़ा सफल बनाने में अपना योगदान दिया गया।

हिन्दी पखवाड़ा 2021

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रति जागरूकता तथा उसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने के उद्देश्य से कार्यालय मुख्य विस्फोटक नियंत्रक नागपुर (पेसो) में 08 सितंबर 2021 से 22 सितंबर 2021 तक हिन्दी दिवस के साथ हिन्दी पखवाड़ा बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया।



08 सितंबर 2021 को कार्यालय के संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक एवं संगठन प्रमुख श्री पी. कुमार द्वारा माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर पखवाड़े का शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपना कार्यालयीन कार्य अधिक से अधिक हिन्दी में करने का आह्वाहन किया। हिन्दी दिवस के अवसर पर भाषाविद् साहित्य व समाजधर्मी, रंगकर्मी श्री रवीन्द्र देवधरे द्वारा *हिन्दी दिवस का महत्व एवं इतिहास* विषय पर कार्यशाला संबोधित की गई। इस अवसर पर पखवाड़ा अध्यक्ष के रूप में श्री पी. सीनीराज, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा संगठन में राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिये आयोजित हिन्दी पखवाड़े की जानकारी दी। कार्यालय की हिन्दी अधिकारी डॉ. वैशाली चिरडे द्वारा समस्त पखवाड़े का प्रबंधन एवं मंच संचालन किया गया। इस अवसर पर संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक एवं संगठन प्रमुख श्री पी. कुमार द्वारा हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी राजभाषा प्रतिज्ञा का वाचन जिसे सभी द्वारा दोहराया गया। सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग

को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिन्दी पखवाड़े के अंतर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों की रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए मंच उपलब्ध कराते हुए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जैसे- हिन्दी टंकण (यूनिकोड), हिन्दी टिप्पण-आलेखण, हिन्दी निबंध, हिन्दी श्रुतलेखन, आदि।

सभी प्रतियोगिताओं में अधिकारियों व कर्मचारियों ने बड़े उत्साह के साथ बढ़चढ़कर भाग लिया। संगठन प्रमुख महोदय के निर्देशानुसार कार्यालय के तकनीकी अधिकारियों को इन प्रतियोगिताओं के निर्णायक के रूप में नामित किया गया। इस तरह प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी का हिन्दी पखवाड़े में महत्वपूर्ण योगदान रहा तथा हमारा मूल उद्देश्य - राजभाषा प्रचार-प्रसार सफल प्रतीत हुआ।



पखवाड़े का समापन 22 सितंबर 2021 को आयोजित किया गया। इस अवसर पर गृह मंत्री श्री अमित शाह का संदेश श्री एस.डी. मिश्रा, वि.नि. एवं संपर्क हिन्दी अधिकारी द्वारा अनुपालनार्थ पढ़कर सुनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्रीमती पूर्णिमा पाटिल, वरिष्ठ पत्रकार, लेखिका और हिन्दी प्रचारक द्वारा अपनी मातृभाषा और हिन्दी का उपयोग करने की बात कही और अपने जीवन के कई प्रसंग बताते हुए सभी से आग्रह किया कि हम सभी को अपनी भाषा का सम्मान करना चाहिए और उसे लुप्त होने से बचाना है। कार्यक्रम में श्री वे.के. मिश्रा, सं.मु.वि.नि. एवं डॉ ए.के. दलेला, वि.नि. द्वारा उद्बोधन एवं कविता पाठ किया गया।

सरकारी कामकाज हिन्दी में प्रभावी रूप से करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कार्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध संदर्भ ग्रंथ/राजभाषा हिन्दी के महान रचनाकारों/हिन्दी साहित्य/वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य/आदि विषय की हिन्दी "पुस्तको की प्रदर्शनी" आयोजित की गई। अतिथि महोदया द्वारा कार्यालय में उपलब्ध पुस्तकों के संकलन की सराहना की।

मुख्य अतिथि महोदया के कर कमलो द्वारा पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं और हिन्दी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मूल काम हिन्दी में करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार वितरित किए गए। अंत में श्री ए. बी. तामगाडगे, वि.नि. द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया और राष्ट्रगान के साथ समारोह संपन्न हुआ।

न.रा.का.स., नागपुर के तत्वावधान में पेसो, नागपुर में अंतर कार्यालयीन प्रतियोगिता

“ऑनलाइन एकाक्षरी चिंतन प्रतियोगिता” का आयोजन दि. 27.10.2020

राजभाषा के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी न.रा.का.स.(का-1), नागपुर के तत्वावधान में पेसो, नागपुर में दि. 27.10.2020 (मंगलवार) को अंतर कार्यालयीन हिन्दी प्रतियोगिता “ऑनलाइन एकाक्षरी चिंतन” का आयोजन किया गया। कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, मानक प्रचालन प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए इस हिन्दी प्रतियोगिता का ऑनलाइन माध्यम से आयोजन किया गया। नागपुर स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयों / उपक्रम/निगम/आदि कार्यालयों से इस प्रतियोगिता हेतु कुल 24 प्रतिभागियों ने भाग

लिया। डॉ. वैशाली एस. चिरडे, हिन्दी अधिकारी द्वारा इस प्रतियोगिता के बारे में समय-समय पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए एवं प्रतियोगिता का सफलता पूर्वक आयोजन किया। इसके पश्चात प्रतियोगियों द्वारा जमा की गई स्कैन उत्तर पुस्तिका परीक्षक के रूप में नामित, न.रा.का.स., नागपुर के सदस्य डॉ. जयप्रकाश, राजभाषा प्रभारी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नागपुर को अग्रेषित की गई। जांच के पश्चात परीक्षक महोदय द्वारा दिया गया अंतिम परिणाम न.रा.का.स., नागपुर को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया।

“ऑनलाइन हिन्दी निबंध प्रतियोगिता” का आयोजन दि. 28.03.2022

राजभाषा के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी न.रा.का.स.(का-1), नागपुर के तत्वावधान में पेसो, नागपुर में दि. 28.03.2022 (सोमवार) को अंतर कार्यालयीन हिन्दी प्रतियोगिता “ऑनलाइन हिन्दी निबंध” का आयोजन किया गया। नागपुर स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयों / उपक्रम/निगम/आदि कार्यालयों से इस प्रतियोगिता हेतु हिन्दी भाषी- 11 और हिन्दीत्तर भाषी 12 कुल 23 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में डॉ. जयप्रकाश, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नागपुर परीक्षक के रूप में नामित किए गए थे।



कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, मध्यांचल, आगरा की

राजभाषायी गतिविधियाँ 2020-21

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के विभिन्न आदेशों / अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ ही कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, आगरा विभिन्न राजभाषायी गतिविधियों के आयोजन के द्वारा अपने स्तर पर भी राजभाषा की प्रगति के लिए हरसम्भव प्रयत्नशील रहता है। राजभाषा के प्रति कार्यालय के समर्पण एवं निष्ठा को विभिन्न स्तरों पर पुरस्कृत भी किया जाता रहा है।

कार्यालय द्वारा वर्ष 2020 - 2021 में नियमित रूप से त्रैमासिक बैठकों के आयोजन एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की छमाही बैठकों में नियमित रूप से शामिल होने के साथ ही कार्यालय द्वारा “भारतीय संविधान में राजभाषा हिंदी का स्वरूप”, “हिंदी की विकास यात्रा एवं वर्तमान परिदृश्य” एवं “राष्ट्रीय एकता एवं विकास तथा प्रशासनिक पारदर्शिता में राजभाषा हिंदी की भूमिका” आदि सुसंगत विषयों पर हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। दिनांक 09.09.2020

संगठन के स्थापना दिवस के अवसर पर डा. ए.पी.सिंह, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक (कार्यालय प्रमुख) की अध्यक्षता में वर्ष 2020 - 2021 के हिंदी पखवाड़ा उदघाटन समारोह एवं द्वितीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। ऑनलाइन आयोजित उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती रेनु जौहरी, प्रधान आयकर आयुक्त (प्रथम) आगरा द्वारा हिंदी पखवाड़ा के उदघाटन की विधिवत घोषणा की गई।

विशिष्ट अतिथि श्री अजय मलिक, उप-निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, उत्तर क्षेत्र - 2, गाजियाबाद एवं कार्यशाला में वक्तव्य देने हेतु आमंत्रित डा. आर.एस.तिवारी, भूतपूर्व सहायक निदेशक, आयकर आयुक्त, आगरा के अतिरिक्त मध्यांचल के अधीनस्थ चारों उपांचल कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी भी शामिल हुए।

ऑनलाइन कार्यशाला में डा.आर.एस.तिवारी, भूतपूर्व सहायक निदेशक, आयकर कार्यालय, आगरा ने अपना वक्तव्य दिया तथा इस अवसर पर मध्यांचल के अधीनस्थ उपांचल कार्यालय प्रमुखों, श्री वजी-उद-दीन, उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, भोपाल, डा.टी.एल.थानुलिंगम, उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, प्रयागराज, श्री आशेन्द्र सिंह, विस्फोटक नियंत्रक, रायपुर एवं डा.बी.सिंह, विस्फोटक नियंत्रक देहरादून ने भी अपने कार्यालयों की राजभाषायी गतिविधियों एवं पखवाड़ा आयोजन के सम्बन्ध में जानकारी साझा की।

दिनांक 14.09.2020 को हिंदी दिवस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान माननीय श्री अमित शाह, गृह मंत्री, भारत सरकार द्वारा राष्ट्र के नाम किए गए सन्देश को पढ़ा गया। डा. एस.के.दीक्षित, विस्फोटक नियंत्रक एवं राजभाषा अधिकारी द्वारा हिंदी दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी गईं। पखवाड़ा आयोजन के अवसर पर पोस्टर/स्लोगन, हिंदी सुलेख, हिंदी निबंध, हिंदी काव्यपाठ एवं चित्र देखकर कहानी लेखन आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के कार्यालय जापन दिनांक 31.07.2020 के अनुपालन में कार्यालय द्वारा 10 सूक्तियों के पोस्टर बनवाकर हिंदी पखवाड़ा के दौरान कार्यालय में लगवाए गए। कार्यालय के आंगंतुक कक्ष में लगे टीवी स्क्रीन पर इन सभी सूक्तियों का डिजीटल डिस्प्ले भी किया गया एवं प्रतिदिन कार्यालय की कार्य अवधि के दौरान डिजीटली इनको डिस्प्ले किया जाता है।

डा. एस.के.दीक्षित, विस्फोटक नियंत्रक एवं राजभाषा अधिकारी द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों के नामों की घोषणा के साथ दिनांक 23.09.2020 को हिंदी पखवाड़ा का समापन किया गया कार्यालय प्रमुख डा. ए.पी.सिंह, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक ने सभी विजेता प्रतियोगियों को बधाई दी तथा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजभाषा के विकास में इसी निरन्तर प्रयासरत रहने के लिए प्रेरित किया।



पत्रिका प्रकाशन

कार्यालय द्वारा प्रकाशित की जा रही पत्रिका "मध्यांचल दर्पण" को छमाही तौर पर एवं ई-पत्रिका के रूप में प्रकाशित करना आरम्भ किया गया है। इसी क्रम में अप्रैल - सितम्बर 2020 (अंक-17) को तैयार कर संगठन के वेबसाइट peso.gov.in के हिंदी संस्करण में राजभाषा पोर्टल पर अपलोड कर दी गई।

अन्य आयोजन

- कार्यालय में आने वाले आगंतुकों / आवेदकों के लिए कार्यालयीन सभी सूचनाओं को नोटिस बोर्ड पर एवं डिजिटल रूप में टेलीविज़न स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है ताकि सूचनाएं सहज ही सब के नोटिस में आएँ।
 - भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31.07.2020 के अनुपालन में कार्यालय द्वारा सूक्तियों के पोस्टर बनवाकर हिंदी पखवाड़ा के दौरान कार्यालय में लगवाए गए। कार्यालय के आगंतुक कक्ष में लगे टीवी स्क्रीन पर इन सभी सूक्तियों को प्रतिदिन कार्यालय की कार्य अवधि के दौरान डिजिटल रूप में डिस्प्ले किया जाता है।
- कोविड - 19 की परिस्थितियों के मद्देनज़र वर्ष 2020-21 तक प्रत्येक तिमाही में ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया एवं मध्यांचल के अधीनस्थ चारों उपांचल कार्यालयों भोपाल, प्रयागराज, देहरादून एवं रायपुर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी चारों ऑनलाइन कार्यशालाओं में शामिल कर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के साथ ही प्रशिक्षित भी किया गया।
- राजभाषा कार्यक्रमों के ऑनलाइन आयोजन एवं ऑनलाइन हिंदी कार्यशाला में राजभाषा विभाग के प्रतिनिधियों श्री अजय मलिक, उप-निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उत्तर क्षेत्र - 2), गाजियाबाद एवं श्री के.पी.शर्मा, उप-निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उत्तर क्षेत्र - 1), नई दिल्ली को आमंत्रित किया गया एवं इन कार्यक्रमों में अधीनस्थ उपांचल कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी आमंत्रित किया गया जिससे राजभाषा विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा प्रदत्त अद्यतन जानकारी से भी कार्यालय लाभान्वित हो सकें।
 - राजभाषा संवर्धन हेतु, कार्यालय में आए आगंतुकों को आगंतुक पंजिका में हिन्दी में ही प्रविष्टि करने के लिए प्रेरित किया गया।
 - राजभाषा के प्रचार-प्रसार में योगदान देते हुए कार्यालय की राजभाषायी एवं अन्य गतिविधियों को कार्यालय के फेसबुक एकाउन्ट में पोस्ट किया गया।
 - दिनांक 08.03.2021 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी सशक्तिकरण पर एक हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में मुख्यालय, नागपुर एवं चारों अधीनस्थ उपांचल कार्यालयों को शामिल करते हुए ऑनलाइन कार्यक्रम के साथ ही कार्यालय में ऑफलाइन भी कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें कार्यालय की महिला कर्मिकों के अतिरिक्त मै. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन, मै. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन एवं मै.इण्डियन ऑयल कारपोरेशन तथा एनजीओ से महिला प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सम्मानित किया गया एवं इस दौरान नारी सशक्तिकरण से सम्बन्धित हिंदी में पावर पोएन्ट प्रस्तुतियां दी गईं एवं सभी महिला कर्मियों एवं आमंत्रित महिला प्रतिनिधियों को स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया।
 - राजभाषा सम्बन्धी विषयों पर कार्यशालाओं के आयोजन के अतिरिक्त संगठन के कार्य के सम्बन्धी तकनीकी विषयों पर भी हिंदी में चर्चा सत्र आयोजित किए गए एवं इसमें ऑयल कम्पनियों की भी सहभागिता सुनिश्चित की गई।
 - नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा रिपोर्टों के मूल्यांकन में सहभागिता की गई।

- अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले प्रारूपों जैसे अर्जित अवकाश आवेदन, भविष्य निधि अग्रिम / आहरण आवेदन, शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन आदि का द्विभाषी फार्मेट कर्मचारियों के कम्प्यूटर पर अपलोड किए गए ताकि शत प्रतिशत द्विभाषी प्रारूपों का ही प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके।
- अधीनस्थ कार्यालयों के राजभाषायी कार्यों का निरीक्षण करने के लिए भोपाल, प्रयागराज, देहरादून एवं रायपुर कार्यालय से निरीक्षण प्ररूप भरवाकर एवं उसके आधार पर संवीक्षा करके चारों कार्यालयों के राजभाषायी कार्य का ऑनलाइन निरीक्षण किया गया।



पेट्रोलीयम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन के 122वें स्थापना दिवस (09.09.2020) के अन्तर्गत संगठन के विभिन्न कार्यालयों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक, मध्यांचल, आगरा द्वारा भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।



दिनांक 19.08.2020 को "पेट्रोलीयम उद्योग में वैश्विक सर्वोत्कृष्ट सुरक्षा प्रणाली" विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन एवं संचालन किया गया। श्री एम.के.झाला, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक (प्रभारी), पेसो, नागपुर द्वारा उदघाटन भाषण दिया गया। उक्त वेबिनार में समस्त भारत तथा लंदन (यू.के.) एवं यूरोप से कुल 573 अधिकारियों / व्यक्तियों ने भाग लिया।

पेसो, आगरा द्वारा दिनांक 29.08.2020 को एक वीडियो कलिकियम (Video Colloquium) का आयोजन किया गया जिसमें पूर्व में आगरा कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों जो मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के पद से संगठन से सेवानिवृत्त हुए हैं, को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उदघाटन श्री एम.के.झाला, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक (संगठन प्रमुख), पेसो, नागपुर द्वारा किया गया। इस अवसर पर आयल एवं गैस इंडस्ट्री के

सेवानिवृत्त चेयरमैन आइओसीएल के श्री एम.ए.पठान, बीपीसीएल के श्री आर.के.सिंह एवं गेल (इंडिया) लिमिटेड के श्री बी.सी. त्रिपाठी को और पेसो के सभी अधिकारियों को उनके योगदान को एकनाँलेज करते हुए स्मृति - चिह्न के द्वारा सम्मानित किया गया।

संगठन के 122वें स्थापना दिवस (09 सितम्बर 2020) समारोह के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत, पर्यावरण के प्रदूषण को कम करने हेतु दिनांक 31.08.2020 को डा. ए.पी.सिंह, उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख, आगरा द्वारा पेसो, मध्यांचल के प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया।

गणतन्त्र दिवस के अवसर पर पेसो के सभी कार्यालयों में "पेसो गान" को विधिवत शुभारम्भ किया गया। इसी कड़ी में पेसो आगरा के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी समेकित रूप से पेसो गान का गायन किया।



दिनांक 08.03.2021 को आगरा कार्यालय द्वारा "अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस" पर आयोजित संगोष्ठी में मुख्यालय नागपुर एवं मध्यांचल के सभी अधीनस्थ कार्यालयों को भी ऑनलाइन शामिल किया गया। कार्यक्रम का उदघाटन संगठन प्रमुख श्री एम.के.झाला, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा किया गया तथा डा. (श्रीमती) आर.आर.गुप्ता, विस्फोटक नियंत्रक, प्रयागराज द्वारा पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी गई।



दिनांक 08.03.2021 को आगरा कार्यालय में "अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस" पर आयोजित संगोष्ठी में कार्यालय में कार्यरत महिला कर्मियों के साथ ही विभिन्न ऑयल कम्पनियों की एवं एनजीओ की महिला प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित कर सम्मानित किया गया।



दिनांक 08.03.2021 को आगरा कार्यालय में "अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस" के अवसर पर डा. ए.पी.सिंह, उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख एवं कार्यालय के अधिकारियों तथा कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं द्वारा केन्द्रालय प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया।

2021-22

कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, आगरा में दिनांक 14.07.2021 को प्रथम त्रैमासिक हिंदी बैठक का आयोजन किया गया। दिनांक 14.07.2021 को "कार्यालय के राजभाषायी कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्यों एवं इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले प्रयास" विषय पर प्रथम त्रैमासिक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। दिनांक 28.07.2021 को डा. ए.पी.सिंह, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, डा. एस.के.दीक्षित, विस्फोटक नियंत्रक (राजभाषा अधिकारी) एवं श्रीमती श्रावणी गांगुली, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक ने संसदीय राजभाषा समिति द्वारा आगरा कार्यालय के निरीक्षण के सम्बन्ध में श्री गजराज सिंह, संयुक्त निदेशक (राजभाषा), डीपीआईआईटी के साथ ऑनलाइन बैठक में भाग लिया। दिनांक 08.09.2021 को कार्यालय में द्वितीय त्रैमासिक हिंदी बैठक का आयोजन किया गया। दिनांक 29.09.2021 को "दैनिक कार्यालयीन कार्यों में त्रुटियां और उनका समाधान" विषय पर द्वितीय त्रैमासिक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। दिनांक 05.10.2021 को श्रीमान संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक की अध्यक्षता में शीर्षस्थ प्रशासनिक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा कार्यालय के राजभाषायी कार्यों के निरीक्षण के दौरान उठाए गए मुद्दों पर चर्चा एवं उनके अनुपालन हेतु उठाए जाने वाले सुधारात्मक कार्रवाई पर चर्चा की गई। दिनांक 06.10.2021 को तृतीय त्रैमासिक हिंदी बैठक का आयोजन किया गया। दिनांक 13 एवं 14.11.2021 को डा. ए.पी.सिंह, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक एवं डा. एस.के.दीक्षित, विस्फोटक नियंत्रक

(राजभाषा अधिकारी) ने वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में भाग लिया। दिनांक 27.11.2021 को डा. ए.पी.सिंह, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक एवं डा. एस.के.दीक्षित, विस्फोटक नियंत्रक (राजभाषा अधिकारी) ने कानपुर में आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार सम्मेलन में भाग लिया। दिनांक 01.12.2021 को "कार्यालय के कार्य में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग" विषय पर तृतीय त्रैमासिक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। दिनांक 18.01.2022 को चतुर्थ त्रैमासिक हिंदी बैठक का आयोजन किया गया। दिनांक 08.02.2022 को "वर्तमान समय में हिंदी का स्वरूप" विषय पर चतुर्थ त्रैमासिक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। दिनांक 28.02.2022 को उपांचल इलाहाबाद एवं देहरादून कार्यालय के कार्यों की समीक्षा बैठक एवं राजभाषायी कार्यों का निरीक्षण किया गया। उक्त बैठक में उपांचल कार्यालय इलाहाबाद एवं देहरादून के कार्यालय प्रमुखों ने भाग लिया।

इलाहाबाद कार्यालय की राजभाषायी गतिविधियां 2020-21

कार्यालय में दिनांक 04.09.2020 से 18.09.2020 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस दौरान हिंदी टिप्पण, हिंदी टंकण, हिंदी पोस्टर एवं हिंदी निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यालय के पुस्तकालय के लिए हिंदी पुस्तकें भी क्रय किए गए। हिंदी पखवाड़े के दौरान दिनांक 09.09.2020 को कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, आगरा द्वारा मध्यांचल के समस्त कार्यालयों के लिए समेकित रूप से आयोजित कार्यशाला में कार्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर कार्यालय प्रमुख डा. टी.एल.थानुलिंगम, उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक एवं डा. (श्रीमती) आर.आर. गुप्ता, विस्फोटक नियंत्रक ने अपने-अपने विचार प्रकट किए। दिनांक 14.09.2020 को हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान वर्ष 2020 - 2021 के वार्षिक कार्यक्रम, राजभाषा नियम 1976, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन, राजभाषा हिंदी का महत्व आदि विषयों पर अधिकारियों द्वारा व्याख्यान दिया गया। दिनांक 18.09.2020 को पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के पुरस्कारों की घोषणा के साथ हिंदी पखवाड़ा का समापन हुआ।





दिनांक 17.08.2020 को कार्यालय प्रमुख डॉ. टी.एल. थानुलिंगम, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक की अध्यक्षता में पेसो के 122वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया गया। उक्त कार्यक्रम में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया तथा विभाग एवं इस कार्यालय के इतिहास के बारे में कार्यालय प्रमुख एवं अन्य अधिकारियों ने व्याख्यान दिए।



दिनांक 18.08.2020 को केंद्रीय सदन के प्रांगण (भू-तल) में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें डॉ. टी.एल. थानुलिंगम, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, डॉ.(श्रीमती) आर.आर.गुप्ता, विस्फोटक नियंत्रक व श्री राहुल कुमार मंडलोई, उप विस्फोटक नियंत्रक ने एक-एक वृक्ष लगाए तथा सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

दिनांक 22.03.2021 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में श्री आर. के. मंडलोई, उप.वि.नि ने “आनलाइन आवक प्रसंस्करण” विषय पर व्याख्यान दिया। इस कार्यालय में आने वाले पब्लिक के लिए कार्यालय परिसर पर आवश्यक दिशा निर्देश हिंदी में प्रदर्शित किये गये। हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट आनलाइन मुख्यालय एवं राजभाषा विभाग को भेजी गयी। हिंदी छमाही रिपोर्ट नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इलाहाबाद को भेजी गयी। कार्यालय में हिंदी में प्राप्त सभी पत्राचार का जवाब हिंदी में दिया जाता है। राजभाषा नियमों के क्रियान्वयन की मानीटरिंग सीधे कार्यालय प्रमुख द्वारा की जाती है।

दिनांक 17.08.2020 को कार्यालय प्रमुख डॉ. टी.एल.थानुलिंगम, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक की अध्यक्षता में पेसो के 122वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया गया। उक्त कार्यक्रम में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया तथा विभाग एवं इस कार्यालय के इतिहास के बारे में कार्यालय प्रमुख एवं अन्य अधिकारियों ने व्याख्यान दिए।

दिनांक 18.08.2020 को केंद्रीय सदन के प्रांगण (भू-तल) में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें डॉ. टी.एल.थानुलिंगम, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, डॉ.(श्रीमती) आर.आर.गुप्ता, विस्फोटक नियंत्रक व श्री राहुल कुमार मंडलोई, उप विस्फोटक नियंत्रक ने एक-एक वृक्ष लगाए तथा सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

पेसो के 122वें स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य में अन्य कार्यालयों द्वारा आयोजित वेबीनार्स में भी कार्यालय के सभी अधिकारियों ने भाग लिया। दिनांक 27.08.2020को इस कार्यालय द्वारा “Commitment to the Environment & Safety” विषय पर आनलाइन वेबीनार का आयोजन किया गया जिसमें कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। इस वेबीनार के दौरान सभी अधिकारियों ने उपरोक्त विषय पर अपने-अपने विचार व्यक्त किए। दिनांक 03.09.2020को कार्यालय द्वारा “एलपीजी बाटलिंग प्लांट लेआउट एण्ड सेफ्टी कॉन्सीडरेशन” विषय पर वेबीनार का आयोजन किया गया। उक्त वेबीनार मेंसंगठन प्रमुख श्री एम.के.झाला, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, मध्यांचल प्रमुख डॉ.ए.पी.सिंह, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक (कार्यालय प्रमुख) डॉ.टी.एल.थानुलिंगम, उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक ने भाग लिया। डॉ.(श्रीमती) आर.आर.गुप्ता, विस्फोटक नियंत्रक ने “Statutory Provisions for LPG Bottling Plant under SMPV(U) Rules, 2016 & GCR, 2016” विषय पर पॉवर प्वाइंट प्रजेंटेशन दिया। अन्य वक्ताओं में श्री जी.के. मेशराम, जीएम (एलपीजी इंजीनियरिंग), आईओसीएल, लखनऊ ने “LPG Bottling Plant - Layout”विषय पर तथा श्री नशरूल कम्मर, मैनेजर, एचएसएसई, बीपीसीएल, एलपीजी प्लांट, नैनी द्वारा “Electrical Safety in LPG Plant” विषय पर व्याख्यान दिया गया। कार्यक्रम का संचालन श्री आर.के.मंडलोई, उप-विस्फोटक नियंत्रक ने किया। इस वेबिनार में संगठन के अन्य कार्यालयों के अधिकारियों सहित लगभग 80 लोगों ने भाग लिया।

2021-22

कार्यालय में दिनांक 28.06.2021 को कार्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रथम तिमाही की बैठक का आयोजन किया गया। सभा में इस वित्तीय वर्ष की राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया। दिनांक 29.06.2021 को कार्यालय में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. (श्रीमती) आर. आर. गुप्ता, विस्फोटक नियंत्रक ने “वर्ष 2021-22 के वार्षिक कार्यक्रम” पर विस्तृत व्याख्यान दिया। दिनांक 02.09.2021 को समिति की द्वितीय तिमाही की बैठक का आयोजन किया गया। दिनांक 14.09.2020 को द्वितीय तिमाही की एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में श्री मानस कुमार सिन्हा, सहायक पंजीकार, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, इलाहाबाद ने “राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास एवं महत्व” विषय पर व्याख्यान दिया। दिनांक 06.09.2021 से 20.09.2021 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। दिनांक 06.09.2021 को हिंदी पखवाड़ा का शुभारम्भ किया गया। जिसका उदघाटन कार्यालय प्रमुख डॉ. टी. एल. थानुलिंगम, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा किया गया तथा इस बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। दिनांक 14.09.2021 को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। दिनांक 23.09.2021 को डॉ. (श्रीमती) आर. आर. गुप्ता, वि.नि., श्री आर.के.मंडलोई, उप.वि.नि. एवं हिंदी अधिकारी तथा श्री आर. के. दुबे, आशुलिपिक ग्रेड-III एवं हिंदी सहायक ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इलाहाबाद (कार्यालय-1) द्वारा आयोजित वित्तीय वर्ष 2021-22 की दूसरी आनलाइन छमाही बैठक में भाग लिया। श्री आर. के. मंडलोई, उप विस्फोटक नियंत्रक ने 13 व 14 नवम्बर, 2021 को वाराणसी में स्थित व्यापार केंद्र में दो दिवसीय अखिल राजभाषा सम्मेलन में

भाग लिया। दिनांक 21.12.2021 को कार्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तीसरी तिमाही की बैठक का आयोजन किया गया। दिनांक 23.12.2021 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में श्री आर.के. मंडलोई, उप.वि.नि. ने "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" विषय पर व्याख्यान दिया। कार्यालय मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर की अध्यक्षता में दिनांक 28.02.2022 को इस कार्यालय के हिंदी कार्य का राजभाषायी निरीक्षण किया गया। दिनांक 22.03.2022 को कार्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अंतिम तिमाही की बैठक का आयोजन किया गया।

देहरादून कार्यालय राजभाषायी गतिविधियां 2020-21

कार्यालय विस्फोटक नियंत्रक, देहरादून में दिनांक 01.09.2020 से 14.09.2020 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। डा.बी.सिंह, विस्फोटक नियंत्रक (कार्यालय प्रमुख) द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन करके पखवाड़ा का शुभारम्भ किया गया। पखवाड़े के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों / प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। दिनांक 14.09.2020 को हिंदी दिवस के अवसर पर डा. बी.सिंह, विस्फोटक नियंत्रक द्वारा श्री राजीव गौबा, मंत्रीमंडल सचिव, भारत सरकार का सन्देश कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समक्ष पढ़ा गया एवं सभी को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पखवाड़े के दौरान क्रय की गई हिंदी पुस्तकें कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समक्ष प्रदर्शित की गईं एवं पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं के लिए पुरस्कार की घोषणा के साथ दिनांक 14.09.2020 को हिंदी पखवाड़े का समापन किया गया।



दिनांक 29.08.2020 को डा. बी.सिंह, विस्फोटक नियंत्रक एवं श्री डी.वी.सिंह, उप-विस्फोटक नियंत्रक द्वारा मै. गोल्ड प्लस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रुड़की, जिला हरिद्वार के परिसर में वृक्षारोपण किया गया। दिनांक 02.09.2020 को "नॉन टॉक्सिक नॉन फ्लेमिबल क्रायोजेनिक इन्स्टॉलेशन" विषय पर

वेबिनार का आयोजन किया गया। डा. बीरेन्द्र सिंह, विस्फोटक नियंत्रक द्वारा पावर पॉइन्ट प्रेजेंटेशन के माध्यम से तकनीकी विषय पर व्याख्यान दिया तथा इण्डस्ट्री के अन्य दो वक्ताओं ने भी अपने अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए। श्री डी.वी.सिंह, उप-विस्फोटक नियंत्रक द्वारा किए गए धन्यवाद ज्ञापन के साथ वेबिनार का समापन हुआ।

2021-22

कार्यालय में दिनांक 22.06.2021 को "प्रथम त्रैमासिक हिन्दी बैठक" का आयोजन किया गया। जिसमें हिंदी से संबंधित गतिविधियाँ एवं अन्य रिपोर्टों को समय सीमा के अन्दर प्रेषित किए जाने पर चर्चा की गई। कार्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। दिनांक 29.06.2021 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), देहरादून द्वारा आयोजित वर्ष 2021-22 की "प्रथम छमाही बैठक" में डा. बी. सिंह, वि.नि./कार्या. प्रमुख एवं श्री डी. वी. सिंह, उप विस्फोटक नियंत्रक/हिंदी अधिकारी ने भाग लिया। कार्यालय में दिनांक: 01.09.2021 से 14.09.2021 तक हिंदी पखवाडा मनाया गया। हिंदी पखवाडे का शुभारम्भ दिनांक 01.09.2021 को किया गया। डा. बी. सिंह, विस्फोटक नियंत्रक, देहरादून द्वारा माँ सरस्वती की फोटो पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित किया गया। दिनांक 14.09.2021 को हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार श्री अमित शाह जी का संदेश कार्यालय प्रमुख डा० बी० सिंह, विस्फोटक नियंत्रक, देहरादून द्वारा कार्यालय के कर्मचारियों के समक्ष पढा गया एवं हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जिसमें सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हिंदी पखवाडे के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। हिंदी पखवाडे का समापन दिनांक 14.09.2021 को कार्यालय प्रमुख डा. बी. सिंह, विस्फोटक नियंत्रक, देहरादून के द्वारा किया गया। जिसमें उपरोक्त प्रतियोगिताओं के पुरूस्कारों की घोषणा की गई। पखवाडे के दौरान क्रय की गई हिंदी पुस्तकों का प्रदर्शन कार्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समक्ष किया गया। दिनांक 27.09.2021 को द्वितीय त्रैमासिक (जुलाई-सितम्बर) हिंदी बैठक का आयोजन कार्यालय प्रमुख डा. बी. सिंह, विस्फोटक नियंत्रक, देहरादून की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में श्रीमान मु.वि.नि., नागपुर एवं श्रीमान सं.मु.वि.नि., आगरा द्वारा हिन्दी निरीक्षण रिपोर्ट की जांच बिंदुओं पर बताई गई कमियों पर चर्चा की गई। राजभाषा विभाग, भारत सरकार, गाजियाबाद द्वारा दिनांक: 27.11.2021 को चन्द्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर (उत्तर प्रदेश) में वर्ष 2018-19 हेतु राजभाषा नीति के श्रेष्ठ व निष्पादन के लिए "प्रथम पुरूस्कार" एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

उक्त कार्यक्रम में कार्यालय प्रमुख डा.बी.सिंह,वि.नि. को प्रथम पुरूस्कार के रूप में शील्ड प्रदान की गई एवं श्री डी.वी.सिंह, उ.वि.नि./हिन्दी अधिकारी ने प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया। दिनांक 14.12.2021 को इस कार्यालय की वर्ष 2021-22 की तृतीय त्रैमासिक हिंदी बैठक का आयोजन डा. बी. सिंह, वि.नि. की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें पिछली बैठक में हिंदी में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई एवं अधिकाधिक कार्य हिन्दी में करने पर जोर दिया गया। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दिनांक 30.12.2021 को वेबेक्स के माध्यम से नराकास, देहरादून की छमाही बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें ई-गृह पत्रिका 'स्पंदन' के प्रदेशांक का विमोचन किया गया। उक्त बैठक में श्री डी.वी. सिंह, उ.वि.नि. एवं हिंदी अधिकारी तथा श्री कुलवन्त सिंह, उ.श्रे.लि. ने भाग लिया। दिनांक: 16.03.2022 को कार्यालय में चतुर्थ त्रैमासिक हिंदी बैठक का आयोजन कार्यालय प्रमुख डा. बी. सिंह, वि.नि. की अध्यक्षता में किया गया जिसमें फाइलों की वीडिंग आउट पर चर्चा की गई। बैठक में कार्यालय के सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों ने भाग लिया।

कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, चेन्नई की राजभाषायी गतिविधियां 2020-21

कार्यालय में दिनांक 24/01/2020 को वर्ष 2020 की चतुर्थ त्रैमासिक हिन्दी बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यालय के सभी अधिकारियों / कर्मचारियों ने हिन्दी में कार्य करने का संकल्प लिया। वर्ष 2020 की द्वितीय त्रैमासिक बैठक दिनांक 31/01/2020 को उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक (कार्यालयाध्यक्ष) महोदया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। वर्ष 2019-20 के दौरान टिप्पण / आलेखन में कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत प्रविष्टियों के आधार पर दो कर्मचारियों को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया गया। दिनांक 14/02/2020 को डॉ. संजना शर्मा, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक (कार्यालयाध्यक्ष) महोदया की अध्यक्षता में तकनीकी विषय “ पेट्रोलियम नियम 2002 फ़ार्म -14 अनुज्ञप्ति” विषय पर डॉ. शेख हुसैन, उप विस्फोटक नियंत्रक ने हिन्दी कार्यशाला में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दी में व्याख्यान एवं पावर पाएन्ट प्रस्तुतिकरण दिया। दिनांक 20/02/2020 को कार्यालय के हिन्दी अधिकारी श्री मनमीत सिंह मिन्हास, उप विस्फोटक नियंत्रक एवं हिन्दी अधिकारी और कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक श्रीमती रेबेका ने “स्वास्थ्य एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति” विषय पर आयोजित हिन्दी तकनीकी संगोष्ठी में भाग लिया। दिनांक 13/03/2020 को डॉ. डी. सी. पाण्डेय, विस्फोटक नियंत्रक एवं हिन्दी कार्यान्वयन समिति की उपाध्यक्ष द्वारा कार्यालय में सिलेंडर परीक्षण स्टेशन के विषय पर हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। श्रीमती ई. बी. रेबेक्का कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक ने दिनांक 10/07/2020 को गूगल मीट के माध्यम से वर्तमान परिस्थिति में राजभाषा संबंधी कार्य एवं ऐप्स का उपयोग विषय पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया। दिनांक 20/08/2020 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति चेन्नई के राष्ट्रीय वेबीनार “भगवतीचरण वर्मा की कविताएं और उपन्यास रेखा एक अवलोकन एवं उनका साहित्य सृजन एवं चित्रलेखा” विषय पर गूगल मीट में श्रीमती ई. बी. रेबेक्का कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक ने भाग लिया।

दिनांक 07/09/2020 से दिनांक 18/09/2020 तक कार्यालय में हिन्दी पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोरोना महामारी के मद्देनजर सामाजिक दूरी पर ध्यान रखते हुए विभिन्न प्रतियोगितायें जैसे निबंध, स्लोगन, सुलेख, पोस्टर, टिप्पण एवं अनुवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें कार्यालय के अधिकांश कर्मचारियों ने भाग लिया। दिनांक 19/10/2020 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, चेन्नई के वेबीनार “Artificial intelligence in the implementation of Rajbhasha” विषय पर Cisco webex की प्लेटफॉर्म में श्री मनमीत सिंह मन्हास, उप विस्फोटक नियंत्रक एवं हिन्दी अधिकारी, श्रीमती ई. बी. रेबेक्का कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक ने भाग लिया। दिनांक 20/10/2020 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति चेन्नई के वेबीनार “कंठस्थ अनुवाद साफ्टवेयर के प्रयोग” विषय पर गूगल मीट में श्रीमती ई. बी. रेबेक्का कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक ने भाग लिया। दिनांक. 23/10/2020 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के चेन्नई एवं आवडी आर्डिनणस फैक्ट्री संयुक्त द्वारा कोरल डा 2020 ग्रफिक्स विषय पर आयोजित किया गया वेबीनार में श्रीमती ई. बी. रेबेक्का कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक ने भाग लिया। कार्यालयों में कार्यशाला आयोजन की तिथि: 14/08/2020, 07/09/2020, 11/09/2020, 18/09/2020, 23/10/2020, 27/11/2020 दिनांक 27/11/2020 कार्यालय में तिमाही की तृतीय त्रैमासिक हिन्दी बैठक पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस में सभी अधिकारियों और कर्मचारी शामिल थे। प्रति सप्ताह कर्मचारियों के लिए कम से कम एक घंटे हिन्दी प्रशिक्षण देने के लिए तय किया गया। सभी कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पण / आलेखन से संबंधित मानक प्रारूप का वितरण किया गया। सभी अधिकारी और कर्मचारी अपना

छुट्टी का आवेदन पत्र केवल हिन्दी में प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया। हिन्दी निदेशालय द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कार्यालय के नामित अधिकारी एवं कर्मचारी को भाग लेना अनिवार्य किया गया है।

कार्यालय में हिन्दी पखवाडा 2020 के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की झलकियाँ



2021-22

श्रीमान मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर के कार्यालय ज्ञापन संख्या ई-10003/1/2021/ हिंदी पखवाडा दिनांक 14.09.2021 तथा गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के पत्र दिनांक 10/08/2021 के संदर्भ में कार्यालय उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, शिवकाशी एवं कार्यालय विस्फोटक नियंत्रक, पटाखा अनुसंधान एवं विकास केंद्र, शिवकाशी में दिनांक 06/09/2021 से दिनांक 20/09/2021 तक हिंदी पखवाडा का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

सभी प्रतियोगिताओं का वर्तमान Covid-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में जारी दिशानिर्देशों तथा सभी एसओपी को ध्यान में रखते हुए आयोजन किया गया। इस प्रयास की सराहना करते हुए सभी कर्मचारियों ने प्रतियोगिताओं में बड़े उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर दिनांक 14.09.2021 को माननीय गृहमंत्री जी द्वारा हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य पर दिये गए संदेश को सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समक्ष पढ़ा गया। दिनांक 20.09.2021 को हिन्दी समापन समारोह के अवसर पर राजभाषा हिन्दी की दूसरी तिमाही कार्यशाला का आयोजन भी किया गया जिसमें कार्यालय अध्यक्ष श्री के.थियागराजन द्वारा व्याख्यान दिया गया। उन्होंने कार्यालय में हिंदी में अधिक से अधिक काम को करने के लिये सभी को प्रेरित किया।



कार्यालय में दिनांक 06/09/2021 से 17/09/2021 तक "हिन्दी पखवाड़ा" मनाया गया। डॉ. एस. शर्मा, सं.मु.वि.नि., चेन्नई ने 06/09/2021 को हिंदी पखवाड़ा का उद्घाटन किया और आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी के महत्व पर जोर देते हुए प्रभावशाली उद्बोधन किया। इस अवसर पर डॉ. डी.सी. पांडे, उप मु.वि.नि., ने भी व्याख्यान दिया।



"हिंदी पखवाड़ा" उत्सव के दौरान सं.मु.वि.नि., चेन्नई के कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। दिनांक 15/09/2021 को इस अवसर पर डॉ. एस. विजया (सेवानिवृत्त डीजीएम, एसबीआई) को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया और उन्होंने व्याख्यान दिया।



दिनांक 17/09/2021 को "हिन्दी पखवाड़ा" का समापन समारोह आयोजित किया गया। डॉ. प्रो. चिट्ठी अन्नपूर्णा, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिता के विजेताओं को दिनांक 17.09.2021 को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संविधान दिवस/आजादी का अमृत महोत्सव दिनांक 26.11.2021 को तृतीय हिंदी त्रैमासिक बैठक अक्टूबर-दिसंबर 2021 के दौरान कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में उत्साहपूर्वक मनाया गया। डॉ. संजना शर्मा, सं.मु.वि.नि. और डॉ. डी. सी. पांडे, उप मु.वि.नि., ने संविधान के गठन पर भाषण दिया। बैठक में सभी अधिकारी व कर्मचारी शामिल हुए। कार्यालय में दिनांक 08.03.2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भव्य तरीके से मनाया गया। बीपीसीएल की मुख्य प्रबंधक श्रीमती रेशमी देवासिया ने समारोह की अध्यक्षता की। डॉ. संजना शर्मा, सं.मु.वि.नि. ने पीपीटी के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर व्याख्यान दिया। समारोह का समापन डॉ. डी. सी. पांडे, विनि द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

कार्यालय उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, विशाखापट्टनम की राजभाषायी गतिविधियां 2020-21

कार्यालय में दिनांक 11/09/2020 से 18/09/2020 तक हिन्दी सप्ताह समारोह का शुभारंभ, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक एवं कार्यालय प्रमुख की अध्यक्षता में दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। हिंदी भाषा का महत्व एवं भाषा को बढ़ावा देने हेतु सभी को हिन्दी में कार्य करने के बारे में उद्बोधित किया गया। हर तिमाही के लिए कार्यालय में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। वर्ष 2019-20 के दौरान टिप्पण / आलेखन में कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत लेखा-जोखा के आधार पर कर्मचारियों को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

2021-22

कार्यालय में दि. 13.09.2021 से 17.09.2021 तक हिंदी सप्ताह मनाया गया, इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जैसे- (पोस्टर प्रतियोगिता, पढ़ना और लिखना पूरा करना, निबंध, नोटिंग और वाद-विवाद आदि) कोविड-19 महामारी के कारण किसी बाहरी अतिथि को आमंत्रित नहीं किया गया है और समापन दिवस पर इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए।



कार्यालय उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक मंगलूर की

राजभाषायी गतिविधियां 2020-21

कार्यालय में सितंबर 2020 में हिन्दी सप्ताह समारोह कार्यालय प्रमुख की अध्यक्षता में दीप प्रज्वलन के साथ आयोजित किया गया। हिन्दी भाषा के महत्व एवं भाषा को बढ़ावा देने हेतु सभी को हिन्दी में कार्य करने के बारे में उद्बोधित किया गया। हर तिमाही में कार्यालय में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में कार्यालय प्रमुख ने भाग लिया।

2021-22

कार्यालय उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक मंगलूर, में दिनांक 08/09/2021 से 15/09/2021 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। कार्यालयाध्यक्ष श्री ए. के. श्रीवास्तव विस्फोटक नियंत्रक द्वारा दिनांक 08.09.2021को हिन्दी साप्ताहिक कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर हिन्दी अधिकारी श्री प्रशांत यादव, उप विस्फोटक नियंत्रक द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत करवाया गया। सप्ताह के दौरान निबंध, पोस्टर, स्लोगन, हिन्दी टंकण आदि प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं, जिसमें सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। हिन्दी दिवस के अवसर पर माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रीजी के संदेश को सभी के समक्ष अनुपान हेतु पढ़ा गया। हिन्दी साप्ताहिक कार्यक्रम के समापन के दौरान कार्यालयाध्यक्ष श्री ए.के. श्रीवास्तव विस्फोटक नियंत्रक ने कहा कि सभी अपना अधिक से अधिक कार्य तथा वार्तालाप हिन्दी में करें। कार्यालय में श्री गोविंदराम एन., उप विस्फोटक नियंत्रक ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया।

कार्यालय उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, शिवकाशी

राजभाषायी गतिविधियां 2020-21



कार्यालय में दिनांक 08/09/2020 से दिनांक 14/09/2020 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया जिसमें कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वर्तमान कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में जारी दिशा निर्देशों तथा सभी एसओपी को ध्यान में रखते हुए सभी प्रतियोगिताओं को ऑनलाइन माध्यम (google फ़ॉर्म) से हिन्दी अधिकारियों द्वारा आयोजित किया गया है। इस विशेष प्रयास की सराहना करते हुए सभी कर्मचारियों ने प्रतियोगिताओं में बड़े उत्साह के साथ बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस अवसर पर दिनांक 14.09.2020 को माननीय गृहमंत्री जी द्वारा हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य पर दिये गए संदेश को सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समक्ष पढ़ा गया। दिनांक 14.09.2020 को हिन्दी समापन समारोह के अवसर पर राजभाषा हिन्दी की दूसरी तिमाही कार्यशाला का आयोजन भी

किया गया जिसमें कार्यालय अध्यक्ष श्री के. सुंदरेशन द्वारा व्याख्यान दिया गया। उन्होंने कार्यालय में हिंदी में अधिक से अधिक काम को करने के लिये सभी को प्रेरित किया। इस अवसर पर कार्यालय प्रमुख द्वारा पोस्टर प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों तथा उनके परिजनों द्वारा बनाए गए पोस्टरों का आंकलन भी किया गया।

2021-22

श्रीमान मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर के कार्यालय ज्ञापन संख्याई-10003/1/2021/हिंदी पखवाड़ा दिनांक 14.09.2021 तथा गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के पत्र दिनांक 10/08/2021 के संदर्भ में कार्यालय उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, शिवकाशी एवं कार्यालय विस्फोटक नियंत्रक, आतिशबाजी अनुसंधान एवं विकास केंद्र, शिवकाशी में दिनांक 06/09/2021 से दिनांक 20/09/2021 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

सभी प्रतियोगिताओं का वर्तमान कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में जारी दिशा निर्देशों तथा सभी एसओपी को ध्यान में रखते हुए आयोजन किया गया। इस प्रयास की सराहना करते हुए सभी कर्मचारियों ने प्रतियोगिताओं में बड़े उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर दिनांक 14.09.2021 को माननीय गृहमंत्री जी द्वारा हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य पर दिये गए संदेश को सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समक्ष अनुपालन हेतु पढ़ा गया।

दिनांक 20.09.2021 को हिन्दी समापन समारोह के अवसर पर राजभाषा हिन्दी की दूसरी तिमाही कार्यशाला का आयोजन भी किया गया जिसमें कार्यालय अध्यक्ष श्री के. त्यागराजन द्वारा व्याख्यान दिया गया। उन्होंने कार्यालय में हिंदी में अधिक से अधिक काम को करने के लिये सभी को प्रेरित किया।

आतिशबाजी अनुसंधान एवं विकास केंद्र, शिवकाशी

आतिशबाजी अनुसंधान एवं विकास केंद्र, शिवकाशी में हिन्दी पखवाड़ा दि. 6/9/2021 से दि. 20/9/2021 तक मनाया गया।

कार्यालय उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक एर्नाकुलम की राजभाषायी गतिविधियां 2020-21

उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, कार्यालय में इस वर्ष 01 से 14 सितंबर, 2020 तक हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया। इस अवसर पर दिनांक 01.09.2020 को सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा माँ सरस्वती की वन्दना के साथ पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, डॉ. आर. वेणुगोपाल ने सभी का स्वागत करते हुए अपने अभिभाषण में राजभाषा हिन्दी के अधिनियम 1963 के बारे में सूचित किए एवं हिन्दी के प्रसार एवं प्रचार की आवश्यकता पर उपस्थित सभी कर्मचारियों को अवगत कराया एवं सभी कर्मचारियों को अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने का अनुरोध किया। राजभाषा अधिकारी डॉ. पी. के राणा, विस्फोटक नियंत्रक द्वारा पखवाड़ा में आयोजित होने वाले कार्यक्रम का विवरण दिया गया एवं सभी कर्मचारियों को इसमें भाग लेने के लिए अनुरोध किया गया। दिनांक 02.09.2020 से दिनांक 11.09.2020 तक विभिन्न प्रतियोगिता वाद विवाद, कविता पाठोस्तव, पोस्टर, प्रारूप लेखन तथा प्रशासन एवं प्रशिक्षण शब्दावली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सभी कर्मचारियों ने प्रतियोगिता में बढ़चढ़ कर भाग लिए एवं दिनांक 14/09/2020 को हिन्दी दिवस अनलाइन माध्यम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में डॉ. डी राथिकादेवी, सहायक निदेशक, हिन्दी शिक्षण योजना, केंद्रीय भवन, काकनाड़, एर्नाकुलम मुख्य अतिथि के रूप से उपस्थित थीं। डॉ. आर. वेणुगोपाल, कार्यालय प्रमुख द्वारा मुख्य अतिथि तथा सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए बैठक की शुरुआत की। समारोह में उपस्थित सभी श्रोताओं ने

ध्यान से उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के संदेश को सुना। उन्होंने सरकारी कार्य में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यह हम सबका कर्तव्य है कि हम सरकारी कामकाज में सरल, सहज व बोलचाल की हिन्दी का प्रयोग करें। उन्होंने कार्यालय में हिन्दी के सुगम प्रयोग हेतु आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए डॉ पी. के राणा, विस्फोटक नियंत्रक तथा राजभाषा अधिकारी ने विजेताओं के नाम घोषित किए। उन्होंने कहा कि हिन्दी पखवाड़ा के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। इन प्रतियोगिताओं में हमारे संस्थान के संकाय कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। उन्होंने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने हिन्दी पखवाड़े के सफल आयोजन पर सभी को धन्यवाद दिया एवं मुख्य अथिती को अपना अभिभाषण देने के लिए आमंत्रित किया।

डॉ डी राथिकादेवी, मुख्य अथिती द्वारा विस्तृत रूप से हिन्दी भाषा की मधुरता की प्रशंसा करते हुए इसको राजभाषा का दर्जा देने की बात कही। संदेश में विभिन्न सरकारी कार्यालयों में हिन्दी में टिप्पण व पत्राचार को पर्याप्त रूप से प्रोत्साहित करने तथा कम्प्यूटर उपकरणों में हिन्दी में काम करने की सुविधा पर बल दिया जाने के लिए सुझाव दिए।

अंत में सभी कर्मचारियों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। श्री एस शरवन्न, उप विस्फोटक नियंत्रक द्वारा सभी को धन्यवाद देकर कार्यक्रम का समापन किया।

2021-22

कार्यालय में दिनांक 14/09/2021 से 28/09/2021 तक आयोजित हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया। इस दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति रही। पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिनमें वाद-विवाद, हिन्दी श्रुतलेख, कविता पाठ, निबंध लेखन, हिन्दी में भाषण और पोस्टर प्रतियोगिता शामिल थीं। श्रीमती जानकी, प्रबंधक, आईआईएल लिमिटेड समापन बैठक में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित थीं और उनके द्वारा मुख्य भाषण दिया गया था।

कार्यालय विस्फोटक नियंत्रक वेल्लोर की

राजभाषायी गतिविधियां 2020-21

कार्यालय में दिनांक 25.02.2020 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में डॉ. डी. एल. कांबले, विस्फोटक नियंत्रक ने भाग लिया। दिनांक 25.02.2020 को श्रीमान मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा कार्यालय की हिन्दी निरीक्षण किया गया। दिनांक 01.09.2020 से 07.09.2020 हिन्दी सप्ताह समारोह का शुभारंभ, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक एवं कार्यालय प्रमुख डॉ. डी. एल. कांबले, विस्फोटक नियंत्रक की अध्यक्षता में दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। हिन्दी भाषा का महत्व एवं भाषा को बढ़ावा देने हेतु सभी को हिन्दी में कार्य करने के बारे में उद्बोधित किया गया।

2021-22

कार्यालय में दिनांक 1/09/2021 से 07/09/2021 तक हिन्दी सप्ताह समारोह का आयोजन बैनर एवं पोस्टर प्रदर्शित कर किया गया। दि. 08/03/2022 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।

भोपाल कार्यालय की राजभाषायी गतिविधियां 2020-21

कार्यालय में दिनांक 22.06.2020, 07.09.2020, 15.10.2020 एवं 05.01.2021 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भाग लिया तथा कार्यालयध्यक्ष द्वारा हिन्दी संबन्धित कार्य की समीक्षा

की गई। दिनांक 24.06.2020 को “कोरोना वाइरस कोविड-19 महामारी से सुरक्षा” विषय पर प्रथम तथा दिनांक 09.09.2020, 17.12.2020 एवं 24.03.2021 को कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, आगरा द्वारा ऑनलाइन माध्यम से आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। कार्यालय में दिनांक 09.09.2020 से दिनांक 14.09.2020 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं की गई एवं दिनांक 14.09.2020 को हिन्दी दिवस मनाया गया। दिनांक 22.02.2021 को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का आयोजन किया गया।



2021-22

कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, भोपाल में दिनांक 12/04/2021, 12/07/2021, 07/12/2021 एवं 21/02/2022 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठकों का आयोजन किया गया। कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने दिनांक 30/09/2021, 31/12/2021 एवं 02/03/2022 को आयोजित कार्यशालाओं में भाग लिया। सितंबर माह में हिंदी दिवस का आयोजन दिनांक 14.09.2021 को किया गया जिसमें सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। श्री पी. कुमार, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर द्वारा दिनांक 02/03/2022 को कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, भोपाल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय के राजभाषा कार्य एवं रिपोर्ट की समीक्षा की गई। कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, भोपाल में वर्ष 2021-22 की चतुर्थ हिन्दी कार्यशाला का आयोजन दिनांक 02.03.2022 को कार्यालय परिसर में किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे श्री पी. कुमार, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर के करकमलों द्वारा संपन्न किया गया। कार्यशाला का विषय “कार्यालय में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी दस्तावेजों की समीक्षा” रखा गया था जिसमें सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया - कार्यक्रम के आरंभ में डॉ. मोहम्मद इकबाल जफर अंसारी, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक ने मुख्य अतिथि श्री पी. कुमार, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर को पुष्पों का गुलदस्ता देकर व शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। साथ ही श्री राजेंद्र रावत, विस्फोटक नियंत्रक ने मुख्य अतिथि को शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया एवं श्री तेजवीर सिंह, उप विस्फोटक नियंत्रक व कर्मचारियों के द्वारा पुष्पों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। कार्यशाला के दौरान मुख्य अतिथि ने सभी उपस्थित सदस्यों को शतप्रतिशत कार्य हिन्दी में करने की सलाह दी एवं राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी दस्तावेजों की समीक्षा की गई। कार्यक्रम

के अंत में श्री तेजवीर सिंह, हिन्दी राजभाषा अधिकारी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला का समापन किया गया।

श्री राजेंद्र रावत, विस्फोटक नियंत्रक एवं श्री तेजवीर सिंह, उप विस्फोटक नियंत्रक ने दिनांक 29/07/2021 को आयोजित प्रथम छमाही नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में भाग लिया एवं डॉ. मोहम्मद इकबाल जफ़र अंसारी, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, भोपाल एवं श्री तेजवीर सिंह, उप विस्फोटक नियंत्रक ने दिनांक 15/12/2021 को आयोजित द्वितीय छमाही नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में भाग लिया।



अंचल कार्यालय भोपाल ने दिनांक 30.09.2021 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

श्री पी कुमार मुख्य विस्फोटक नियंत्रक ने संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक भोपाल कार्यालय का दिनांक 02.03.2022 को राजभाषा निरीक्षण के लिए दौरा किए।



अंचल कार्यालय भोपाल में दिनांक 08.03.2022 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।

रायपुर कार्यालय की राजभाषायी गतिविधियां 2020-21



कार्यालय में नियमित तौर पर त्रैमासिक हिंदी बैठकों एवं त्रैमासिक हिंदी कार्यशालाओं के आयोजन के अतिरिक्त समय-समय पर कार्यालय प्रमुख महोदय की अध्यक्षता में शीर्षस्थ प्रशासनिक बैठकों का आयोजन किया गया एवं ऐसी सभी बैठकों में राजभाषा सम्बन्धी कार्यों की भी नियमित समीक्षा की गई एवं आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कार्यशालाओं में अतिथि वक्ता के रूप में तकनीकी क्षेत्र से सम्बन्धित व्यक्तियों को आमंत्रित कर तकनीकी विषयों पर हिंदी में चर्चाएं आयोजित की गईं।

कार्यालय में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया एवं इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की छमाही बैठकों में भी कार्यालय प्रमुख एवं राजभाषा से सम्बद्ध कर्मचारी ने नियमित रूप से भाग लिया।

त्रैमासिक हिंदी बैठकों का विवरण -प्रथम त्रैमासिक बैठक दिनांक 10.06.2019, द्वितीय त्रैमासिक बैठक दिनांक 06.08.2019, तृतीय त्रैमासिक बैठक दिनांक 06.12.2019 और चतुर्थ त्रैमासिक बैठक दिनांक 12.02.2020.

दिनांक 14.06.2019 को "हिंदी में उपयोग होने वाले सॉफ्टवेयर्स" विषय पर प्रथम त्रैमासिक कार्यशाला आयोजन किया गया। दिनांक 17.09.2019 "दैनिक कामकाज में उपयोग में आने वाली हिंदी के शब्दों एवं वाक्यों का सरकारी कामकाज में प्रयोग" विषय पर द्वितीय त्रैमासिक कार्यशाला आयोजित की गई। दिनांक 16.12.2019 तृतीय त्रैमासिक कार्यशाला का आयोजित की गई। दिनांक 20.03.2020 चतुर्थ त्रैमासिक कार्यशाला आयोजित की गई। दिनांक 14.06.2019 को आयोजित प्रथम त्रैमासिक हिंदी कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में श्री बृजेश कुमार, मुख्य प्रबंधक, मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर उपस्थित हुए। दिनांक 11.09.2019 से 17.09.2019 तक हिन्दी सप्ताह एवं द्वितीय त्रैमासिक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री डी.एन.साहू, हिन्दी प्रोफेसर, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। दिनांक 23.09.2019 से 25.09.2019 तक श्री गजराज सिंह, संयुक्त निदेशक, राजभाषा विभाग, (डीपीआईआईटी), नई दिल्ली द्वारा कार्यालय के राजभाषायी कार्यों का निरीक्षण किया गया। दिनांक 26.09.2019 को श्री आशेन्द्र सिंह, विस्फोटक नियंत्रक ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रायपुर की छमाही बैठक में भाग लिया। दिनांक 16.12.2019 को आयोजित तृतीय त्रैमासिक हिंदी कार्यशाला में श्री देवेन्द्र कुमार शुक्ला, मुख्य प्रशासनिक अधीक्षक, मै० हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। दिनांक 28.02.2020 को डा.एस.के.दीक्षित, विस्फोटक नियंत्रक, आगरा द्वारा कार्यालय के राजभाषायी कार्यों का निरीक्षण किया गया। दिनांक 20.03.2020 को चतुर्थ त्रैमासिक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें श्री अभिजीत पनारी, टेरीटेरी प्रबंधक, मै० भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए।

2021-22

कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की राजभाषा हिंदी के प्रति जागरूकता एवं रुचि उत्पन्न करने के लिए कार्यालयाध्यक्ष के निर्देशानुसार गौरवमई परम्परा का निर्वाह करते हुये कार्यालय में दि.13.09.2021 से 20.09.2021 तक राजभाषा हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जैसे- निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, हिंदी सुलेख प्रतियोगिता, नोटिंग्स एवं ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता जिसमें कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साह से प्रतिभागिता की। दि. 20.09.2021 को द्वितीय हिंदी कार्यशाला के साथ हिंदी सप्ताह का समापन समारोह सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर

कार्यालयाध्यक्ष के मार्गदर्शन में राजभाषा विभाग द्वारा जारी किये दिशानिर्देश अनुसार कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने हेतु वर्ष की प्रत्येक तिमाही में एक हिंदी बैठक एवं हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। वर्ष 2021-2022 त्रैमासिक बैठक क्रमशः प्रथम,द्वितीय,तृतीय एवं चतुर्थ दिनांक 11.06.2021, 16.08.2021, 08.12.2021, 16.02.2022 को आयोजित की गई साथ ही कार्यशाला भी क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, एवं चतुर्थ का दिनांक 28.06.2021, 20.09.2021, 20.12.2021, 14.03.2022 को आयोजन किया गया।

उपरोक्त आयोजित बैठकों एवं कार्यशालाओं में हिंदी राजभाषा के प्रति कार्यालयध्यक्ष द्वारा प्रत्येक तिमाही में जो भी कार्यालयीन कार्य किये जाते हैं उन्हें सही प्रकार से संपादित किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया जिसके परिणाम स्वरूप आयोजित सभी चारों तिमाही में निम्नलिखित बिंदुओं का निस्तारण सफलता पूर्वक इस कार्यालय द्वारा सम्पादित किया गया है।

1. कार्यालय में सभी अधिकारियों का नाम फलक द्विभाषी रूप में दिये गये हैं।
2. कार्यालय में सभी रजिस्टर द्विभाषी रूप में बनाये गये हैं।
3. कार्यालय की सभी मोहरे द्विभाषी रूप में बनाये गये हैं।
4. आगंतुक कक्ष में प्रतिस्थापित पट पर इस कार्यालय के विभिन्न नियम एवं अनुज्ञप्तियों से सम्बंधित दिशा निर्देश एवं अनुदेश हिंदी में ही प्रदर्शित कर दिये हैं एवं सतर्कता पट भी समस्त अनुदेश हिंदी में ही लिखे गये हैं।
5. कार्यालय में पत्रावली पर लगभग 100% टिप्पणियाँ हिंदी या द्विभाषी रूप में लिखना आरम्भ हो चुका है।
6. कार्यालय का ऑनलाईन त्रैमासिक प्रतिवेदन सुचारु रूप से विकसित करने के पश्चात निर्धारित समय सीमा के अंदर www.rajbhasha.in में नियमित रूप से प्रेषित कर, संबंधित अधिकारियों को अवलोकनार्थ हेतु प्रेषित किया जाना सुनिश्चित कर दिया गया है।
7. हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिया जाना सुनिश्चित कर दिया है।
8. कार्यालय को राजभाषा नियम, 1976 के नियम संख्या 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित कर दिया गया है तथा हिंदी रोस्टर का अध्ययन कर श्रीमान मुख्य विस्फोटक नियंत्रक,नागपुर को प्रेषित कर दिया गया है।
9. कार्यालय में हिंदी पत्रों की प्रतिशतता बढ़ाने के लिए, ऐसे पत्र एवं अनुज्ञप्तियाँ जो कि, अंग्रेजी में जारी किये जाते हैं के ऊपर हिंदी का एक अग्रसारण पत्र संलग्न कर प्रेषित करना सुनिश्चित कर दिया गया है ताकि, कार्यालय से जारी हिंदी पत्रों की प्रतिशतता में वृद्धि की जा सके।
10. कार्यालय में एक श्वेत पट प्रतिस्थापित कर प्रतिदिन आज का सुविचार एवं आज का शब्द लिखने की प्रतिक्रियाएं आरम्भ कर दी गई है ताकि, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का हिंदी का ज्ञान सर्वथा प्रगतिशील रहे।
11. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रायपुर द्वारा आयोजित वर्ष 2021-2022 की दि. 22.10.2021 को आयोजित प्रथम अर्ध वार्षिक बैठक और दि. 22.01.2022 को द्वितीय बैठक में श्रीमान आशेन्द्र सिंह, विस्फोटक नियंत्रक, रायपुर ने प्रतिभागिता की। नराकास की दि.18.02.2022 की ऑनलाईन हिन्दी कार्यशाला में श्री. आर. एच. बोरकर, हिन्दी अधिकारी तथा उप. विस्फोटक नियंत्रक एवं श्री. राज कुमार, उप. विस्फोटक नियंत्रक रायपुर ने प्रतिभागिता की।
12. श्री आशेन्द्र सिंह, विस्फोटक नियंत्रक, रायपुर ने तीसरी हिंदी कार्यशाला में दिनांक 17.12.2021 को वेबेक्स ऑनलाइन बैठक के माध्यम से भाग लिया और बैठक की अध्यक्षता श्रीमान संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक संयुक्त आगरा ने की सम्पन्न की गई।

कार्यालय उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, हैदराबाद की

राजभाषायी गतिविधियां 2020-21

कार्यालय में दिनांक 04/06/2020 को वर्ष 2019-20 के दौरान टिप्पण / आलेखन में कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत लेखा जोखा के आधार पर कर्मचारियों को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया गया। दि. 07/09/2020 से 14/09/2020 तक हिंदी भाषा की महत्व एवं भाषा को बढ़ावा देने हेतु सभी को हिन्दी में कार्य करने के बारे में उद्बोधन किया गया। कार्यालय में दिनांक 14/08/2020, 07/09/2020, 11/09/2020, 18/09/2020, 23/10/2020, 27/11/2020 को हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

2021-22

कार्यालय में दिनांक 14/04/2021, 14/06/2021, 06/12/2021 और 21/03/2022 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। दि. 09/09/2021 से 17/09/2021 तक हिंदी सप्ताह मनाया गया तथा दि. 14/09/2021 को हिंदी दिवस मनाया गया। दि. 17/06/2021, 09/09/2021, 13/12/2021 और 22/03/2022 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, उत्तरी अंचल फरीदाबाद

राजभाषायी गतिविधियां 2020-21

कार्यालय में दिनांक 26.06.2020 को श्री आर.एन.मीना, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक की अध्यक्षता में हिंदी कार्यशाला व हिन्दी कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। दिनांक 08.09.2020 से 22.09.2020 तक कार्यालय में श्री आर.एन.मीना, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक की अध्यक्षता में हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया गया एवं विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। दिनांक 14.09.2020 को कार्यालय में हिंदी दिवस मनाया गया। दिनांक 22.09.2020 को कार्यालय में श्री आर.एन.मीना, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक की अध्यक्षता में हिंदी कार्यशाला व हिन्दी कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। दिनांक 28.10.2020 को नराकास फरीदाबाद द्वारा आयोजित ई बैठक में श्री आर.एन.मीना, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक की अध्यक्षता में हिंदी कार्यशाला व हिन्दी कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। दिनांक 28.12.2020 को कार्यालय में श्री आर.एन.मीना, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक की अध्यक्षता में हिंदी कार्यशाला व हिन्दी कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। दिनांक 18.02.2021 को श्री एम.के.झाला, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक/विभाग प्रमुख/ द्वारा कार्यालय का राजभाषायी ई-निरीक्षण किया गया जिसमें श्री आर.एन.मीना., सं.मु.वि.नि., डा. एस.के.सिंह, वि.नि. ने भाग लिया। दिनांक 26.03.2021 कार्यालय में श्री आर.एन.मीना, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक की अध्यक्षता में हिंदी कार्यशाला व हिन्दी कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

2021-22

कार्यालय में श्री आर.एन.मीना, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक की अध्यक्षता में दि. 28.06.2021 हिंदी कार्यशाला व हिन्दी कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। दि. 10.08.2021 को नराकास फरीदाबाद की छमाही ई-बैठक में जूम एप के माध्यम से श्री आर.एन.मीना, सं.मु.वि.नि., डा. ए.पी.सिंह, उ0वि0नि0 व श्री अजय कुमार, उ.श्रे.लि. ने भाग लिया। दि.18.08.2021 संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा फरीदाबाद कार्यालय का दिल्ली में निरीक्षण किया गया जिसमें श्री एम.के.झाला, सं.मु.वि.नि.विभाग प्रमुख, श्री आर.एन.मीना, सं.मु.वि.नि.विभाग प्रमुख

डा.एस.के.सिंह, वि.नि., श्री एस.डी.मिश्रा, वि.नि., डा.ए.पी.सिंह, उविनि, श्रीमती वैशाली चिरड़े, हिन्दी अधिकारी एवं श्री अजय कुमार, उ.श्रे.लि. ने भाग लिया। दि. 24.08.2021 डा0 ए.पी.सिंह, वि0नि0 ने नराकास फरीदाबाद द्वारा आयोजित ई-हिन्दी कार्यशाला में ऑनलाईन माध्यम से भाग लिया।



पेसो फरीदाबाद कार्यालय में आयोजित हिन्दी पखवाड़े के दौरान ब्याख्यान देते हुए

श्री आर. एन. मीना, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, उत्तरांचल, फरीदाबाद

कार्यालय में श्री आर.एन.मीना, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियन्त्रक की अध्यक्षता में दि. 13.09.2021 से दि. 27.09.2021 तक हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया गया एवं विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। दि. 14.09.2021 कार्यालय में हिंदी दिवस मनाया गया। दि. 27.09.2021 कार्यालय में श्री आर.एन.मीना, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियन्त्रक की अध्यक्षता में हिंदी कार्यशाला व हिन्दी कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

दि. 23.11.2021 को श्री आर.एन. मीना. सं.मु.वि.नि. व श्री अजय कुमार, यूडीसी ने नराकास फरीदाबाद द्वारा आयोजित छमाही हिंदी बैठक में जूम एप के माध्यम से भाग लिया। दि. 28.12.2021 स्वास्थ्य: सरल एक्यूटिप्स' विषय पर दिनांक 28.12.2021 को 10.30 बजे से 1.00 बजे तक नराकास द्वारा आयोजित वेबिनार में डा. ए.पी.सिंह, उ.वि.नि., श्री विजयपाल सिंह, का.अ., श्री अजय कुमार, यूडीसी, श्रीमती सोनू, अ.श्रे.लि, श्री पवन, अ.श्रे.लि. व श्री विजय कुमार शर्मा, अ.श्रे.लि ने भाग लिया। दि.17.12.2021 कार्यालय में श्री आर.एन.मीना, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियन्त्रक की अध्यक्षता में हिंदी कार्यशाला व हिन्दी कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। दि. 31.03.2022 को कार्यालय में श्री आर.एन.मीना, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियन्त्रक की अध्यक्षता में हिंदी कार्यशाला व हिन्दी कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

कार्यालय उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, चंडीगढ़

राजभाषायी गतिविधियां 2020-21

कार्यालय द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और हमेशा ही राजभाषायी कार्य में अग्रसर रहा है। कार्यालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को कार्यालयीन कार्य हिन्दी में करने हेतु हिन्दी का पर्याप्त कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है। कार्यालय में हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया और इसके अंतर्गत राजभाषा अधिनियम और उसके कार्यान्वयन की जानकारी दी गई। कार्यालय द्वारा अधिक से अधिक पत्राचार हिन्दी में करने का प्रयास किया गया। श्री दीपक, क.श्रे.लि. द्वारा दि. 19.12.2019 को नराकास, चंडीगढ़ द्वारा आयोजित हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यालय प्रमुख द्वारा समय समय पर राजभाषायी कार्य की मानिट्रिंग की जाती है।

2021-22

कार्यालय में दिनांक 08.09.2021 से 14.09.2021 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया। विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे पोस्टर बनाना, टाइपिंग, निबंध लेखन आदि का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में सभी कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

कार्यालय उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर राजभाषायी गतिविधियां 2020-21

कार्यालय उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर में कार्यालय प्रमुख की अध्यक्षता में प्रत्येक तिमाही में त्रैमासिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। इन सभाओं में कार्यालय में हिन्दी संबंधी कार्यों की समीक्षा एवं मार्गदर्शन किया गया। आयोजित हिन्दी त्रैमासिक बैठक क्रमशः पहली, दूसरी, तीसरी तथा चौथी दिनांक 12.06.2019, 05.09.2019, 09.10.2019, 20.01.2020 को आयोजित की गई।

हिन्दी कार्यशालाओं का विवरण- दि. 13.06.2019 को श्री अजय सिंह, उप मु.वि.नि., जयपुर द्वारा राजभाषा संबंधी वार्षिक लक्ष्य एवं दिशा निर्देश विषय पर कार्यशाला संबोधित की। दि. 19.09.2019 को श्री संजय कपूर सहायक अभियंता, आकाषवाणी द्वारा यूनिकोड के प्रयोग विषय पर कार्यशाला संबोधित की। दि. 09.10.2019 को श्री भूपेन्द्र सिंह हिन्दी अधिकारी एवं उ. वि. नि. द्वारा राजभाषा अधिनियम विषय पर कार्यशाला संबोधित की कार्यालय उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर में दिनांक 09.09.2019 से 20.09.2019 तक हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इसमें कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं - हिन्दी टंकण, पोस्टर एवं स्लोगन, निबंध, वाद-विवाद, हिन्दी अनुवाद एवं कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के समापन समारोह में श्री अजय सिंह, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर एवं अन्य अधिकारियों द्वारा विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार दिये गये। नराकास, जयपुर के 77वीं अर्धवार्षिक बैठक में दिनांक 29.08.2018 को श्री अजय सिंह, उ. मु. वि. नि., श्री भूपेन्द्र सिंह, उप वि. नि. एवं श्री दीपनारायण प्रसाद गुप्ता, उ. श्रे. लि. ने भाग लिया। नराकास, जयपुर के 78वीं अर्धवार्षिक बैठक में दिनांक 28.01.2020 को श्री भूपेन्द्र सिंह, उप वि. नि. एवं श्री दीपनारायण प्रसाद गुप्ता, उ. श्रे. लि. ने भाग लिया। श्री रोहित चग्तु, आशुलिपिक ग्रेड.3 एवं श्री सुनील, अवर श्रेणी लिपिक नं 15/10/2019 से 17/10/2019 तक /तीन दिवसीय/ दूरस्थ माध्यम से हिन्दी टंकण प्रशिक्षण में भाग लिया।

2021-22

जयपुर कार्यालय में क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ बैठक दिनांक 30.06.2021, 12.08.2021, 18.10.2021, तथा 28.01.2022 को आयोजित की गई। दिनांक 28.10.2021 को राजभाषा अधिनियम एवं नियमों से संबंधित विषय पर श्री भूपेन्द्र सिंह, हिन्दी अधिकारी एवं विस्फोटक नियंत्रक द्वारा व्याख्यान दिया गया। दिनांक 01.09.2021 से दिनांक 15.09.2021 तक हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इसमें कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं - हिन्दी टंकण, पोस्टर एवं स्लोगन, निबंध, वाद-विवाद, हिन्दी अनुवाद तथा कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के समापन समारोह में श्री अजय सिंह, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर एवं अन्य अधिकारियों द्वारा विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए गये। इस बार हिन्दी पखवाड़े में कोविड से बचाव व सुरक्षा हेतु विशेष ध्यान रखा गया तथा प्रतिभागियों द्वारा पोस्टर एवं स्लोगन के माध्यम से सभी आगंतुकों को जागरूक किया गया। नराकास, जयपुर के दिनांक 26.08.2021 को 81वीं अर्धवार्षिक

बैठक और 82वीं अर्द्धवार्षिक बैठक में दिनांक 31.01.2022 को श्री भूपेन्द्र सिंह, उप विस्फोटक नियंत्रक ने विडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।



कार्यालय सयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, पूर्वी अंचल कोलकाता राजभाषायी गतिविधियां 2020-21

कार्यालय में दिनांक 15.06.2020, 13.07.2020, 19.10.2020, 31.03.2021 को राजभाषा कार्यन्वयन समिति का बैठक का आयोजन किया गया। दि. 22.02.2021 को हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यालय में राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित कार्यक्रमों के अंतर्गत दिनांक 14.09.2020 से 28.09.2020 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। हिन्दी पखवाड़ा का शुभारम्भ दिनांक 14.09.2020 को हिन्दी दिवस समारोह के साथ किया गया। डा. आर. के. राठौर, उ.मु.वि.नि. के अध्यक्षीय सम्बोधन उपरांत श्री निर्मल कुमार दुबे, सहायक निदेशक, राजभाषा विभाग, कोलकाता बतौर मुख्य अतिथि समारोह में सम्मिलित हुए। अब्दुल मुत्तलिब, विस्फोटक नियंत्रक द्वारा माननीय गृह मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा लिखित हिन्दी संदेश का पठन किया गया। श्री निर्मल कुमार दुबे जी ने अपने व्याख्यान में हिंदी को बढ़ावा देने हेतु सरकार के प्रयासों में सभी की भागीदारी की आवश्यकता को महत्वपूर्ण बताया। पखवाड़े के दौरान दिनांक 15.09.2020 को नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता, दिनांक 16.09.2020 को पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगिता, दिनांक 18.09.2020 को सुलेखन प्रतियोगिता एवं दिनांक 22.09.2020 को निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यालय के सभी कर्मचारियों ने प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और सभी अधिकारियों के सहयोग द्वारा प्रतियोगिताओं का सफल संचालन किया गया। दिनांक 28.09.2020 को हिन्दी पखवाड़ा समापन समारोह मनाया गया। समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं की घोषणा की गई एवं पुरस्कार राशि को पी. एफ. एम एस के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में जमा किया जायेगा। श्री दीपक कुमार, उप विस्फोटक नियंत्रक द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हिन्दी पखवाड़ा समारोह, वर्ष 2020 का समापन किया गया।



2021-22

कार्यालय संयुक्त मुख्य बिस्फोटक नियंत्रक, पूर्वी अंचल, कोलकाता में दिनांक 14.09.2021 से 28.09.2021 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। दिनांक 17.09.2021 को सुलेखन प्रतियोगिता, दिनांक 20.09.2021 को निबंध प्रतियोगिता, दिनांक 22.09.2021 को नोटिंग एव ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता, दिनांक 24.09.2021 को पोस्टर एव स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हिन्दी को और अधिक बढ़ावा देने हेतु दिनांक 27.09.2021 को गूगल फॉर्म के माध्यम से हिन्दी आनलाईन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दिनांक 28.09.2021 को हिन्दी पखवाड़ा का समापन समारोह का आयोजन किया गया। पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मुख्य अतिथि/कार्यालय अध्यक्ष एवं अन्य अधिकारियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। हिन्दी के प्रचार एव प्रसार को और बढ़ावा देने हेतु कार्यालय अध्यक्ष ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधन किया।



कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 06.05.2021, 20.07.2021, 11.10.2021 एवं 17.01.2022 को आयोजित की गई। कार्यालय में दिनांक 04.03.2022 को हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यालय उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, राँची

राजभाषायी गतिविधियां 2020-21

कार्यालय उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, राँची में दिनांक 26/06/2020, 28/08/2020, 23/12/2020 एवं 15/03/2021 को हिंदी सभा का आयोजन किया गया। दिनांक 15/03/2021 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कोविड महामारी के कारण सावधानी की दृष्टि से पिछली तिमाहियों में कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया। 14 सितम्बर 2020 को हिन्दी दिवस मनाया गया। दिनांक

03/09/2020 से 17/09/2020 तक हिन्दी पखवाडा मनाया गया। हिन्दी पखवाडा के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।



कार्यालय उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, भुवनेश्वर
राजभाषायी गतिविधियां 2020-21

कार्यालय उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, भुवनेश्वर में दिनांक 07.09.2020 से 14.09.2020 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसके अन्तर्गत विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं जैसे कि पोस्टर प्रतियोगिता, हिन्दी श्रुतलेखन, वाद-विवाद एवं हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। हिन्दी भाषा में प्रमुख सूक्तियों के पोस्टर बनाकर प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया गया। इन सभी प्रतियोगिताओं में विजेताओं में विजेताओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान किए गए तथा हिन्दी भाषा के प्रति सम्मान दर्शाते हुए समारोह का समापन किया गया। हिन्दी सप्ताह के दौरान माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के संदेश को पढ़ा गया। यह कार्यालय ग क्षेत्र में होने के बाद भी सभी अधिकारियों ने पूर्ण उत्साह और समर्पण के साथ उक्त समारोह में भाग लिया।



हिन्दी भाषा में प्रमुख सूक्तियों के पोस्टर का प्रदर्शन ।

2021-22

कार्यालय उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, भूवनेश्वर में दिनांक 13.09.2021 से 17.09.2021 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे हिन्दी सुलेख, पोस्टर, हिन्दी श्रुतलेखन एवं वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

कार्यालय विस्फोटक नियंत्रक कार्यालय, पटना

राजभाषायी गतिविधियां 2020-21

कार्यालय में वर्ष 2019-20 के दौरान राजभाषा कार्यान्वय को विशेष महत्व दिया गया और वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप कार्य किया गया। श्री एस. डी. मिश्रा विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर द्वारा दिनांक 18/06/2019 को इस कार्यालय का विशेष निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न पहलुओं की जांच की गयी एवं निरीक्षक महोदय ने कार्यालय में राजभाषा संबंधित कार्यों की सराहना भी की। इस कार्यालय में दिनांक 02/08/2019 को विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया। इस कार्यालय में श्रीमान मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के आदेशानुसार दिनांक 09/09/2019 से 16/09/2019 तक हिन्द सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने राजभाषा के अधिकाधिक कार्यान्वयन के महत्व पर चर्चा की। सभी ने इस विषय के महत्व पर अपने विचार प्रस्तुत किये। कार्यक्रम के दौरान हिन्दी वाद-विवाद, हिन्दी गायन, हिन्दी काव्यपाठ की प्रतियोगिताएँ आयोजित की गयी, जिसमें सभी ने उल्लास के साथ भाग लिया। कार्यक्रम का समापन समारोह दिनांक 16/09/2019 को किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री चिन्तन भारद्वाज, ए. जी. एम., स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पटना को आमंत्रित किया गया था।

1) नराकास संबंधित गतिविधियाँ

(क) इस कार्यालय की तिमाही रिपोर्ट नियमित रूप से विभाग के माइयूल में एवं राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर डाली गयी एवं नराकास को भेजी गयी।

(ख) श्री अमित कुमार, उप विस्फोटक नियंत्रक तथा श्री गुड्डू कुमार, अवर श्रेणी लिपिक द्वारा नराकास द्वारा आयोजित बैठकों (दिनांक 25/07/2019 से 12/12/2019) में भाग लिया गया।

2) श्री गुड्डू कुमार, अवर श्रेणी लिपिक ने वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में राष्ट्रीय स्तर की दो दिवसीय संगोष्ठी/ सेमिनार में भाग लिया।

2021-22

कार्यालय विस्फोटक नियंत्रक, पटना में हिंदी सप्ताह का आयोजन दिनांक 14/09/2021 से 20/09/2021 तक किया गया। सभी हिन्दी में प्राप्त पत्रों/ आवेदनों का जवाब हिंदी में ही दिया गया तथा सभी अनुज्ञप्तियों को द्विभाषी प्रारूप में जारी किया गया।

कार्यालय उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, गुवाहाटी

राजभाषायी गतिविधियां 2020-21

कार्यालय में दिनांक 14/08/2019 से 14/09/2020 तक कार्यालय में "हिंदी माह" का आयोजन किया गया। उक्त आयोजन का उद्घाटन समारोह दिनांक 14/08/2020 को श्री बदरी यादव, अनुसंधान अधिकारी, राजभाषा विभाग, भारत सरकार, गुवाहाटी द्वारा किया गया। उक्त आयोजन के दौरान केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दिनांक 20/08/2020 को श्री बदरी यादव, अनुसंधान अधिकारी, राजभाषा विभाग, भारत सरकार, गुवाहाटी द्वारा कार्यालय में राजभाषा हिंदी में हो रहे कामकाज के संबंध में ऑनलाइन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के पश्चात उनके द्वारा वर्ष 2020-21 की अवधि में कार्यालय में हिंदी में हुए सराहनीय कार्यों के लिए डा. एम. आई. जेड. अंसारी, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, श्री गगन अग्रवाल, उप विस्फोटक नियंत्रक/हिंदी अधिकारी एवं श्री धनंजय कुमार, आशुलिपिक श्रेणी-III को "प्रशस्ति पत्र" प्रदान किया एवं भविष्य में इसी प्रकार कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। हिंदी माह के दौरान दिनांक 25/08/2020 को कार्यालय में ऑनलाइन हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसके मुख्य अतिथि श्री बदरी यादव, अनुसंधान अधिकारी, राजभाषा विभाग, भारत सरकार, गुवाहाटी थे। जिसमें कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने ऑनलाइन माध्यम द्वारा सम्मिलित हुए। दिनांक 15/08/2020 को 'स्वतंत्रता दिवस' के अवसर पर पेसो एवं भारतीय खान ब्यूरो कार्यालयों ने संयुक्त रूप से स्वतंत्रता दिवस मनाया, जिसमें कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिस्सा लिया एवं इस आयोजन की संपूर्ण कार्यवाही हिंदी में की गयी। दिनांक 24/08/2020 को पेसो के 122 वें स्थापना दिवस पर कार्यालय प्रमुख डॉ. एम. आई. जेड. अंसारी, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया। दिनांक 27/08/2020 को कार्यालय में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यालय प्रमुख डॉ. एम. आई. जेड. अंसारी द्वारा कार्यालय में राजभाषा हिंदी में हो रहे कामकाज की समीक्षा की गयी। दिनांक 14/09/2020 को हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी माह के समापन समारोह का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री पी.के. भट्टाचार्जी, क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, गुवाहाटी थे एवं समापन समारोह के दौरान हिंदी माह के दौरान आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं में सम्मिलित विजेता प्रतिभागियों के नामों की घोषणा की गयी। दिनांक 02/12/2020 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, गुवाहाटी द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए छमाही वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यालय प्रमुख ऑनलाइन माध्यम द्वारा सम्मिलित हुए। दिनांक 18/02/2020 को मुख्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन राजभाषायी ई-निरीक्षण में कार्यालय में राजभाषा हिंदी में हो रहे कामकाज की समीक्षा की गयी। दिनांक 31/10/2020 को कार्यालय में "राष्ट्रीय एकता दिवस" का आयोजन किया गया एवं अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा हिंदी में शपथ ली गयी। दिनांक 27/10/2020 से 02/11/2020 तक कार्यालय में "सर्तकता जागरूकता सप्ताह" का आयोजन किया गया इस दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा हिंदी में शपथ ली गयी। दिनांक 01/11/2020 से 15/11/2020 तक कार्यालय में 'स्वच्छता पखवाड़ा' का आयोजन किया गया। दिनांक 26/11/2020 को कार्यालय में "संविधान दिवस" का आयोजन किया गया इस दौरान कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा शपथ हिंदी में ली गयी। दिनांक 08/03/2021 को कार्यालय में 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यालय में वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान दिनांक 05/05/2020, 25/08/2020, 17/11/2020 एवं 22/02/2021 को चार हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गयीं। वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान

कार्यालय की सभी तिमाही, छमाही एवं वार्षिक हिंदी रिपोर्टें, पेसो एवं राजभाषा विभाग की वेबसाइटों पर ऑनलाइन निर्धारित समयावधि में भेजना सुनिश्चित किया गया।

2021-22

कार्यालय में दि. 01/07/2021 से 30/09/2021 तक "हिन्दी माह" का आयोजन किया गया। जहां इस कार्यालय के अधिकारियों के बीच विभिन्न गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यालयों में राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। सीसीई, गुवाहाटी। "हिंदी तिमाही" का उद्घाटन 01/07/2021 को श्री बद्री यादव, अनुसंधान अधिकारी, राजभाषा विभाग, गुवाहाटी द्वारा डॉ. एम.आई.जेड अंसारी, उप की उपस्थिति में किया गया। सीसीई और पेसो गुवाहाटी के सभी अधिकारी। इस कार्यक्रम को प्रिंट मीडिया के साथ-साथ स्थानीय चैनलों ने भी अच्छी तरह से कवर किया था। कार्यालय ने 01/07/2021 को "हिंदी कार्यशाला" का आयोजन किया गया। श्री बद्री यादव, अनुसंधानकर्ता अधिकारी, राजभाषा विभाग, गुवाहाटी कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में एवं व्याख्यान दिया केंद्र सरकार में आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुख्य बातें बताईं। इस कार्यालय ने 15 अगस्त 2021 को "स्वतंत्रता दिवस" का आयोजन किया है। इस कार्यालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की सेवा में पेसो गुवाहाटी के "स्वर्ण जयंती वर्ष" का आयोजन किया और पेसो हितधारकों के लाभ के लिए 30/07/2021 से सर्किल कार्यालय में पेसो गुवाहाटी का उन्नयन किया। कार्यालय ने 14/09/2021 को "हिंदी दिवस" का आयोजन किया है। इस कार्यालय ने 31/10/2020 को "राष्ट्रीय एकता दिवस" का आयोजन किया है। कार्यालय ने दि. 26/10/2020 से 12/11/2020 तक "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" का आयोजन किया है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय था स्वतंत्र भारत @95 आत्मनिर्भरता के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान कार्यालय परिसर में विभिन्न अभियान बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए। कार्यालय ने 01/11/2020 से 15/11/2020 तक "स्वच्छता पखवाड़ा" का आयोजन किया है। इस कार्यालय ने 26/11/2021 को "संविधान दिवस" का आयोजन किया है। कार्यालय ने 26 जनवरी 2022 को आईबीएम, गुवाहाटी के साथ "गणतंत्र दिवस" का आयोजन किया है। इस कार्यालय ने 8 मार्च 2022 को "अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस" का आयोजन किया है।

कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, मुंबई

राजभाषायी गतिविधियां 2020-21

कार्यालय में दिनांक 14/09/2021 से 28/09/2021 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस दौरान राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया तथा विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। दिनांक 01/11/2021 से 15/11/2021 तक कार्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। दिनांक 22/02/2022 को नवी मुंबई नराकास और कॉकण रेलवे की ओर से राजभाषा कार्यान्वयन एवं तिमाही-छमाही रिपोर्ट संबंधी संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें कार्यालय के प्रमुख श्री डी. के. गुप्ता, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, मुंबई तथा हिंदी अधिकारी श्री यू. एस. भांगे, विस्फोटक नियंत्रक ने भाग लिया। दिनांक 08/03/2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यालय प्रमुख श्री डी. के. गुप्ता, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, मुंबई ने नारी शक्ति पर विस्तृत व्याख्यान देकर सभी महिला कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया गया। दिनांक 08/03/2022 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यालय में वर्ष 2021-2022 के में प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन हेतु नियमित बैठकें आयोजित की गईं। कार्यालय में वर्ष 2021-2022 के दौरान हिंदी में

प्राप्त पत्रों की संख्या-963 कार्यालय द्वारा वर्ष 2021-2022 के दौरान हिंदी में भेजे गए पत्रों की संख्या-10452



कार्यालय विस्फोटक नियंत्रक, वर्धा राजभाषायी गतिविधियां 2020-21

कार्यालय में दिनांक 11/09/2021 से 25/09/2021 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस दौरान राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया तथा विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। दिनांक 17/06/2020, 30/12/2020, 22/09/2020, 19/03/2021, 16/06/2021, 23/07/2021, 24/12/2021/ 24/03/2022 तक कार्यालय में हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।



12 'प्र' से किया जा सकता है राजभाषा हिंदी का समुचित विकास

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से साभार

(डॉ. सुमीत जैरथ)

राजभाषा अर्थात राज-काज की भाषा, अर्थात सरकार द्वारा आम-जन के लिए किए जाने वाले कार्यों की भाषा। राजभाषा के प्रति लगाव और अनुराग राष्ट्र प्रेम का ही एक रूप है। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। वर्ष 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई और यह दायित्व सौंपा गया कि सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों/मंत्रालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में किया जाना सुनिश्चित किया जाए। तब से लेकर आज तक देश भर में स्थित केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों आदि में सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन तथा सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने में राजभाषा विभाग की अहम भूमिका रही है। राजभाषा विभाग अपने क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से सभी स्तरों पर राजभाषा का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।

हम सभी जानते हैं कि जब हमारे संविधान निर्माता संविधान को अंतिम स्वरूप दे रहे थे, इसका आकार बना रहे थे, उस वक्त कई सारी ऐसी चीजें थी जिसमें मत-मतांतर थे। देश की राजभाषा क्या हो?, इसके विषय में इतिहास गवाह है कि तीन दिन तक इस संदर्भ में बहस चलती रही और देश के कोने-कोने का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा में जब संविधान निर्माताओं ने समग्र स्थिति का आकलन किया, दूरदर्शिता के साथ अवलोकन, चिंतन कर एक निर्णय पर पहुंचे तो पूरी संविधान सभा ने सर्वानुमत से 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया। 26 जनवरी 1950 को लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान रखा गया कि संघ की राजभाषा 'हिंदी' व लिपि 'देवनागरी' होगी।

अनुच्छेद 351 के अनुसार भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से, और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए हिंदी की समृद्धि सुनिश्चित की जानी है।

महान लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियां आप जिस प्रकार बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए।' को ध्यान में रखते हुए राजभाषा - हिंदी को और सरल, सहज और स्वाभाविक बनाने के लिए राजभाषा विभाग दृढ़ संकल्प है। केंद्र सरकार के कार्यालयों/मंत्रालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा हिंदी में काम करने को दिन-प्रति-दिन सुगम और सुबोध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी के "आत्मनिर्भर भारत" "स्थानीय के लिए मुखर हों (Self Reliant India- Be vocal for local) के अभियान को आगे बढ़ाते हुए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत में सी-डेक, पुणे के सौजन्य से निर्मित स्मृति आधारित अनुवाद टूल "कंठस्थ" का विस्तार कर रहा है जिससे अनुवाद के क्षेत्र में समय की बचत करने के साथ-साथ एकरूपता और उत्कृष्टता भी सुनिश्चित हो।

राजकीय प्रयोजनों में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार बढ़ाने तथा विकास की गति को तीव्र करने संबंधी संवैधानिक दायित्वों को पूर्ण करने के संबंध में हमारी प्रभावी रणनीति किस प्रकार की होनी चाहिए, इसका मूल सूत्र क्या होना चाहिए?, इस पर विचार करने के दौरान मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए जाने वाले 'स्मृति-विज्ञान' (Mnemonics) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण

और उपयोगी नजर आती है। विदेश से भारत में निवेश बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के छह डी-

Democracy (लोकतंत्र)

Demand (मांग)

Demographic Dividend (जनसांख्यिकीय विभाजन)

Deregulation (अविनियमन)

Descent (उत्पत्ति)

Diversity (विविधता)

से प्रेरणा लेते हुए राजभाषा के सफल कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने "12 प्र
की रणनीति-रूपरेखा (Frame work) की संरचना की है, जो निम्न प्रकार से है :

1 प्रेरणा (Inspiration and Motivation)

प्रेरणा (Inspiration) का सीधा तात्पर्य पेट की अग्नि (Fire in the belly) को प्रज्वलित करने जैसा होता है। हम सभी यह जानते हैं कि प्रेरणा में बड़ी शक्ति होती है और यह प्रेरणा सबसे पहले किसी भी चुनौती को खुद पर लागू कर दी जा सकती है। प्रेरणा कहीं से भी प्राप्त हो सकती है लेकिन यदि संस्थान का शीर्ष अधिकारी किसी कार्य को करता है तो निश्चित रूप से अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं।

2 प्रोत्साहन (Encouragement)

मानव स्वभाव की यह विशेषता है कि उसे समय-समय पर प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है। राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में यह प्रोत्साहन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को समय-समय पर प्रोत्साहित करते रहने से उनका मनोबल ऊंचा होता है और उनके काम करने की शक्ति में बढ़ोतरी होती है।

3 प्रेम (Love and Affection)

वैसे तो प्रेम जीवन का मूल आधार है किंतु कार्य क्षेत्र में अपने शीर्ष अधिकारियों द्वारा प्रेम प्राप्त करना कार्य क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करता है। राजभाषा नीति सदा से ही प्रेम की रही है यही कारण है कि आज पूरा विश्व हिंदी के प्रति प्रेम की भावना रखते हुए आगे बढ़ रहा है।

4 प्राइज अर्थात् पुरस्कार (Rewards)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार दिए जाते हैं। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/बैंकों उपक्रमों आदि को राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए दिए जाते हैं और राजभाषा गौरव पुरस्कार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों बैंकों आदि के करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार 14 सितंबर, हिंदी दिवस के दिन माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कारों का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि देश के कोने-कोने से इन पुरस्कारों के लिए प्रविष्टि आती है। जब मैंने राजभाषा विभाग का कार्यभार संभाला उस समय स्मृति आधारित अनुवाद टूल 'कंठस्थ के अंदर डेटाबेस को मजबूत करने के लिए स्वस्थ प्रतियोगिता एवं सचिव(रा.भा.) की ओर से प्रशस्ति पत्र देने का निर्णय किया। इस कदम का यह परिणाम हुआ कि लगभग छह महीने के अंदर ही कंठस्थ का डाटा 20 गुना से ज्यादा बढ़ गया। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा एवं प्राइज यानि पुरस्कार का महती योगदान होता है।

5 प्रशिक्षण (Training)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के माध्यम से प्रशिक्षण का कार्य करता है। पूरे वर्ष अलग-अलग आयोजनों में सैकड़ों की संख्या में प्रशिक्षणार्थी

इन संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण पाते हैं। कहते हैं - "आवश्यकता, आविष्कार और नवीकरण की जननी है।" कोरोना महामारी ने हम सभी के सामने अप्रत्याशित संकट और चुनौती खड़ी कर दी। समय-समय पर प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित कर हम सभी को इस महामारी से लड़ने के लिए संबल प्रदान किया। इससे प्रेरित होकर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने आपदा को अवसर में परिवर्तित कर दिया। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का आश्रय लेते हुए - ई-प्रशिक्षण और माइक्रोसॉफ्ट टीमस के माध्यम से हमारे दो प्रशिक्षण संस्थान - केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो ने पहली बार ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत-स्थानीय के लिए मुखर हों (Be Local for Vocal) अभियान के अंतर्गत राजभाषा विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्वदेशी NIC-Video Desk Top पर माइग्रेट किया जा रहा है।

6 प्रयोग (Usage)

'यदि आप प्रयोग नहीं करते हैं तो आप उसे भूल जाते हैं (If you do not use it, you lose it) हम जानते हैं कि यदि किसी भाषा का प्रयोग कम किया जाए या न के बराबर किया जाए तो वह धीरे-धीरे मन मस्तिष्क के पटल से लुप्त होने लगती है इसलिए यह आवश्यक होता है की भाषा के शब्दों का व्यापक प्रयोग समय समय पर करते रहना चाहिए। हिंदी का प्रयोग अपने अधिक से अधिक काम में मूल रूप से करें ताकि अनुवाद की बैसाखी से बचा जा सके और हिंदी के शब्द भी प्रचलन में रहें।

7 प्रचार (Advocacy)

संविधान ने हमें राजभाषा के प्रचार का एक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है जिसके अंतर्गत हमें हिंदी में कार्य करके उसका अधिक से अधिक प्रचार सुनिश्चित करना है। हिंदी के प्रचार में हमारे शीर्ष नेतृत्व - माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय गृह मंत्री जी राजभाषा हिंदी के मेसकोट- ब्रैंड राजदूत (Brand Ambassadors) के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देश-विदेश के मंचों पर हिंदी के प्रयोग से राजभाषा हिंदी के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ा है। हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान राजनीतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में एक संपर्क भाषा की आवश्यकता महसूस की गई। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का पक्ष इसलिए प्रबल था क्योंकि इसका अंतरप्रांतीय प्रचार शताब्दियों पहले ही हो गया था। उसके इस प्रचार में किसी राजनीतिक आंदोलन से ज्यादा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित तीर्थ स्थानों में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का योगदान था। उनके द्वारा भिन्न-भिन्न भाषा-भाषियों के साथ संपर्क करने का एक प्रमुख माध्यम भाषा हिंदी थी जिससे स्वतः ही हिंदी का प्रचार होता था। आधुनिक युग में प्रचार का तरीका भी बदला है। तकनीक के इस युग में संचार माध्यमों को बड़ा योगदान है इसलिए राजभाषा हिंदी के प्रचार में भी इन माध्यमों का अधिकतम उपयोग समय की मांग है।

8 प्रसार (Transmission)

राजभाषा हिंदी के काम का प्रसार करना सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों आदि की प्राथमिक जिम्मेदारी में है और यह संस्था प्रमुख का दायित्व है कि वह संविधान के द्वारा दिए गए दायित्वों जिसमें कि प्रचार-प्रसार भी शामिल है, का अधिक से अधिक निर्वहन करे। राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने और कार्यालय स्तर पर हिंदी में लेखन को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने में हिंदी गृह-पत्रिकाओं का विशेष महत्व है, इसलिए राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न केंद्रीय संस्थानों द्वारा प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ पत्रिकाओं को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है। राजभाषा विभाग द्वारा अपनी वेबसाइट rajbhasha.gov.in पर बनाए गए ई-पत्रिका पुस्तकालय के माध्यम से हिंदी के पाठक विभिन्न सरकारी संस्थानों द्वारा प्रकाशित होने वाली ई-पत्रिकाओं से लाभान्वित हो सकेंगे।

राजभाषा हिंदी के प्रसार में दूरदर्शन, आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ-साथ बालीवुड ने हिंदी के प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया है।

9 प्रबंधन (Administration and Management)

यह सर्वविदित है कि किसी भी संस्थान को उसका कुशल प्रबंधन नई ऊँचाइयों तक ले जा सकता है इसे ध्यान में रखते हुए संस्था प्रमुखों को राजभाषा के क्रियान्वयन संबंधी प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम 1963, नियमों तथा समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराएँ, इन प्रयोजनों के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच-बिंदु बनवाएँ और उपाय करें।

10 प्रमोशन (पदोन्नति) (Promotion)

राजभाषा हिंदी में तभी अधिक ऊर्जा का संचार होगा, जब राजभाषा कार्यान्वयन के लिए नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी ; केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सदस्यगण, सभी उत्साहवर्धक और ऊर्जावान हों और अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाएँ। समय-समय पर प्रमोशन (पदोन्नति) मिलने पर निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ेगा और इच्छाशक्ति सुदृढ़ होगी।

11 प्रतिबद्धता (Commitment)

राजभाषा हिंदी को और बल देने के लिए मंत्रालय/विभाग/सरकारी उपक्रम/राष्ट्रीयकृत बैंक के शीर्ष नेतृत्व (माननीय मंत्री महोदय, सचिव, संयुक्त सचिव (राजभाषा), अध्यक्ष और महाप्रबंधक) की प्रतिबद्धता परम आवश्यक है। माननीय संसदीय राजभाषा समिति के सुझाव अनुसार और राजभाषा विभाग के अनुभव से यह पाया गया है कि जब शीर्ष नेतृत्व हिंदी के प्रगामी/उत्तरोत्तर ही नहीं, अपितु अधिकतम प्रयोग के लिए स्वयं मूल कार्य हिंदी में करते हैं तब उनके उदाहरणमय नेतृत्व (Exemplary Leadership) से पूरे मंत्रालय/विभाग/उपक्रम/बैंक को प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है। जब वे हिंदी के लिए एक अनुकूल और उत्साहवर्धक वातावरण बनाते हैं और बीच-बीच में हिंदी के कार्यान्वयन की निगरानी (Monitoring) करते हैं तब हिंदी की विकास यात्रा और तीव्र होती है जैसे कि गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय में देखा गया है। अभी हाल में ही राजभाषा विभाग ने सबको पत्र लिखकर आग्रह किया है:

(क) हर माह में एक बार सचिव/अध्यक्ष अपनी अध्यक्षता में जब वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक करते हैं तब इसमें हिंदी में काम-काज की प्रगति और राजभाषा नियमों के कार्यान्वयन का मद भी अवश्य रखें और चर्चा करें।

(ख) अपने मंत्रालय/विभाग/संस्थान में अपने संयुक्त सचिव (प्रशासन) /प्रशासनिक प्रमुख को ही हिंदी कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व दें और हर तिमाही में उनकी अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (OLIC) की बैठक करें।

12 प्रयास (Efforts)

राजभाषा कार्यान्वयन को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने की दिशा में यह अंतिम 'प्र' सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार हमें लगातार यह प्रयास करते रहना है कि राजभाषा हिंदी का संवर्धन कैसे किया जाए। यहां कवि सोहन लाल द्विवेदी जी की पंक्तियां एकदम सटीक बैठती हैं कि

लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती
नन्हीं चींटी जब दाना लेकर चलती है
चढ़ती दीवारों पर, सौ बार फिसलती है
मन का विश्वास रगों में साहस भरता है

चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है
आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती
डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है
जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है
मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में
बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में
मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती
असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो
क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो
जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम
संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम
कुछ किये बिना ही जय जयकार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती

संवैधानिक दायित्वों को पूर्ण करते हुए राजभाषा हिंदी को और अधिक सरल बनाने के लिए राजभाषा विभाग दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासरत है। विभाग सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology) का भी आश्रय ले रहा है। विभाग का मानना है कि राजकीय प्रयोजनों में हिंदी की गति को तीव्र करने के लिए ये दोनों आवश्यक परिस्थितियां (Necessary Conditions) हैं। इस दिशा में और गति देने के लिए शीर्ष नेतृत्व की प्रतिबद्धता और प्रयास पर्याप्त परिस्थितियां (Sufficient Conditions) हैं।

संघ की राजभाषा नीति के अनुसार हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हम राजभाषा संबंधित अनुदेशों का अनुपालन तत्परता और पूरी निष्ठा के साथ करें। हम स्वयं मूल कार्य हिंदी में करते हुए अन्य अधिकारियों / कर्मचारियों से भी राजभाषा अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं ताकि प्रशासन में पारदर्शिता आए और आमजन सभी सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ निर्बाध रूप से उठा सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन बारह 'प्र' को ध्यान में रखकर राजभाषा हिंदी का प्रभावी कार्यान्वयन करने की दिशा में सफलता प्राप्त होगी और हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत : 'सुदृढ़ आत्मनिर्भर भारत' के सपने को साकार करने में सफल होंगे।

सचिव राजभाषा विभाग,
गृह मंत्रालय, भारत सरकार



सा.का.नि. 1052 -राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ--

(क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 है।

(ख) इनका विस्तार, तमिलनाडु राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

(ग) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं-- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

क. 'अधिनियम' से राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) अभिप्रेत है;

ख. 'केन्द्रीय सरकार के कार्यालय' के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है, अर्थात:-

ग. केन्द्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय;

घ. केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय; और

च. केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कम्पनी का कोई कार्यालय;

छ. 'कर्मचारी' से केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

ज. 'अधिसूचित कार्यालय' से नियम 10 के उपनियम (4) के अधीन अधिसूचित कार्यालय, अभिप्रेत है;

झ. 'हिन्दी में प्रवीणता' से नियम 9 में वर्णित प्रवीणता अभिप्रेत है ;

ट. 'क्षेत्र क' से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;

ठ. 'क्षेत्र ख' से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं;

ड. 'क्षेत्र ग' से खंड (च) और (छ) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;

ढ. 'हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान' से नियम 10 में वर्णित कार्यसाधक ज्ञान अभिप्रेत है।

3. राज्यों आदि और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि-

केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि

असाधारण दशाओं को छोड़कर हिन्दी में होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

2. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से--

क. क्षेत्र 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) को पत्रादि सामान्यतया हिन्दी में होंगे और यदि इनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा: परन्तु यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के लिए आशयित पत्रादि संबद्ध राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिन्दी में भेजे जाएं और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएंगे ;

ख. क्षेत्र 'ख' के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।

3. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ग' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो)या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे।

4. उप नियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, क्षेत्र 'ग' में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क'या'ख'में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं । परन्तु हिन्दी में पत्रादि ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे।

4. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि-

क. केन्द्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

ख. केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र 'क' में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार, ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर अवधारित करे;

ग. क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच, जो खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट कार्यालयों से भिन्न हैं, पत्रादि हिन्दी में होंगे;

घ. क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र 'ख' या 'ग'में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

परन्तु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे ;

च. क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं; परन्तु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे ; परन्तु जहां ऐसे पत्रादि--

- i. क्षेत्र 'क' या क्षेत्र 'ख' किसी कार्यालय को संबोधित हैं वहां यदि आवश्यक हो तो, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा;
- ii. क्षेत्र 'ग' में किसी कार्यालय को संबोधित है वहां, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, उनके साथ भेजा जाएगा; परन्तु यह और कि यदि कोई पत्रादि किसी अधिसूचित कार्यालय को संबोधित है तो दूसरी भाषा में ऐसा अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

5. हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर--

नियम 3 और नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी, हिन्दी में पत्रादि के उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से हिन्दी में दिए जाएंगे।

6. हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग-

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसी दस्तावेजों हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही में तैयार की जाती हैं, निष्पादित की जाती हैं और जारी की जाती हैं।

6. आवेदन, अभ्यावेदन आदि-

1. कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है।
2. जब उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी में किया गया हो या उस पर हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए हों, तब उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाएगा।
3. यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियां भी हैं) से संबंधित कोई आदेश या सूचना, जिसका कर्मचारी पर तामील किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, हिन्दी या अंग्रेजी में होनी चाहिए तो वह उसे असम्यक विलम्ब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी।

8. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणों का लिखा जाना -

1. कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पण या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे।
2. केन्द्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी, जो हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिन्दी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है, जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है, अन्यथा नहीं।
3. यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं तो विभाग या कार्यालय का प्रधान उसका विनिश्चय करेगा।

4. उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा, जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केवल हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा।

9. हिन्दी में प्रवीणता-

यदि किसी कर्मचारी ने-

क. मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है; या

ख. स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो; या

ग. यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है;

तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान-

1. (क) यदि किसी कर्मचारी ने-

i. मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है; या

ii. केन्द्रीय सरकार की हिन्दी परीक्षा योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के सम्बन्ध में उस योजना के अन्तर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

iii. केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

(ख) यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है; तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

2. यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिन्दी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

3. केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं।

4. केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे; परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख में से उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है,

तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा।

मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि-

1. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।
2. केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्ट्रों के प्ररूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे।
3. केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मर्दें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी; परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकती है।

12. अनुपालन का उत्तरदायित्व-

1. केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह--
 - i. यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों और उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है; और
 - ii. इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करे ।
- केन्द्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय-समय पर आवश्यक निदेश जारी कर सकती है ।

[भारत का राजपत्र, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक: अगस्त, 2007

अधिसूचना

का.आ. (अ). -- केन्द्रीय सरकार, राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) संशोधन नियम, 2007 है ।

ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 में -

नियम 2 के खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“क्षेत्र क” से बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र’ अभिप्रेत हैं; ’

[(फा.सं. I/14034/02/2007-रा.भा.(नीति-1)]

(पी.वी.वल्सला जी.कुट्टी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित]

पृष्ठ संख्या 576-577

दिनांक 14-5-2011

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, 4 मई, 2011

अधिसूचना

सा.का.नि. 145 केन्द्रीय सरकार, राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) संशोधन नियम, 2011 है ।

ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के - नियम 2 के खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“क्षेत्र ख” से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं;’

[(फा.सं. I/14034/02/2010-रा.भा. (नीति-1)]

डी.के.पाण्डेय, संयुक्त सचिव

9/25/2021
28/09/2021

अनूप कुमार मेंदीरत्ता
सचिव
Anoop Kumar Mendiratta
Secretary

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LAW & JUSTICE
LEGISLATIVE DEPARTMENT

27 SEP 2021
P-340300

14 सितंबर, 2021

सचिव (उ.सं.अं.व्य.वि.)
Secretary (P.I.)
आवृत्ति सं. / Dy. No. P-340300
दिनांक / Date 28/09/21

का. सं. : 1(5)/2016-वि.सा.प्र.(का.)

हिन्दी दिवस की शुभकारनाएं

महोदय,

विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग का एक खंड है। इस प्रकाशन की स्थापना वर्ष 1968 में, विधि के क्षेत्र में, सबसे अधिक बोली जाने वाली हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने और उसका प्रचार-प्रसार करने के लिए की गई थी। यह प्रकाशन, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए तीन विधि पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रहा है। जिनमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में फारित प्रतिवेदय (रिपोर्टेबल) निर्णयों को हिंदी में प्रकाशित किया जाता है। यह प्रकाशन, अधिवक्ताओं के प्राथमिक पाठ के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण, भारत के संविधान, निर्वाचन मंत्रालय, विधि सचिवालय और हिंदी में विधि पत्रिका पुरस्कार आदि के लिए प्रदर्शनी-सह-विक्रय का आयोजन भी करता है। यह प्रकाशन उपरोक्त तीन पत्रिकाओं को अपनी वेबसाइट <http://legislative.gov.in/vidhi-sahitya> पर भी होस्ट/अपलोड कर रहा है। यह भारत सरकार का एकमात्र ऐसा संगठन है, जो संविधान की भावना के अनुसार, विधि के क्षेत्र में हिंदी के संवर्धन और प्रचार-प्रसार में लगे हुए हैं।

2. विधि साहित्य प्रकाशन में, 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के समारोहों के अवसर पर, यह विनियमन किया है कि उनके पोर्टल (<http://legislative.gov.in/vidhi-sahitya>) पर उपरोक्त हिंदी की इन तीन पत्रिकाओं को 75 संस्करण की अवधि के लिए 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' समारोह के सम्मान में एक विशेष रूप में पो.डी.एम. प्रकृत में उपलब्ध कराया जाए। यह निम्न सभी विश्वविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों, उच्च न्यायालयों, अधिवक्ताओं, जिला न्यायालयों, विधि संघों, विभिन्न परिषदों और इस देश के प्रत्येक नागरिक को, देश में सभी स्तरों पर विधिक शिक्षा प्रदान करने में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने और उसका संवर्धन करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

3. अतः, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप अपने परिचित संस्थान के पोर्टल पर (<http://legislative.gov.in/vidhi-sahitya>) वेबसाइट का प्राथमिक उपकरण कराएं और साथ ही विधि के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने और संवैधानिक अधिदेश को पूरा करने में सहायता प्रदान करने के लिए इस जानकारी को संबंधित व्यक्तियों तक प्रचार-प्रसार करें और संविधान में अनुच्छेद 343 इस उद्देश्य को पूरा करने में सहयोग दें।

सादर ।

आपका
अनूप मेंदीरत्ता
(अनूप कुमार मेंदीरत्ता)

38
28.9.2021
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
का. सं. 1(5)/2016-वि.सा.प्र.(का.)

विधि साहित्य प्रकाशन
आवृत्ति सं. P-340300
दिनांक 28/09/21

J S (RKS)
के आकाशम सचिव हैं।
से.वि. (व-भा)
28/09/21
28/09/2021

सचुर्ध्व ताल, शास्त्री भवन, का. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110 001
4th Floor, Shastri Bhawan, Dr. R.P. Road, New Delhi-110 001
Tel. : +91-11-23384617, 23387553, Fax : +91-11-23382733, E-mail : secyoffice-ld@gov.in

राजभाषा विभाग से साभार कुछ कार्यालय ज्ञापन

'अपनी सरलता के कारण हिंदी प्रवासी भाइयों की स्वतः राष्ट्रभाषा हो गई।' - भवानीदयाल संन्यासी

अनूप कुमार मेंदीरत्ता
सचिव
Anoop Kumar Mendiratta
Secretary



भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LAW & JUSTICE
LEGISLATIVE DEPARTMENT

F. No.1(5)2016-VSP(B)

14th Sept. 2021.

हिन्दी दिवस की शुभकामनाएं
BEST WISHES FOR HINDI DIWAS

Dear Sir,

Vidhi Sahitya Prakashan, is a Wing of Legislative Department, Ministry of Law & Justice. This Prakashan was established in the year 1986 to promote and popularize use of largest speaking language Hindi in the field of Law. To achieve this object, this Prakashan is publishing three law journals, whereby reportable judgements passed by Hon'ble Supreme Court of India and various High Courts in English language are published in Hindi. This Prakashan also organizes exhibitions-cum-sale of bilingual/diglot edition of Bare Acts, Constitution of India, Election Manual, Legal Glossary and Hindi Law Text books etc. This Department is also hosting/uploading the aforesaid three patrkas on its website <http://legislative.gov.in/vidhi-sahitya>. This is the only Government of India organization in India which is engaged in promoting and popularizing Hindi in legal field according to the spirit of the Constitution.

2. On the occasion of the celebrations of "Azadi Ka Amrit Mahotsav" Vidhi Sahitya Prakashan has decided to make available to the public, all three law journals in Hindi on its portal (<http://legislative.gov.in/vidhi-sahitya>) in PDF format only, free of cost for a period of 75 weeks till completion of the "Azadi Ka Amrit Mahotsav" celebrations. This link shall be made available to all the Universities, Law Colleges, High Courts, Tribunals, District Courts, Bar Associations, Bar Councils and each citizen of this country for popularizing and promoting the use of Hindi in imparting legal education at all levels in the country.

3. I am, therefore, to request you to kindly provide hyperlink to the website (<http://legislative.gov.in/vidhi-sahitya>) on the portal of your esteemed institution and also disseminate information to all the concerned to promote the use of Hindi in the legal field and help to achieve the constitutional mandate.

With kind regards,

Yours sincerely,


(Anoop Kumar Mendiratta)

आचार्य भवन, शास्त्री भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110 001
4th Floor, Shastri Bhawan, Dr. R.P. Road, New Delhi-110 001
Tel. : +91-11-23384617, 23387553, Fax : +91-11-23382733, E-mail : secyoffice-05@gov.in

"मनुष्य सदा अपनी भातृभाषा में ही विचार करता है।" - मुकुन्दस्वरूप वर्मा।

डॉ. सुमीत जैरथ, आई.ए.एस.
सचिव
Dr. SUMEET JERATH, I.A.S.
Secretary



भारत सरकार
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अ.शा. पत्र सं 14013/01/2020-रा.भा. (नीति)

दिनांक : 17 सितंबर, 2020

आदरणीय सचिव,

विषय : सरकारी कामकाज में सरल और सहज हिंदी के प्रयोग के लिए नीति-निर्देश।

हिंदी मास / पखवाड़े / दिवस के पुनीत अवसर पर मैं राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की ओर से पुनः आपको और आपके सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एवं असीम शुभकामनाएं देता हूँ।

2. अनेक महत्वपूर्ण मंचों एवं शीर्ष स्तर की बैठकों में बार-बार राजभाषा हिंदी को सरकारी कामकाज में सरल, सुबोध और स्वाभाविक रूप में प्रयोग करने पर बल दिया जाता रहा है। इस संदर्भ में कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित केंद्रीय हिंदी समिति की 31वीं बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन करें, जिसे राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं 20017/02/2018-रा.भा. (नीति)- पार्ट 15 दिनांक 03.10.2018 द्वारा सभी मंत्रालयों / विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों को भेजा गया था।

3. केंद्रीय हिंदी समिति की 31वीं बैठक के कार्यवृत्त में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए सुझावों को उल्लिखित करना उचित होगा -

मद सं. 14.5 - सरकारी हिंदी और सामाजिक हिंदी का अंतर कम करें।

मद सं. 14.6 - दूसरी भाषाओं के अच्छे शब्दों को हिंदी में ग्रहण करें।

मद सं. 14.7 - दूसरी भारतीय भाषाओं से दस-दस अच्छे शब्दों को खोज कर हिंदी भाषा में जोड़ें।

मद सं. 14.9 - सरकारी भाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में बाधक है। कई बार अनुवाद कठिन भाषा में किया जाता है। इस विषय को गंभीरता से देखना चाहिए और अनुवाद की भाषा सरल सुनिश्चित करनी चाहिए।

तृतीय तल, एन.टी.सी.सी.॥ भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
फोन : (91) (11) 23438266, फॅक्स : (91) (11) 23438267, ई-मेल : secy-ol@nic.in

**"भारत के विभिन्न प्रदेशों के बीच हिन्दी प्रचार द्वारा एकता स्थापित करने वाले सच्चे
भारत बंधु हैं।" - अरविंद।**

मद सं. 14.12 - देश की भाषाओं से हिंदी को कैसे और समृद्ध किया जा सकता है, उसके उपाय किए जाएं।

4. कामकाज की भाषा में अत्यंत क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से आम आदमी का रुझान कम हो जाता है, और उसका मानसिक प्रतिरोध बढ़ता है। बदलते माहौल में, कामकाजी हिंदी के रूप को सरल तथा आसानी से समझ में आने वाला बनाना होगा। सामान्यतः यह देखा गया है कि जब सरकारी कामकाज में हिंदी में मूल कार्य न कर उसे अनुवाद कर प्रस्तुत किया जाता है तो हिंदी का स्वरूप अधिक जटिल और कठिन हो जाता है। अतः सरकारी कामकाज को हिंदी में मूल रूप से करने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रेरित करने की महती आवश्यकता है। मूल रूप से मसौदा तैयार करते समय उसमें अन्य भाषाओं जैसे उर्दू, अंग्रेजी और अन्य प्रांतीय भाषाओं के लोकप्रिय शब्द भी आवश्यकतानुसार प्रयोग में लाए जाएं ताकि हिंदी आम जन के लिए आसानी से समझ में आने वाली भाषा बन सके।

5. हिंदी के सरल रूप को अपनाने के लिए राजभाषा विभाग ने समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं जिन्हें संक्षेप में दोहराना प्रासंगिक होगा :

(i) का.ज्ञा. सं II/13034/23/75- रा.भा. (ग) दिनांक 17.3.1976

इस कार्यालय ज्ञापन में यह स्पष्ट लिखा गया था कि सरकारी हिंदी कोई अलग किस्म की हिंदी नहीं है। यह काफी नहीं है कि लिखने वाला अपनी बात खुद समझ सके कि उसने क्या लिखा है। जरूरी तो यह है कि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि लिखने वाला कहना क्या चाहता है।

(ii) शासकीय पत्र सं 1/14013/04/99-रा.भा. (नीति) दिनांक 30.06.1999

इस शासकीय पत्र में यह कहा गया था कि अनुवाद की भाषा-शैली सहज, सरल, स्वाभाविक, पठनीय और बोधगम्य होनी चाहिए। इस पत्र के साथ सरल अनुवाद के उदाहरण भी दिए गए थे।



एक कदम स्वच्छता की ओर

"हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने में प्रांतीय भाषाओं को हानि नहीं वरन् लाभ होगा।" -

अनंतशयनम् आर्यंगार।

-3-

(iii) का. ज्ञा. सं. 1/14011/04/2010- रा. भा. (नीति-1) दिनांक
19.07.2010

इस कार्यालय ज्ञापन में कहा गया था कि अनुवाद में न केवल सरल और सुबोध शब्द इस्तेमाल किए जाएं बल्कि जहां तक हो सके वाक्य छोटे-छोटे बनाएं और हर शब्द का अनुवाद करने की बजाय वाक्य या उसके अंश के भाव को हिंदी भाषा की शैली में लिखें। अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं के आम इस्तेमाल में आने वाले शब्दों के कठिन हिंदी शब्द बनाने की बजाय उन्हीं शब्दों को देवनागरी लिपि में लिख देना चाहिए।

(iv) शासकीय पत्र सं 1/14011/02/2011-रा.भा. (नीति-1) दिनांक
26.09.2011

इस शासकीय पत्र में सरकारी कामकाज में सरल और सहज हिंदी के प्रयोग के लिए नीति-निर्देश दिए गए थे। सभी मंत्रालयों / विभागों / संगठनों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे प्रयोगकर्ता की हैसियत से, वे जिन शब्दों को हिंदी भाषा द्वारा अपनाया जाना उचित समझते हैं, उन्हें लगातार निदेशक (केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान), निदेशक (केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो) को उपलब्ध कराते रहें ताकि यह प्रक्रिया निरंतर और स्थायी रूप से चलती रहे।

(v) शासकीय पत्र सं 1/14011/02/2011-रा.भा. (नीति-1) दिनांक
11.08.2016

इस शासकीय पत्र में केंद्र सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को हिंदी की सरलता, सहजता, सुगमता और एकरूपता पर विशेष ध्यान देते हुए हिंदी में कार्य करने और आम बोलचाल की भाषा में मूल रूप से टिप्पणी एवं मसौदा लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रेरित किया गया है।

6. हमारे संविधान निर्माताओं ने जब अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया तब उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 351 में यह स्पष्ट रूप से लिखा कि "संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।" इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया कि हिंदी के विकास के लिए हिंदी में 'हिंदुस्तानी' और आठवीं अनुसूची में दी गई अन्य भाषाओं के रूप, शैली व पदों को अपनाया जाए।



"संस्कृत के अपरिमित कोश से हिन्दी शब्दों की सब कठिनाइयाँ सरलता से हल कर लेगी।"

राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन।

-4-

7. अंततः मैं आप से पुनः अनुरोध ही नहीं, आग्रह करूंगा कि सरल हिंदी के प्रयोग के लिए अनुकूल और उत्साहवर्धक वातावरण बनाएं जिससे आपके अधिकारी /कर्मचारी सहज हिंदी में मूल लेखन- टिप्पणियां, मसौदे, पत्राचार इत्यादि करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित हों।

8. मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि संविधान द्वारा राजभाषा संबंधी दिए गए दायित्वों का निर्वहन करते हुए आप सभी सरल हिंदी का उत्तरोत्तर ही नहीं, अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित करेंगे। इससे राष्ट्र के विकास की गति तेज होगी, प्रशासन में पारदर्शिता आएगी और जन कल्याणकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ आम जन को प्राप्त होगा। इस प्रकार हम सभी माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुरूप एक समृद्ध, सशक्त, नवीन और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दे पाएंगे।

जय राज भाषा ! जय हिंद !

शुभेच्छु,

सुमीत जैरथ
(डॉ. सुमीत जैरथ)

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव



शायद दुनिया-भर के लोगों की कमजोरी का पता लगाने की अपेक्षा अपनी कमजोरी का पता लगा लेना ज्यादा विश्वसनीय होता है।

हजारी प्रसाद द्विवेदी

**आगरा कार्यालय को वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 के लिए
प्राप्त नराकास पुरस्कार**



दिनांक 16.07.2020 को नराकास की 77वीं (ऑनलाइन) बैठक में वर्ष 2019-2020 में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग एवं कार्यान्वयन के लिए नगर स्तर पर कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, मध्यांचल, आगरा के लिए द्वितीय पुरस्कार की घोषणा की गई। पुरस्कार स्वरूप कार्यालय को शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

वर्ष 2018 - 2019 के लिए केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों (11 से 50 कार्मिकों वाले) की श्रेणी में कार्यालय को क्षेत्रीय स्तर पर भी प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई। कोविड महामारी के कारण उक्त पुरस्कार वितरण समारोह निर्धारित समय पर आयोजित नहीं किया जा सका था। दिनांक 27.11.2021 को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कानपुर में उत्तर क्षेत्र - 1 तथा उत्तर क्षेत्र - 2 का एक दिवसीय क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में डा. अवधेश प्रताप सिंह, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, मध्यांचल आगरा द्वारा प्रथम पुरस्कार स्वरूप प्रदत्त शील्ड प्राप्त किया एवं डा. सुबोध कुमार दीक्षित, विस्फोटक नियंत्रक (राजभाषा अधिकारी) ने राजभाषा अधिकारी को प्रदत्त किया गया प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया।

"हमारी राष्ट्रभाषा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीयता का दृढ़ निर्माण है।" - चंद्रबली पांडेय।

पेसो, नागपुर को वर्ष 2019-2020 के लिए प्राप्त नराकास पुरस्कार

कार्यालय मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, पेसो, नागपुर को वर्ष 2019-2020 के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (न.रा.का.स.)(का-1), नागपुर के तत्वावधान में दिनांक 27.02.2020 को पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., नागपुर के प्रेक्षागृह में आयोजित न.रा.का.स. पुरस्कार वितरण समारोह में पेसो में राजभाषा कार्यान्वयन के उत्कृष्ट प्रयोग लिए द्वितीय पुरस्कार तथा हिन्दी गृह पत्रिका विस्फोटक दर्पण अंक 19 के लिए द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया।



इन पुरस्कारों को श्री एम. के. झाला, स.मु.वि.नि (संगठन प्रमुख), डॉ. ए.के. दलेला, विस्फोटक नियंत्रक (प्रशा.) एवं डॉ. वैशाली चिरडे, हिन्दी अधिकारी द्वारा ग्रहण किया गया।



इस समारोह में पेसो, नागपुर द्वारा (न.रा.का.स.)(का-1),नागपुर के तत्वाधान में दि. 02.08.2019 को आयोजित अंतरकार्यालयीन प्रतियोगिता "तात्कालिक हिंदी भाषण" के पुरस्कारों को हिन्दी अधिकारी के हाथों वितरित किया गया। बीएचइएल, नागपुर में 16.07.2019 को आयोजित एकाक्षरी चिंतन प्रतियोगिता में कार्यालय के श्री शुभम कुमार गुप्ता, लेखापाल को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर नराकास संपादक मंडल एवं कार्याकारी सदस्य के योगदान के लिए संगठन की हिन्दी अधिकारी डॉ.(श्रीमती) वैशाली चिरडे को स्मृति चिह्न प्रदान किया गया।

पेसोए नागपुर को वर्ष 2020-2021 के लिए प्राप्त नराकास पुरस्कार

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (न.रा.का.स.)(का-1), नागपुर के तत्वावधान में दिनांक 27.05.2022 को 14 छमाही समीक्षा बैठक एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., नागपुर के प्रेक्षागृह में किया गया जिसमें श्री पी. कुमार, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक एवं संगठन प्रमुख श्री एस. डी. मिश्रा, विस्फोटक नियंत्रक एवं संपर्क हिन्दी अधिकारी तथा डॉ. वैशाली चिरडे, हिन्दी अधिकारी ने भाग लिया।



बैठक के शुभारंभ में श्री पी. कुमार, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक एवं संगठन प्रमुख महोदय द्वारा अन्य कार्यालय प्रमखों के साथ दीप प्रज्वलन किया गया और बैठक में भाग लिया गया।



बैठक के पश्चात पुरस्कार समारोह में कार्यालय मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, पेसो, नागपुर को वर्ष 2020-2021 के लिए राजभाषा कार्यान्वयन के उत्कृष्ट प्रयोग हेतु प्रथम पुरस्कार तथा कार्यालय द्वारा प्रकाशित हिन्दी गृह ईपत्रिका विस्फोटक दर्पण अंक 20 के लिए द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इन पुरस्कारों को श्री पी. कुमार, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक (संगठन प्रमुख), श्री एस. डी. मिश्रा, विस्फोटक नियंत्रक एवं संपर्क हिन्दी अधिकारी तथा डॉ. वैशाली चिरडे, हिन्दी अधिकारी द्वारा ग्रहण किया गया।



इस अवसर पर नराकास संपादक मंडल एवं कार्याकारी सदस्या के योगदान के लिए संगठन की हिन्दी अधिकारी डॉ (श्रीमती) वैशाली चिरडे को स्मृति चिह्न प्रदान किया गया।

इस समारोह में पेसो, नागपुर द्वारा (न.रा.का.स.)(का-1),नागपुर के तत्वाधान में दि. 28.03.2022 को आयोजित अंतर कार्यालयीन “ऑनलाइन हिन्दी निबंध” प्रतियोगिता के पुरस्कारों को श्री पी. कुमार, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक एवं संगठन प्रमुख महोदय के कर कमलो द्वारा वितरित किया गया। न.रा.का.स.)(का-1), नागपुर के तत्वावधान में आयोजित हिन्दी लोगो प्रतियोगिता में कार्यालय के श्री गौतम कुमार, अ.श्रे.लि को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया।

पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन का संगठनात्मक ढाँचा

